खण्ड-254, अंक-6
मंगलवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(2 मार्च, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४९९–५०३
प्रश्नोत्तर	५०३–५३१
विविध विषय	५३१–५३२
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (देय धनराशियों की वसूली) नियमावली, १९६४ (मेज पर रखी गयी)	५३२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५३२
न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर के मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	५३२–५३५
मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण (जारी) .	५३५–५३८
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल (स्वीकृत)	५३८
मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण ..	५३८–५३९
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	५३९–५६६
अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	५६६–५८५
१५ फरवरी, १९६५ की श्री रघुवीरसहाय कैथवार आदि की नियम ५० के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा	५८६–५९१
नत्थियां	५९१–६०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पानाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद,श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद , श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फल)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह , श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ मार्च, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

फतेहपुर जिले में हथगांव रजबहा से क्षति की शिकायत

*१---श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में रामगंगा कैनाल का रजबहा हथगांव मील नं० ४६ के लगभग दिनांक १६ सितम्बर, १९६४ को कट गया एवं कई दिनों तक बराबर पानी बहता रहा है ? यदि हां, तो उससे मौजा गोरी व केशवपुर मिलहैया की कितने एकड़ भूमि जलमग्न हो गई तथा उक्त गांव के किन-किन काश्तकारों को कितनी-कितनी हानि हुई तथा काश्तकारों की क्षति पूर्ति हेतु जिलाधीश एवं नहर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

*२---क्या यह सत्य है कि खेतों में पानी भर जाने के कारण रबी की फसल भी नहीं जोती-बोई जा सकी ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---

जी नहीं ।

कानपुर जजी में मुकदमे

*३—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में कितने अतिरिक्त जिला जज हैं, उनमें से १ जनवरी, १९६४ से लेकर ३१ जून, १९६४ तक प्रत्येक के पास कितने ओरिजन मुकदमे और कितनी अपीलें विचार करने के लिये आयीं ? उनमें कितने का निर्णय ६ माह के अन्दर दे दिया गया और कितने वादों और मुकदमों का उनकी अपीलों में ६ महीने से अधिक समय लगा ?

न्याय उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

केवल एक। १ जनवरी, १९६३ से ३० जून, १९६४ तक जिला जज के न्यायालय से अतिरिक्त जिला जज के न्यायालय में जो मौलिक वाद और अपीलें आयीं उनकी संख्या और उनमें से कितने निस्तारण हुये और उनके निस्तारण में कितना समय लगा उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९२ पर ।)

*४—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि उक्त अतिरिक्त जिला जजों में से प्रत्येक को अलग-अलग कितने वर्ष मुंसिफ का और कितने वर्ष सिविल एवं सेशन्स जज के पदों पर रहने का अनुभव प्राप्त है ?

श्री जयराम वर्मा—

क्रमशः लगभग ४ १/२ और २ १/४ वर्ष ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो अपीलों और वादों की संख्या दी गयी है उनमें कितने ऐसे हैं जो एक्स पार्टी डिसीजन के बाद रेस्टोर हुये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

इस समय इसकी तफसील नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी इसका कोई इन्तजाम कर रहे हैं जिससे अपीलों की संख्या कम हो जाय, और उनका फैसला जल्दी हुआ करे ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जो तादाद बतायी गयी है वह ८ महीने पहले की है । उस वक्त से और भी अपीलों का फैसला हो गया होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन अपीलों में से कितनी ऐसी अपीलें हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई और तारीखें लगती रहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इतने मुकदमे पेंडिंग हैं उसका कारण यह है कि अपीलों की बहस की सुनवाई होती रहती है और उसके बाद जज महोदय नये मुकदमे लेते हैं इसलिये उनमें ४–४ महीने तक तारीखें बढ़ती रहती हैं और इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है ? क्या मंत्री जी इसका कोई प्रबंध करेंगे कि फैसले जल्दी-जल्दी हुआ करें और बार-बार बहस न सुनी जाया करे ?

श्री सैयद अली जहीर—

जैसा कि आपने फरमाया यह सही है और में भी इसको जानता हूं । हाई कोर्ट के फिगर्स जो में बजट के वक्त बयान करूंगा वह बहुत परेशान करने वाले हैं । उनके बारे में हम हाई कोर्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिख चुके हैं । हम इस कोशिश में हमेशा रहते हैं कि उनके जल्दी फैसले करने की कोई तरकीब निकल आये ।

हिन्दी न जानने वाला परिवहन विभाग में कर्मचारी

*५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन विभाग में ऐसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें हिन्दी का कोई ज्ञान नहीं है ? यदि हां, तो उनके हिन्दी ज्ञान को बढ़ाने का सरकार या विभाग ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

परिवहन विभाग में ऐसे कर्मचारियों को छोड़ कर जिनके लिये शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, केवल एक ऐसा कर्मचारी है जिसे हिन्दी का कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह व्यक्ति जो परिवहन विभाग में काम कर रहा है, जिसको हिन्दी का ज्ञान नहीं है, उसकी नियुक्ति कब हुई, उसका क्या नाम है और वह इस समय किस पद पर काम कर रहा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उनका नाम श्री जे० एल० एन्थेनी है । वे अंग्रेजी के टायपिस्ट हैं । वह रोडवेज की स्थापना के समय से ही इस विभाग में हैं । बहुत पुराने हैं ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

उनकी नियुक्ति किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गयी थी या केवल मंत्री जी की सिफारिश पर की गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

इसकी पूरी तफसील तो इस वक्त नहीं है, लेकिन इसमें मंत्री का कोई दखल नहीं है। यह एक बहरे-गूंगे वर्कर हैं जो न मालूम कब से चले आते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी कि हिन्दी का ज्ञान न होते हुये भी उनकी नियुक्ति कर दी गयी? यह तो पालिसी हमारी बहुत दिनों से थी कि हिन्दी का ज्ञान जिसको हो वही रखा जाय?

श्री अध्यक्ष—

इसका तो उन्होंने जवाब दिया कि वे बहुत पुराने हैं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आपके विभाग में कितने पद ऐसे हैं जिनके लिये शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिये शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सज्जन जो अंग्रेजी के टाइपिस्ट हैं, उस वक्त से अंग्रेजी में काम कर रहे हैं जब कि शुरू शुरू में रोडवेज की स्थापना हुई थी, और चूंकि शुरू-शुरू में रोडवेज में अंग्रेजी में ही काम चल रहा था इसलिये ही उनकी नियुक्ति उस पद पर की गयी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह सही बात है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या? माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा उन सज्जन को कभी यह सूचना दी गयी कि तीन या चार महीने के अन्दर वे हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान प्राप्त कर लें, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि वे पुराने कर्मचारी हैं तथा लाचार आदमी हैं। गूंगा-बहरा होने की वजह से उनके लिये सम्भव नहीं है कि वे हिन्दी सीख सकें। जो बात सम्भव नहीं है उसके लिये किसी को कैसे कहा जा सकता है?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको विभाग द्वारा इस बात की सूचना दी गयी कि वे हिन्दी में ज्ञान प्राप्त करके अब अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में ही अपना कार्य सम्पादन करें?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जैसा में अर्ज कर चुका हूं कि वे गूंगे तथा बहरे हैं, इसलिये सम्भव नहीं है कि उनको हिन्दी का ज्ञान कराया जाय।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर की हड़ताल

*६—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के कर्मचारियों की हड़ताल के क्या कारण थे ? हड़तालियों की मांगें क्या थीं ? सरकार ने उनमें से किन-किन मांगों को पूरा किया और शेष को पूरा न करने का क्या कारण है ?

*७—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि उस हड़ताल से सरकार को उत्पादन आदि की कुल कितनी हानि हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, मेरा इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है । कई महीने पहले कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में हड़ताल हुई और हड़ताल के समय सरकार के पास उनकी मांगों की फेहरिस्त भी आयी थी और हड़ताल को समाप्त हुये भी करीब एक दो महीने से अधिक हुआ, जब मैंने यह प्रश्न पूछा । कानपुर से सूचना एकत्र होने में कितना समय लग सकता है, इसको आप खुद सोचें और इस पर अपनी व्यवस्था दें कि अगर इस तरह से जवाब दिया जाय तो सदन के माननीय सदस्यों को प्रश्नों के सही उत्तर पाने का जो अधिकार है उसकी रक्षा कैसे हो सकती है ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह तो अन्तरिम उत्तर दिया गया है । उत्तर तो बाद में आयेगा ही । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही है कि हड़ताल कानपुर में हुई और कानपुर यहां से बहुत नजदीक है और हड़तालियों की कई मांगें भी आयी थीं, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है कि किन-किन मांगों को पूरा किया गया और किन-किन को पूरा करना अभी बाकी है । तो इस सम्बन्ध में डिटेल का आना आवश्यक था और इससे सम्बन्धित जो सवाल है उसका भी डिटेल में आना आवश्यक था क्योंकि सप्लीमेंटरी प्रश्न करने पर उसका कैसे जवाब दिया जा सकता है, इसलिये यह उत्तर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

अब जब आपकी आगामी बारी आवे, तब तक इसकी सूचना आ जानी चाहिये ।

कानपुर में विद्युत्-कर का बकाया

*८—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के किन मिल मालिकों पर बिजली का कितना-कितना रुपया किस अवधि से बकाया है और सरकार ने उसकी वसूलयाबी के लिए क्या-क्या कदम उठाये तथा उसके फलस्वरूप कितना रुपया प्राप्त किया जा सका ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मांगी हुई सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९३–५९५ पर)

श्री होरीलाल यादव—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ब्योरा उन्होंने दिया है उसमें सबसे ज्यादा रकम किस फर्म के ऊपर बाकी है और कितनी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो ब्योरा मैंने दिया है, उसको आप देख लें। उसमें सब है।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। मगर अभिरुचि इस प्रश्न....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक ही सवाल है कि सबसे ज्यादा किसके जिम्मे है ? मंत्री जी नाम बता सकते हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड। इस पर १,१६,९६३ रु० है।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिनों से वसूली बाकी है और यह रुपया वसूल नहीं हुआ उसका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो दिसम्बर महीने का है। रोटीन में हो गया होगा। एक ही महीने का बिल है। आप अगर ब्योरा देखें तो मालूम होगा कि दिसम्बर माह का बिल है और यह २, ३ महीने में अपना बिल पे करते हैं। कोई बड़ी रकम नहीं है। यह तो रेगुलर है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि म्योर मिल्स को किस रेट पर बिजली दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अलग-अलग जो नियम हैं उस हिसाब से दी जाती है।

श्री कमलासिंह यादव—

कितने नये पैसे के हिसाब से ? इसमें कोई सीक्रेसी तो है नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

सीक्रेसी का सवाल नहीं है, आप ठीक कहते हैं। यहां दरअस्ल मंशा यह थी कि जब इतना रुपया बाकी है तो वसूल क्यों नहीं करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

आपने परमीशन दे दी तो उसकी कम्प्लायेंस होनी चाहिये, चाहे गलत हो या सही।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं।

बदायूं जिले में नलकूप नं० १० की सिंचाई क्षमता

*९—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नलकूप नं० १०, बदायूं ग्रुप साढ़े बाईस हजार रुपये में दोबारा बनवाने के बाद भी दो दिन में एक एकड़ भूमि भी नहीं सींच पाता जबकि पुनर्निर्माण से पूर्व एक एकड़ प्रति दिन सींच दिया करता था ? यदि हां, तो किन कारणों से और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इस नलकूप का पुर्ननिर्माण १४,४५६ रु० की लागत पर हुआ था। वर्तमान रबी की फसल में इस नलकूप द्वारा एक दिन में ३ एकड़ के लगभग सिंचाई की गई है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अभियन्त्रण विभाग की सिंचाई सेवाओं का विलयन

*१०—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जी० ओ० नं० इ-४३४४-बत्तीस/ए-४६९, दिनांक ६ अगस्त, १९५२ द्वारा कुल सिंचाई वर्क शाप्स और उनमें काम करने वाले सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कर दिये गये थे तथा जी० ओ० नं० इ-८१०-बत्तीस/ए०, दिनांक १५ जुलाई, १९५५ द्वारा उक्त कर्मचारियों की सेवायें भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के साथ मर्ज करने के स्पष्ट निर्देश भी दिये गये थे? यदि हां, तो आज बारह वर्ष बाद भी उन सैकड़ों कर्मचारियों की सेवायें सिंचाई विभाग में मर्ज न करने के कारण क्या हैं?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित ६ अगस्त, १९५२ के जी० ओ० में मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को कृषि अभियंत्रण विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में चार्ज लेने के आदेश दिये गये थे। उक्त कृषि अभियंत्रण विभाग में तीन सेवायें थीं—सिंचाई, ट्रैक्टर्स तथा वर्कशाप्स। और उस जी० ओ० में ट्रैक्टर्स तथा वर्कशाप्स सेवाओं को पृथक बनाये रखने के स्पष्ट निर्देश थे।

जुलाई १५, १९५५ के जी० ओ० में कृषि अभियंत्रण विभाग की सिंचाई सेवा को ही केवल सिंचाई विभाग में मर्ज करने के आदेश थे न कि ट्रैक्टर्स तथा वर्कशाप्स की सेवाओं के भी।

*११—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि पुराने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग जो अब सिंचाई विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है, उसके ३३२ कर्मचारी विधिवत् मर्ज न होने के कारण १५–१६ वर्षों से अस्थायी चले आ रहे हैं और सीनियर होने के बाद भी उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध है, यहां तक कि १९६३ के उत्तरार्द्ध में प्रान्तीय आधार पर जो १५० कर्मचारियों को स्थायी किया गया उनमें भी इनको नहीं लिया गया? यदि हां, तो इन सिंचाई वर्क शाप्स के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण क्या हैं?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप मण्डल, मुरादाबाद में ड्राफ्ट्समैन का निलम्बन

*१२—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप मंडल मुरादाबाद में सन् १९६४ के उत्तरार्द्ध में कौन-कौन से ड्राफ्ट्समैन किन-किन अभियोगों में निलम्बित किये गये?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ट्यूबवेल सर्किल, मुरादाबाद के अन्तर्गत नलकूप खंड, चन्दौसी में केवल एक ड्राफ्टमैन को सन् १९६४ के उत्तरार्द्ध में निलम्बित किया गया। इस ड्राफ्टमैन के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता ट्यूबवेल डिवीजन, बदायूं के कार्यालय की साइक्लोस्टाइल मशीन से बिना उचित अनुमति कुछ अनधिकृत (unauthorised) पत्रों के छापने का आरोप है।

*१३—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या निलम्बित ड्राफ्टसमैनों को अभियोग पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर ही (प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा) दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इनके केसों में क्या-क्या निर्णय किये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। निलम्बित ड्राफ्टमैन को अभियोग-पत्र प्रेसक्राइब्ड प्रोफार्मा पर १ फरवरी, ६५ को दिया जा सका। विलम्ब का कारण यह था कि ड्राफ्टमैन और अधिशासी अभियन्ता के बीच पत्र-व्यवहार होता रहा। ड्राफ्टमैन से अभियोग-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय दिया जायगा।

*१४—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

इन ड्राफ्टमैनों को कितना-कितना जीविका भत्ता किन-किन तारीखों में दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

निलम्बित ड्राफ्टमैन को जो जीविका भत्ता दिया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

माह	भत्ता मिलने की तिथि	भत्ते की धनराशि जो दी गई रु० पैसे
(१) १०/६४ (पूरे माह का) ..	२-११-६४	६९.९२
		(-)२०.००
		जी० पी० फंड
		४९.९२
(२) ११/६४ (१५ दिन का)	१९-१२-६४	३६.८७
(३) १२/६४ (१२ दिन का)	७-१-६५	२८.५५
(४) १/६५ (३१ दिन का)	३-२-६५	७३.७५

कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियमानुसार बिना अभियोग-पत्र दिये ही क्यों निलम्बित कर दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभियोग-पत्र दिया गया। सिर्फ एक चीज यह हो गयी कि प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर देने के पहले उनको नोटिस दिया गया कि आपके खिलाफ यह आरोप है, आप क्यों न निलम्बित किये जायं। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तो निलम्बित कर दिया।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

मंत्री जी बतायेंगे कि प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

खयाल यह हुआ कि उसके बाद तो दे ही देंगे। पहले उनसे यह पूछ हो रही थी यह-यह चार्जेज हैं वह जवाब दें। थोड़ा विलम्ब हुआ यह बात सही है।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन से मुख्य कारण हैं जिनके अन्तर्गत अभियोग पत्र दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनके खिलाफ एक चार्ज यह था कि गवर्नमेंट के साइक्लोस्टाइल पर वहां के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पत्र छपवा कर बंटवाये।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तारीख को वह सस्पेंड किये गये और किस तारीख से जीवन-निर्वाह भत्ता उन्हें मिलने लगा क्योंकि नियम यह है कि सस्पेंशन आर्डर के साथ-साथ मिलना चाहिये। क्या इसका पालन किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिस तारीख से सस्पेन्ड किया गया और जितनी रकम दी गयी यह तो सूचना मेरे पास है लेकिन किस तारीख से दिया गया अगर आपकी आज्ञा हो तो यह सूचना भी देख कर दे दूंगा।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे अभी तक मिलम्बित हैं अथवा कोई फैसला हो चुका है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अभी जांच हो रही है।

कानपुर में बसों के पुर्जे

*१५—श्री शिवनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के पास कितनी कीमत के ऐसे पुर्जों का स्टाक है जिनका उपयोग इस समय चलने वाली बसों में होना सम्भव नहीं और वर्तमान बसों के किन-किन पुर्जों का अभाव है जिनके कारण वर्तमान अनेक बसें बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

काम में न आने वाले पुर्जे लगभग २३.४७ लाख रु० मूल्य के हैं। वर्तमान बसों के लगभग ४०० ऐसे पुर्जे हैं जिनके अभाव से कुछ गाड़ियों की मरम्मत रुकी हुई है। तालिका काफी लम्बी है जिसे माननीय सदस्य कृपया मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

*१६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक रीजन में अलग-अलग कितनी बसें पुर्जों के अभाव के कारण बेकार खड़ी हैं और यह पुर्जों की कमी कब से है तथा सरकार ने इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल——

पुर्जों के अभाव में मेरठ रीजन की १० बसें, आगरा रीजन की ५२ बसें, कानपुर रीजन की ४४ बस तथा गोरखपुर रीजन की १२ बसें खड़ी हैं। वर्तमान लेलैन्ड और मर्सडीज गाड़ियों की मरम्मत की आवश्यकता पड़ने के समय से ही पुर्जों की कमी रही है। पुर्जों को प्राप्त करने के लिये भारत के बाजारों में खोज, आयात अनुमति-पत्र प्राप्त कर बाहर से आयात, विदेश स कच्चा माल आयात करके उत्पादकों से पुर्जों को यहां बनवाया तथा पुराने पुर्जों का नवीकरण आदि किया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये पुर्जे किस के आर्डर से खरीदे गये और कब से इस स्थिति में पड़े हुए हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात का राष्ट्रीयकरण १९४७ में किया था। तब जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती थीं १९५५ तक चलती रहीं। पेट्रोल की गाड़ियों की मरम्मत के लिये १९५४–५५ में मर्सडीज गाड़ियों के लिए ले लिये लेकिन जब डीजल की गाड़ियां चलने लगीं तो ये गाड़ियां कम होती चली गयी और वे पुर्जे जमा हो गये।

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी को यह भी सूचना मिली है कि जो आवश्यक पुर्जे थे वे तो गायब हो गये हैं और जो अनावश्यक थे वे पड़े हुए हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि २३.४७ लाख के पुर्जे पड़े हुए हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे कब से पड़े हुए हैं और इन्हें क्यों नहीं बेचा गया?

श्री मुजफ्फर हसन—

ये पुर्जे काफी दिनों से पड़े हुए हैं। उन दिनों में शैवरलेट गाड़ियां चलती थीं, जो बन्द हो गयीं इसलिए ये पड़े रह गये। लेकिन फिर भी ये निकल गये हैं। पहले ये ४० लाख रुपये की कीमत के पुर्जे थे और अब काफी कम हो गये हैं। बाहर भेजने की भी कोशिश की जा रही है।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले पैट्रोल की गाड़ियां चलती थीं और उनकी जगह पर अब डीजल की गाड़ियां चल रही हैं इस वजह से, पुर्जों की वजह से भी कुछ गाड़ियां बेकार पड़ी हुई हैं, तो क्या माननीय मंत्री महोदय, यह आवश्यक नहीं समझते कि इन गाड़ियों को नीलाम करके डिस्पोज आफ कर देते?

श्री मुजफ्फर हसन—

गाड़ियों के नीलाम करने के तो नियम हैं। पुरानी जो गाड़ियां शैवरलेट और फोर्ड आती थीं वे अब नहीं आती हैं। दिक्कत है। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि जब कोरिया की लड़ाई शुरू हुई तो यह जानकर कि शायद ऐसे पुर्जों का मिलना मुश्किल हो जायेगा, ये पुर्जे उन्होंने खरीद लिए थे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा कानपुर रीजन में बसें खराब हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद रीजन में क्यों खराब नहीं पड़ी हैं बिना पुर्जों के?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सारा प्रदेश ८ रीजंस में बंटा हुआ है। ४ रीजन्स में गाड़ियां खड़ी हुई हैं और बाकी ४ में नहीं हैं। इलाहाबाद भी उनमें एक है।

श्री शिवनाथ सिंह—

क्या जिन रीजन्स में गाड़ियां खराब हैं वहां दूसरी गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गयी है क्योंकि गाड़ियों के अभाव में पूरी लाइन बेकार पड़ी रहती है और पैसेंजरों को नुकसान होता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जहां तक सम्भव होता है कोशिश की जाती है।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन रीजन्स में गाड़ियां खराब हैं उनके एवज में दूसरी गाड़ियां दी गयीं अथवा नहीं ? अगर भेजी गयीं तो कितनी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसके डिटेल के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ४ रीजन्स में जो गाड़ियां खड़ी रहीं तो सरकार के पास कोई ब्योरा है कि इन गाड़ियों के खड़ा रहने से कितनी आमदनी का नुकसान हुआ है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

फांसी दण्ड

*१७—श्री गणेशचन्द्र काछी (अनुपस्थित)—

क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा सुझाव भेजने की कृपा करेगी कि फांसी देने का कोई नया तरीका निकाला जाय जिससे कि फांसी पाने वाले व्यक्तियों को फांसी के समय कष्ट न हुआ करे ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं। गले से लटका कर फांसी देने का तरीका भी ऐसा ही है जिससे फांसी पाने वाले को बहुत कम तकलीफ होती है।

[२ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अतरौलिया टाउन एरिया को बिजली

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया अतरौलिया, जिला आजमगढ़ में बिजली के कितने खम्भे रोशनी के लिये लगाये हैं और पूरी आबादी में न लगने के कारण क्या हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

टाउन एरिया अतरौलिया, जिला आजमगढ़ में बिजली के २९ खम्भे लगाये गये थे। खम्भे उन्हीं बस्तियों में लगाये गये थे जहां प्राविधिक दृष्टि से संभव थे और अधिक से अधिक उपभोक्ता बिजली ले सकें।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त टाउन एरिया के निवासियों की ओर से बिजली के खम्भे बढ़ाने हेतु सितम्बर, सन् १९६४ के प्रथम सप्ताह में कितने प्रार्थना-पत्र उनके पास आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सितम्बर, सन१९६४ के प्रथम सप्ताह में टाउन एरिया अतरौलिया के निवासियों से बिजली के खम्भे बढ़ाये जाने हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*३—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस स्टेशन, निरीक्षण भवन, राजकीय अस्पताल सहकारी संघ आदि स्थानों पर बिजली न पहुंचाने का कारण क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

बस स्टेशन, निरीक्षण भवन, अस्पताल, सहकारी संघ आदि स्थान बिजली की लाइनों से काफी दूरी पर हैं। यह दूरी निम्नलिखित है :—

(१)	बस स्टेशन ..	..	२ फर्लांग
(२)	निरीक्षण भवन	..	१ १/२ फर्लांग
(३)	अस्पताल ..	..	१ फर्लांग
(४)	सहकारी संघ	..	१ १/२ फर्लांग

इसके अलवा उपरोक्त संस्थाओं से विद्युतीकरण के लिए कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री बतलायेंगे कि अतरौलिया कस्बे में बिजली कहां से दी जाती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मऊ से दी जाती है जो आजमगढ़ जिले में है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

उत्तर में कहा गया है कि बस स्टेशन २ फर्लांग, निरीक्षण भवन डेढ़ फर्लांग, अस्पताल १ फर्लांग , सहकारी संघ डेढ फर्लांग दूरी पर है। जब आजमगढ़ से बिजली दी जाती है और ये सब स्थान सड़क से दूर नहीं हैं और वह रास्ता बिजली जाने का है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन सरकारी स्थानों को बिजली न देने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दोनों बातें सही हैं। बिजली हाई टेंशन लाइन से लाते हैं और लो टेंशन लाइन से देते हैं और जब तक लो टेंशन लाइन न हो बिजली नहीं दी जा सकती। दूसरे अभी तक इन स्थानों से मांग भी नहीं आई। जब मांग आयेगी तो दे दी जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि जहां से मांग नहीं आई, बिजली नहीं दी गई, यह तो ठीक है लेकिन बांसी बस स्टेशन से लगभग २० गज दूर से बिजली की लाइन जाती है, वहां ५–६ महीने से ज्यादा हो गये अभी तक बिजली नहीं दी गई जब कि वहां पर चोरी भी हो गई और मैंने भी मंत्री जी को पत्र लिखा लेकिन उन्होंने कृपा नहीं की। क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि जिन बस स्टेशन के निकट से बिजली की लाइन जाती हो वहां जल्द से जल्द बिजली दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, यह चीज नहीं है। लाइन बन जाने पर बिजली देते हैं लेकिन थोड़ी-सी दिक्कत यह है कि ट्रांसफारमर्स वगैरह आवश्यकता के अनुसार मिलते नहीं हैं। यद्यपि हम कम्पनियों से लेने का प्रयास कर रहे हैं और प्रायोरिटी के लिहाज से मिलते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करेंगे कि जब सब बातें पूरी हों तो बस स्टेशन को शीघ्र से शीघ्र बिजली दे दी जाय ताकि जो रोज वहां पिक पाकेटिंग और चोरी होती हैं वह न हों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आदेश हैं और इसको जरूर देख लेंगे ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी को पता है कि जिन गांवों और कस्बों से बिजली की लाइन गुजरती है, उसे बाहर-बाहर ही ले जा रहे हैं, गांवों और कस्बों में नहीं ले जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वे ऐसी कृपा करेंगे कि उन गांवों और कस्बों के भीतर बिजली पहुंचे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हमने आदेश दे दिये हैं लेकिन जैसा कि मैंने सदन में कहा कई तरह की लाइन्स हैं। एक हाई टेंशन लाइन २०,०२० की होती है, एक ६६ हजार की, एक ३३ हजार की होती है और ११ हजार की होती है। जहां से ११ हजार वाली लाइन गुजरती है वहां के गांव और कस्बों को उससे बिजली देते हैं और उसके लिये डेढ़ मील की लाइन खींच देते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जिन गांवों और कस्बों में बिजली दी जा चुकी है उनके एक आध हिस्से में बिजली की लाइन नहीं गई है, तो क्या मंत्री जी वहां के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मांग होने पर प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे? वहां खम्भे बढ़ाये जायं और क्षमता के अन्दर बिजली दी जाय ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस तरह के आदेश हैं कि प्राविधिक दृष्टि से जहां बिजली मिलनी चाहिये और नहीं लग सकी है वहां बिजली तुरन्त दी जाय। जहां बिजली नहीं दी गई है वहां जरूर दी जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, पूर्वी जिलों के प्रति उपेक्षा की नीति बिजली विभाग द्वारा बरती जाती है। खंभों के लिये ७००–८०० रुपये की मांग विशेष कर गाजीपुर में की जाती है, तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि खंभों के दाम न लेकर तुरन्त वहां बिजली दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, यह सवाल आजमगढ़ का है पूरब पश्चिम का कोई सवाल नहीं है, हर जगह बिजली लग रही है ।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फैजाबाद के गांव अतरौलिया के आस-पास हैं वहां सरकार बिजली देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैंने तो यह कह दिया कि हमने तो नियम बना दिया है कि हम एक लाख की पापुलेशन में डेढ़ मील लम्बी लाइन खींच देते हैं और उस नियम के अन्तर्गत जो भी गांव आयेंगे वहां बिजली दी जाएगी ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव का विद्युतीकरण हो रहा है, यह काम सर्वे न कराकर राजनीतिक स्तर पर हो रहा है, क्या यह सही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

आपने तो देखा कि कितने गांव में बिजली हो गई है । आप इसी से जान सकते हैं । इसमें राजनीति का तो कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जहां बिजली लगाई जाती है वहां आबादी के हिसाब से लगाई जाती है । आपने अभी बताया कि आबादी के हिसाब से आप बिजली लगाने का फैसला करते हैं किन्तु कहीं-कहीं ४–५ हजार के स्थान पर २०–३० खम्भे लगा देते हैं, जिससे दूसरे लोग सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इससे थोड़े से ही लोग लेते हैं और लाभ उठाते हैं। तो जब आप आबादी के हिसाब से बिजली लगाते हैं तो थोड़ी आबादी क्षेत्र में बिजली लगाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पूरे क्षेत्र में बिजली लगायेंगे। उस क्षेत्र में बिजली लगाने की एक सीमा निश्चित कर दी गई है कि इतनी पापुलेशन पर उस गांव में बिजली लगायेंगे। लेकिन उसके अन्दर जब लगाते हैं तो यह उसमें देखना पड़ता है कि लोग वहां पर बिजली लेंगे या नहीं ? कितने लोग बिजली लेंगे, इस बात का विचार करके हमें मांग को अनुसार करना पड़ता है ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव में जो बिजली लगाई जाती है, वह सरकार अपने हानि-लाभ के हिसाब से लगाती है या गांव वालों के लाभ के लिये लगाती है, और क्या कारण है कि हरिजनों के क्षेत्र इस विद्युत् की सुविधा से वंचित रह जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे झोपड़ों में बिजली नहीं लगेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां बिजली का प्रयोग होगा, वहां तो बिजली लगेगी ही । जहां के लोग चाहेंगे वहां पर नियमानुसार बिजली दी जायेगी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने क्या यह आदेश कर दिये हैं कि जहां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, वहां पर असली लागत खर्च के अनुसार चार्ज होगा या जो गारंन्टी होगी उसके अनुसार चार्ज होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तो मिनिमम गारंन्टी के आधार पर होता है, लेकिन सड़कों में जो बिजली लगाई जाती है उसमें भी हम मिनिमम खर्चे को ध्यान में रखते हैं ।

नैपाल बांध निर्माण व्यय तथा जलकुण्डी योजना

*४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बड़ी गंडक पर नैपाल बांध के निर्माण पर १ नवम्बर, १९६४ तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

रु० ११,३६,५५४·५४ ।

*५—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेपाल बांध के निर्माण एवं खर्चे का व्योरेवार विवरण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६६ पर)

*६—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री राप्ती नदी पर जलकुन्डी योजना तथा घाघरा कटाव निरोधक योजना फैजाबाद से बिहार सीमा तक घाघरा कटाव रोकने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ले रहे हैं ? यदि हां, तो सर्वेक्षण की इस समय क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जलकुन्डी बांध योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की गई है । घाघरा नदी से कटाव को रोकने के लिये कटाव निरोधक किनारे के बांधों के रूप में दो योजनायें भगुआपार व मलदेवा बांध, घाघरा नदी पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं । इनका सर्वेक्षण हो चुका है ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैपाल बांध किस योजना में लिया गया था और नैपाल सरकार ने इसकी स्वीकृति कब दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। इसके लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी। बहर-हाल इसमें काम जारी है और इसमें जितना काम हो गया है, उसको मैंने बता दिया ।

श्री उग्रसेन—

इसकी सूचना मंत्री जी को नहीं होगी । इसकी सूचना तो मेरे पास रहती है । सुनिये यह पहली योजना में लिया गया था । क्या माननीय मंत्री जी अब बतायेंगे कि यह कितने लाख की योजना थी जो अब ५८ लाख पर आ गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अब ५८ लाख की योजना प्रस्तावित हुई है, उसको मैंने बता दिया ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें प्रश्न यह है कि यह योजना कितने की थी पहले ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी पर जलकुन्डी योजना जो है उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से क्या पत्र व्यवहार हुआ जिसके कारण वह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी और उसे रोक देना पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

नैपाल सरकार से उसकी स्वीकृति नहीं मिली और केन्द्रीय सरकार और नैपाल सरकार के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ वह कांफिडेन्शियल होने के कारण सदन में देना उचित नहीं होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय--

श्रीमन्, मेरी सचना यह है कि केन्द्रीय सरकार से नैपाल सरकार ने कहा है कि वे योजना नहीं चला सकते इसलिये भारत सरकार स्वयं इस योजना को चलाने के लिये तैयार हो तो हम उसे कार्यान्वित करें । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने नैपाल सरकार से जो बात की उसके संबंध में क्या राज्य सरकार को कोई ऐसा पत्र लिखा है कि नैपाल सरकार नहीं तैयार है ?

श्री गिरधारीलाल--

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और हमारे बीच आपस में बातचीत हुई । बहुत से कारण हैं जिनके ऊपर इस वक्त रोशनी डालना ठीक नहीं है जिनकी वजह से मुनासिब समझा गया कि इस योजना को ड्राप कर दिया जाय ।

श्री उग्रसेन--

जब जलकुन्डी योजना ली गयी थी उस वक्त से अब तक कई बार इसका सर्वेक्षण हो चुका है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बीच में इस पर कितने रुपये व्यय हो चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

उस वक्त की परिस्थिति में और इस वक्त की परिस्थिति में काफी अन्तर है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घाघरा के कटाव को रोकने के लिये सरकार कौन-कौन से प्रबन्ध कर रही है और क्या उसमें ठोकर बनाना भी है ? अगर है, तो किस प्रकार का ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

उसमें दो प्रस्ताव हैं । एक तो मलदेवा बांध और दूसरा भगवापार बांध का ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सवाल मेरा कटाव रोकने का था । बांध तो बाढ़ को रोकने के लिये होते हैं । तो कटाव रोकने का क्या प्रबन्ध है, मंत्री जी यह कृपा करके बतावेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

यह इतनी बड़ी नदी है कि उस पर छोटे मोटे प्रयत्नों से काम चलने वाला नहीं है । अभी ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कटाव को रोका जा सके ।

श्री उग्रसेन--

गंडक बहुत खतरनाक नदी है जिसका बहाव ७ लाख क्यूजेक्स है और उस बहाव को रोकने के लिये छतौनी बांध बनाया गया है । उसको बांधने के लिये ठोकर नहीं है । तो फिर घाघरा जिसका बहाव ७ लाख और कभी कभी साढे ४ लाख क्यूजेक्स हो जाता है उस पर बांध बनाने में सरकार को क्या कठिनाई हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सब जगह एक ही नुस्खा नहीं लगता ।

श्री उग्रसेन--

तो क्या फिर खुरपे की शादी हंसिये से होगी ? बांध रोकने की योजना से कटाव को रोकेंगे ? सर्व श्री रामसुन्दर पाण्डेय, कल्पनाथ सिंह और मेरा क्षेत्र सब कटता जा रहा है । मंत्री जी अगर गर्मी के दिन में जायेंगे तो उनका दिल धड़कने लगेगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चन्द्रप्रभा बांध पर मछली का शिकार

*७--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रप्रभा बांध की मछली कितने रुपये में और कितने वर्षों से नीलाम की जा रही है और क्या मछली मारने के नाम पर बांध का पानी फरवरी तथा अप्रैल मास में बहा दिया जाता है जिससे वर्षा के पहले उससे संबंधित नहरों को पानी ठीक से नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम भाग--चंद्रप्रभा बांध की मछली सन् १९५७-५८ से नीलाम की जा रही है । वार्षिक प्राप्ति का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

द्वितीय भाग--मछली मारने के नाम में उपरोक्त बांध का पानी फरवरी, तथा अप्रैल माह में या और किसी माह या वर्ष में नहीं बहाया जाता है ।

तृतीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५९७ पर)

*८--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकिया तहसील में कौन-कौन बन्धे हैं और उनमें कितने रुपये की मछलियां जब से बंधे बने हैं नीलाम हो रही हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

सूचना की तालिका माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी तालिका देखने की कृपा करेंगे ? ५७-५८, ५८-५९ और ५९-६० में काफी अन्तर है । ६०-६१ में ११ हजार ६ सौ है । फिर कम हो गया । अब ६३-६४ में ठीक है । जिन वर्षों में आमदनी कम है उनकी जांच करायेंगे कि क्यों कम आमदनी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह पता चलाने का प्रयत्न किया गया । असल में स्थिति यह है कि पानी कम होता जा रहा है । मछलियां कम होती हैं तो पैसा कम मिलता है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी चन्द्रप्रभा बांध से निकली हुई नहर के एरिया के किसानों से इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि साल में मछली मारने के लिये किस-किस महीने में पानी बहा दिया जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मछली मारने के लिये नहीं बहाया जाता है । पानी रहता है तो किसानों को खेतों की सिंचाई के लिये दिया जाता है । मेरे पास अलग-अलग उसके आंकड़े ह कि साल में कितना पानी दिया जाता है और मैं आपको बता सकता हूं।

*९-१०—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह—

[छठे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बड़हलगंज-कौबीराम बस सर्विस के लिए सर्वेक्षण

*११—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज-कौड़ीराम वाया गोला बाजार रोड पर राजकीय रोडवेज बस चलाने का निश्चय हुआ था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सर्वेक्षण (Survey) करा लिया गया है जो विचाराधीन है ।

*१२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त रोड पर बस चलाने के लिये रोडवेज ने कोई आवेदन-पत्र परमिट प्राप्त करने के लिये दिया था ? यदि हां, तो कब और इस पर क्या निर्णय हुआ है ? ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अस्थायी रूप में उक्त रोड पर रोडवेज की बसें चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्रों (परमिटों) के लिये प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को आवेदन पत्र अगस्त, १९६४ में दिये जो अस्वीकृत कर दिये गये ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आवेदन पत्र दिया गया था परमिट लेने के लिये रोडवेज से, वह किस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया और पुनः उसके लिये कौन सा प्रयत्न किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस मार्ग में ५ बसों की जगह है । इस समय ४ चलती हैं । एक जगह खाली थी । उसके लिये अस्थायी परमिट के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन वह जगह परमानेन्ट परमिट की खाली थी और उन्होंने इस बिना पर खारिज कर दिया कि ऐसी कोई इमरजेन्सी नहीं है कि टैम्पोरेरी परमिट दिया जाय । जहां तक रोडवेज का संबंध है

उसमें हम परमानेन्ट परमिट के लिये एप्लाई नहीं करते हैं । कोई जरूरत खास आ गई तो टैम्पोरेरी परमिट दे देते हैं । इसलिये इनकार कर दिया गया ।

श्री राजनारायण मिश्र—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब किया गया और कब से यह प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसका सर्वेक्षण काफी अरसे से विचाराधीन था, वह हो चुका है। इसके बाद यहां ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में इसकी जांच हो रही है। दफा ६८ के अनुसार इसका प्रकाशन किया जायगा ।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस लाइन के प्राइवेट आपरेटर्स ने कोई मुकदमा दायर कर रखा है जिससे वह रास्ते का रोड़ा हो रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि प्राइवेट आपरेटर्स ने कोई मुकदमा दायर कर रखा है ।

ललितपुर तहसील में पतरुआ नाले का सर्वेक्षण

*१३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंने कि झांसी जिले के ललितपुर तहसील के दक्षिण में गोंची तथा पतरुआ नाले का सर्वे बांध बांधने हेतु अब तक हुआ है या नहीं ? यदि हां, तो बांध इन नालों पर कब बंध जायगा और नहीं तो क्या सरकार इन नालों का सर्वे करा कर बांध सिंचाई हेतु बनवायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां । बांध बनाने के हेतु गोंची अर्थात पतरुआ नाले का सर्वे कराया जा चुका है। अभी इस योजना का एस्टीमेट विचाराधीन है अतः यह नहीं बताया जा सकता कि इस नाले पर बांध कब तक बन जायेगा ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वेक्षण किस सन् में कराया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है कि कब कराया गया लेकिन कराया गया है इसकी सूचना है।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि सर्वेक्षण हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब हुआ है ? अगर कब होने की सूचना नहीं है, तो फिर यह एस्टीमेट किस प्रकार बन गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि सर्वेक्षण हो चुका है और इसका अनुमान १,४७,१२६ रुपये का है और यह १३७ एकड़ जमीन की सिंचाई करेगा, जिसका रिटर्न .५६ होगा। तो यह देखना है कि इतने कम रिटर्न पर यह लाभदायक होगा या नहीं, यह चीज विचाराधीन है।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि बुन्देलखण्ड का पिछड़ा हुआ इलाका है जहां सिंचाई की इतनी व्यवस्था नहीं है, क्या मन्त्री जी विचार करेंगे कि अगर घाटा भी हो तब भी इस योजना को चालू करेंगे और बंधे को बनवा देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसी चीज का विचार हो रहा है कि घाटे की चीज है, बनायी जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इसी चीज पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने से उनका मतलब है

नहर विभाग के ओवरसियर्स

*१४—श्री गणेशचन्द्र काछी (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि नहर विभाग में जो ओवरसियर हैं उनको कूप बोरिंग की तथा मिट्टी की जानकारी नहीं होती है पर उनको बोरिंग विभाग में सीनियर मेकैनिकल इन्स्पेक्टर तथा सहायक इंजीनियर के पदों पर तरक्की करके भेज दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री गिरधारी लाल—

ओवरसियरों को नलकूप बोरिंग और मिट्टी की जानकारी होती है। सिंचाई विभाग में सीनियर मेकैनिकल इन्स्पेक्टर नहीं होते।

फतेहपुर जिले में खागा रजबहा पर पुल की स्वीकृति

*१५—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री इस बात को देखते हुए कि जिला फतेहपुर में नवनिर्मित खागा माइनर के ऊपर हथगांव परगना के ग्राम दयालपुर गांव में काश्तकारों की अधिकतर जमीन नहर के दूसरी ओर से है तथा किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए मीलों का चक्कर लगाना पड़ता है, सरकार भूमि नं० ५३ के ऊपर जहां पर दयालपुर तथा मुईउद्दीन से चकरोड आकर मिलता है, एक ओर पुलिया बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

खागा रजबहा के मील २१ फर्लांग ७ पर जहां ग्राम दयालपुर से चक मुहीउद्दीनपुर में जाने वाली सड़क कटती है, एक पुल बनाने का प्रस्ताव है जिसकी १९६५–६६ में बन जाने की आशा है।

राजनीतिक पीड़ितों की सहायता

*१६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गृह विभाग सामान्य संख्या १७१०जेड–ए० ६ (५७२) ४१५—६२, लखनऊ, ९ नवम्बर, १९६४ के द्वारा यह सूचित किया गया है कि राजनीतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना उक्त कार्यालय ज्ञापन में नहीं दी गयी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर इस प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है तो पत्र में किस प्रकार की दी गयी है, यह बताने का कष्ट करेंगें ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह सूचना दी गयी थी कि राज्यपाल को खेद है कि वह वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में असमर्थ हैं। ऐसी सूचना नहीं दी गयी थी जैसी कि प्रश्नकर्ता ने बताया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को कोई पेंशन देने की व्यवस्था या एक मुश्त धनराशि देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है ? अगर की जा रही है तो उनको यह सहायता क्यों नहीं दी जा रही है जिसका कि प्रश्न में उल्लेख है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जहां तक कि आई० एन० ए० वालों का ताल्लुक है उनको पेंशन की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन लड़की की शादी के मौके पर और बीमारी के मौके पर सहायता दी जाती है। इस केस में दो खामियां थीं। एक तो भतीजी के लिए कोई प्राविजन नहीं है जब तक कि यह साबित न हो कि उसी के ऊपर डिपेंडेन्ट है। दूसरे उम्र की भी कैद है। अगर १५ साल से कम उम्र की लड़की होगी तो जो कायदे के खिलाफ शादी होती है उससे सहायता नहीं होती। इसमें दोनों बातें हैं।

*१७—श्री गणेशचन्द्र काछी (अनुपस्थित)—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

बसों की रफ्तार

*१८—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजकीय परिवहन की सभी बसों की रफ्तार ४३ किलोमीटर प्रति घण्टा पर सीमित कर दी गई है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसमें १० प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। इसका आधार यह है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में सार्वजनिक सेवा वाहन की अधिकतम रफ्तार सीमा ५० किलो मीटर प्रति घण्टा निर्धारित है।

*१९—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यात्रा में समय की बचत की जा सके क्या वह मेल, तूफान मेल, एवं डीलक्स बसों की रफ्तार बढ़ाने की कृपा करेंगे जैसा कि पंजाब आदि अन्य राज्यों में है ? यदि हां, तो कब से तथा कितनी रफ्तार बढ़ायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जब तक मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में निर्धारित रफ्तार सीमा भारत सरकार द्वारा न बढ़ाई जावे रोडवेज की गाड़ियों की रफ्तार नहीं बढ़ाई जा सकती।

*२०—सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां तथा कमलासिंह यादव—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२१-२२—श्री कमलासिंह यादव—

[हटा दिये गये।]

*२३-२४—[हटा दिये गये।]

*२५—श्री लखीसिंह—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

शिवगढ़ ड्रेन सम्बन्धी अंबवा पुल चौड़ा करना

*२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा पानी के निकास के लिए जो शिवगढ़ ड्रेन बनाई गई है उसकी पूर्ण सफाई न होने से पानी पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता, बल्कि लखनऊ जिले से पानी आकुर नादही, गनहरी परीवां, दुर्गागंज आदि गांवों को काफी क्षति पहुंचा देता है? यदि हां, तो इन गांवों के पानी के निकास की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, शिवगढ़ ड्रेन की सफाई आवश्यकतानुसार हर वर्षा के पूर्व होती रही है अतः इस कारण से प्रश्न में कथित ग्रामों में पानी नहीं जमा होता है। इसका मुख्यकारण काश्तकारों द्वारा बांध लगा देना है। इन ग्रामों का पानी निकालने के लिए और किसी ड्रेन के बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

*२७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ड्रेन के अंबवा के पुल के दोनों ओर कितनी दूरी पर पुल है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अंबवा का पुल ड्रेन के मील २५ फर्लांग २ पर है। इसके नीचे की तरफ मील १९ फर्लांग १ पर एक पुल बना है और मील २० फर्लांग ५ पर एक पुल बनाया जा रहा है। अंबवा के पुल के ऊपर की तरफ मील २७ फर्लांग ६ तक जहां से ड्रेन आरम्भ होती है कोई पुल नहीं है।

*२८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इस पुल से गाड़ी, ट्रक, जीप आदि पार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हजारों आदमियों को परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अंबवा के पुल को चौड़ा कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, इस पुल को चौड़ा करने की योजना है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह जो पुल चौड़ा होने की योजना सरकार के विचाराधीन है इस पर कब तक काम आरम्भ होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बहुत शीघ्र ही होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह देखते हुए कि हर जिले में ऐसे एरिया हैं जहां पानी जमा रहता है क्या मन्त्री जी ने हर जिले का सवक्षण करवाया है कि कहां-कहां जमाव अधिक है और कोई हर जिले के लिए भी योजना है?

श्री गिरधारीलाल—

यह तो जनरल पालिसी का सवाल है। वैसे योजना तो इस प्रकार की है, लेकिन डिटेल्स में कि किस तरह से फाइनेन्स किया जायगा और कहां से रिसोसज आयेंगे, इन तमाम प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि काफी दूर नीचे और ऊपर कोई पुल नहीं है और इस पुल पर गाड़ी और वेहिकिल्स नहीं पार कर पाती हैं क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि अगली बरसात से पहले हो जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९६५-६६ में यह पुल बन जायगा।

कानपुर में गंगा का कटाव रोकने के कार्य

*२९—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में गंगा के विपरीत दिशा में सतत् कटाव के कारण बिजली तथा पानी के भीषण संकट की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका ध्यान रखते हुए क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके निदान के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। इस योजना के तीन भाग हैं:

(१) लोअर गंगा नहर को भैरों घाट के प्रतिश्रोत (Upstream) से सम्बद्ध करना,

(२) कूलिंग टावर का निर्माण, तथा

(३) वर्तमान ड्रेजर की संख्या में अभिवृद्धि।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कानपुर को भीषण संकट से बचाने के लिए जो योजना है उसे सरकार आगामी गर्मी के पूर्व चालू कराने की कृपा करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें एक योजना कर ही दी है, ड्रेजर तो आलरेडी चला ही दिया है।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगें कि इस योजना को कब बनाया गया है और कब तक इसको पूरा करने का विचार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बैठी हुई है। पारसाल से उसका काम जारी है। कूलिंग टावर बनाने का ठेका दे दिया है और ड्रेन बनने को तैयार है, ड्रेजर चल ही रहा है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मन्त्री जी कानपुर को रिहन्द से बिजली देने की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं ? पिछली बार कहा था कि गंगा के पानी से नहीं हो सकेगा हम रिहन्द से लेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

विचार ही नहीं, खम्भे लग रहे हैं और बहुत जल्दी बिजली आनी शुरू हो जायगी।

*३०—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

[चौथे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१—श्री चन्द्रजीत यादव—

[चौथे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[६ठे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रिहन्द, व ओबरा थर्मल बांध में अधिगृहीत भूमि

*३३—श्री रामआधार कनौजिया (जिरा बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बिजली घर पिपरी तथा ओबरा बिजली-घर की योजना से सम्बन्धित कितने आदिवासी कृषक जनता की कितनी जमीन ली गई तथा उनको कितनी भूमि का मुआवजा दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

रिहन्द बांध तथा बिजली घर की योजना से ९,००० परिवार प्रभावित हुए जिनकी कुल ४२,६३५ एकड़ कृषि भूमि अधिकृत की गई।

ओबरा बांध व थर्मल से अब तक ३३२ परिवार प्रभावित हुए हैं तथा २,४८३—१२० एकड़ कुल भूमि अधिकृत की गई है जिसमें ६०५—९५३ एकड़ भूमि कृषि योग्य थी। उपरोक्त अधिकृत की गई सभी भूमि का मुआविजा दिया गया है।

*३४—श्री रामआधार कनौजिया—

क्या यह सही है कि कृषकों से ली गई भूमि पर सरकारी दूकानें भी बनाई गई हैं ? यदि हां, तो मासिक कितना-कितना प्रति दूकान किराया निश्चित है ?

श्री गिरधारीलाल--

रिहन्द योजन क अ तर्गत कृषकों से ली गई किसी भूमि पर दूकानें नहीं बनाई गई ह।

ओबरा बिजली योजना के अन्तर्गत कृषकों से कालोनी हेतु ली गई भूमि पर १८ अस्थायी दूकानें बनाई गई हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने निम्नलिखित मासिक किराया निर्धारित किया है—

	रु०
ए प्रकार की दूकान	६९
बी प्रकार की दूकान	६३
सी प्रकार की दूका	३९

*३५—श्री रामअधार कनौजिया--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आदिवासियों को बसाने एवं उनकी जीविका के लिए क्या व्यवस्था की गई तथा उन्हें क्या सहायता दी गई है?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५९८ पर)

विधायकों के स्कूटर के लिए प्रार्थना-पत्र

*३६—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४ के पूरे वर्ष में कितने विधायकों ने स्कूटर हेतु लिखित मांग की तथा किन-किन तिथियों में ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

२६ विधायकों ने सन् १९६४ में स्कूटरों के लिए प्रार्थना-पत्र दिये। प्रार्थना-पत्रों की तिथियां संलग्न सूची में उल्लिखित हैं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५९९ पर)

*३७—श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन विधायकों ने स्कूटर की लिखित मांग भेजी उनमें से कितनों के नाम लिस्ट में सम्मिलित कर लिये गये और किस-किस के ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं वह सभी लिस्ट में दर्ज कर ली जाती हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक--

जितनी दरख्वास्तें आयी हैं उनकी सूची दी गयी है, मैंने पूछा था कि किन-किन को दिया गया, वह नहीं बतलाया गया है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिन-जिन को दिया गया उनकी सूची पढ़े देता हूं--

सर्वश्री—

(१) मुहम्मद रफी खां, एम० एल० ए०,
(२) रामनारायण पांडेय, डिप्टी मिनिस्टर, एजूकेशन,

(३) मोहनलाल गौतम, भूतपूर्व एम० एल० ए०,
(४) राजा कृष्णपालसिंह, एम० एल० ए०,
(५) जगदीशनारायण सिनहा, एम० एल० ए०,
(६) जी० डी० पालीवाल, एम० एल० सी०,
(७) शिवप्रसादसिंह, एम० एल० सी०,
(८) सईदुल हसन, एम० एल० सी,
(९) राधारमन दास, एम० एल० सी० ।

*३८-३९—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[६ठें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

एटा जिले में सिंचाई की गूलें

*४०—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घुमरी से सिढ़पुरा, जिला एटा में जाने वाली सड़क पर सिंचाई विभाग की कितनी गूलें हैं जो उसे पार करती हैं परन्तु उन पर पुलिया नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—

तीन ।

*४१—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गूलों की पुलिया बनवाकर कब तक तैयार करा दी जावेंगी ?

श्री गिरधारी लाल—

मार्च, १९६५ के अन्त तक ।

*४२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पहलोई (जिला एटा) के पास धुमरी-सिढ़पुरा सड़क पर ही विभाग का नाला जो उसे पार करता है, उस पर पुलिया कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

धुमरी-सिढपुरा सड़क पर ग्राम पहलोई के निकट किलोनी स्केप काटता है । उसके ऊपर पहले ही से पुल हैं । इसके अलावा सिंचाई विभाग का कोई नाला इस सड़क को नहीं काटता । अतः पुलिया बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया ।]

गोरखपुर जिले में पवह नाले की सफाई

*४४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में श्रीनगर ताल से जो पानी हर वर्ष फाटक के द्वारा जनवरी में निकाला जाता है जिससे हजारों एकड़ बोरों की खेती किसानों की, पवह नाला के किनारे नुकसान हो जाती है उसके बचाव के लिए क्या इन्तजाम किया गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३७ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारीलाल--

बोरो की फसल के नुकसान को बचाने हेतु पवह नाले की सफाई की एक योजना विचाराधीन है ।

नरौरा बैराज पर कार्य

*४५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि नरौरा, बैराज, जिला बुलन्दशहर में कितने डिवीजन व सब-डिवीजन काम कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक सब-डिवीजन के जिम्मे क्या-क्या कार्य भार है ?

श्री गिरधारीलाल--

नरौरा बैराज, जिला बुलन्दशहर के बनाने में दो डिवीजन पांच-पांच सब-डिवीजनों सहित काम कर रहे हैं । प्रत्येक सब-डिवीजन के जिम्मे के कार्य की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६०० पर)

*४६--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि नरौरा, बैराज, जिला बुलन्दशहर के टूटने के क्या-क्या कारण थे और उपरोक्त बैराज के टूटने से कितने सरकारी धन का अपव्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--

नरौरा, बैराज, जिला बुलन्दशहर टूटा नहीं है । अतएव उसके टूटने के कारण तथा उसके टूटने से सरकारी धन के अपव्यय का प्रश्न नहीं उठता ।

*४७--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सिंचाई मंत्री नरौरा, बैराज की समस्त कार्यवाहियों की जांच के लिए कोई कमेटी बैठाने का विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

चूंकी नरौरा, बैराज की कार्यवाहियों से संबंधित कोई आपत्ति अभी तक नोटिस में नहीं आयी है । अतएव उसकी कार्यवाहियों की जांच के लिए कमेटी बैठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कपूर व श्री श्रीराम सरकारी वकील, लखनऊ

*४८--श्री कमलासिंह यादव तथा श्री नेकराम शर्मा--

क्या यह सत्य है कि श्री कपूर व श्री श्रीराम सहायक सरकारी वकील, लखनऊ अपने पद से पृथक कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अलीजहीर--

जी नहीं, यह सही नहीं है कि श्री कपूर, सहायक सरकारी अधिवक्ता और श्री श्रीराम, सरकारी अधिवक्ता, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच से अपने पदों से पृथक कर दिये गये हैं। श्री कपूर आगे सरकारी आदेश तक के लिए अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। श्री श्रीराम ने स्वयं अपने पद से त्याग-पत्र दिया था जो स्वीकार हो गया है ।

*४९-५१--[हटा दिये गये ।]

*५२—श्री लखीसिंह—

[६ठें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अंग्रेजी में मूलतः पारित अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद

*५३—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कराने के लिए कितने लोगों के अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति करने का आदेश शासन द्वारा किस तिथि को दिया गया और इस आदेश के अधीन कितने-कितने व्यक्ति किस-किस तिथि को नियुक्त किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—

एक सहायक अधीक्षक, एक पुनरीक्षक तथा दो अनुवादकों को २९ अगस्त, १९६४ से मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों के अनुवाद के कार्य में लगाया गया है ।

*५४—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी में मूलतः पारित अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—

लगभग २ वर्ष में ।

*५५—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अंग्रेजी में पारित कितने अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद अक्तूबर-नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६४ में किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

अक्तूबर, १९६४ में ३ ऐक्ट, नवम्बर, १९६४ में ४ ऐक्ट तथा दिसम्बर, १९६४ में ६ ऐक्टों का प्राथमिक अनुवाद किया गया है । साथ ही यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का अनुवाद चलता रहा जिसमें भी १६५ पृष्ठों का अनुवाद हो चुका था । अब तक ७१९ पृष्ठों का प्राथमिक अनुवाद किया जा चुका है तथा अनूदित ऐक्टों की संख्या २५ है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री लखीसिंह—

[हटा दिया गया ।]

उस्का-रावतगंज बांध निर्माण

२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे उस्का-रावतगंज बांध जो गोरखपुर जिले के अन्तर्गत गांवों के बचाव हेतु बनने वाला है उसका क्या प्राक्कलन है तथा यह कार्य कब से शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

"उस्का-रावतगंज" बांध के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है । जिसके पूर्ण होने के पश्चात् ही इसकी अनुमानित लागत मालूम हो सकेगी । यदि यह योजना राज्य

बांध नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो गई है तो आवश्यक धन उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा ।

मुरादाबाद-सम्भल सड़क के गंगा पुल पर दुर्घटनायें

३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद-सम्भल रोड पर गांगन नदी के पुल पर पिछले पांच साल में कितनी बस दुर्घटना हुई हैं और उनके क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कुल तीन दुर्घटनायें हुईं । पुलिस रिपोर्ट में, इनमें से एक दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की असावधानी से, दूसरी आकस्मिक तथा तीसरी अधिक सर्दी होने के कारण हुई बताई गयी है ।

नलकूप योजना

४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आइन्दा माली साल में कितने सरकारी ट्यूब-वेल प्रदेश में लगाये जायेंगे और वह किस-किस जिले में कितने-कितने होंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

७३६ नलकूप लगाने की योजना है । जिलेवार वितरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६०१ पर)

विविध विषय

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें कि आज हरिजन तथा समाज कल्याण योजना पेश होनी है और उसका विवरण आज ही पिजिन होल में रखा मिला है । कम से कम दो-चार रोज पहले मिल जाय तो हम ठीक तरह से अपने विचार तो यहां रख सकें ।

श्री अध्यक्ष—

जब वह अनुदान आयेगा, तब मैं उसे देखूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, ३ सेक्रेटरियों ने....

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी उसे देखा नहीं है पूर्व इसके कि मैं उस पर कुछ कहने के लिए आपको अनुमति दूं, मैं उसे देख लूं....

श्री नेकराम शर्मा—

चीफ सेक्रेटरी ने एक सर्कूलर निकाला है, आप मुझे सुन लें....

श्री अध्यक्ष—

जब मैं उसको देख लूंगा, तभी अनुमति दूंगा....

श्री नेकराम शर्मा—

जब माननीया मुख्य मन्त्री उसको कन्ट्राडिक्ट करें....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (देय धनराशियों की वसूली) नियमावली, १९६४*

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या ३२०१/७ (क)—२—३६-डब्ल्यू-६०, दिनांक ३१ जुलाई, १९६४ के अधीन, दिनांक १६ जनवरी, १९६५ के सरकारी गजट में प्रकाशित, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (देय धनराशियों की वसूली) नियमावली, १९६४ को, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस अधिनियम, १९६० की धारा ७८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १२ फरवरी, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १६ फरवरी, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ फरवरी, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर के मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तगत कुछ सूचनाएं तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे पास आयी है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय बिपिनबिहारी तिवारी, माननीय रक्षपालसिंह का है। नियम ५२ के अन्तर्गत सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, उग्रसेन, शिवनाथ सिंह, केशरीप्रसाद पांडेय, गयाप्रसाद और माननीय दौलतलाल की हैं....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं एक बात कह दूं, कि मेरा जो प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित है....

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं। मन्त्री जी कब बयान देंगे?

---

*छापी नहीं गयी।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

शुक्रवार को रख दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह वक्तव्य तो कल दिया जा सकता है....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अभी तो १०० घायल हुए हैं, फिर २००—४०० हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधवप्रसाद जी का प्रस्ताव इस प्रकार है—"प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर स्थित न्यू विक्टोरिया मिल के शान्त प्रदर्शनकारी मजदूरों पर पुलिस द्वारा बलात किये गये लाठीचार्ज से सम्पूर्ण प्रदेश में उत्तेजना एवं रोष का वातावरण व्याप्त है। मिल बन्द हो गयी है। १०० से अधिक निरीह मजदूर घायल हैं। कुछ की चोटें गम्भीर हैं कि जीवन संकट उत्पन्न है। मिल के मालिक, मजदूरों से छुट्टी में भी जबरन काम लेना चाहते थे। कल रामचन्द्र नामक एक मजदूर द्वारा इन्कार कर देने से प्रबन्धकों द्वारा उसे बन्द कमरे में बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया गया। इससे मजदूरों में उत्तेजना फैल गई। पुलिस द्वारा श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के प्रति विभेदपूर्ण रवैया दिखाने से उत्तेजना और भी बढ़ी, मजदूरों के हथकड़ी लगाई गई जबकि आफिसरों को बिना हथकड़ी पुलिस ने ले जाना चाहा। पुलिस के इस अमानुषिक एवं विद्वेषपूर्ण कृत्य का विरोध किये जाने पर मजदूर बुरी तरह पीटे गये।

पुलिस के इस अमानुषिक अत्याचार से पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले इन मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट है।

अस्तु पुलिस के प्रति घोर उत्तेजना व्याप्त है। सरकार द्वारा अब तक न्यायिक जांच की घोषणा न करने से वातावरण और भी क्षुब्ध होकर सरकार के प्रति अविश्वास की भावना फैल गई है।

अस्तु लोक महत्व की इस सुनिश्चित अविलम्बनीय समस्या पर विचार करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, उग्रसेन, शिवनाथसिंह, केशरीप्रसाद पांडेय, गयाप्रसाद तथा दौलतलाल का भी इसी प्रकार का प्रस्ताव है।

"शहर कानपुर के अन्तर्गत दिनांक १ मार्च, सन् ६५ को मध्याह्न विक्टोरिया मिल की प्रबन्ध समिति के परस्पर दो दलों में आपसी तनावपूर्ण मतभेद होने पर बाहरी गुन्डे बुला, खुलकर झगड़ा हुआ। फलस्वरूप झगड़े में अनगिनत व्यक्तियों को चोटें आयीं जिसमें बहुतों को चोटें आयीं जिसमें बहुतों की हालत चिन्ताजनक है। घायलों में प्रबन्धक समिति के सदस्य डायरेक्टर तथा घटना स्थल पर पहुंची पुलिस के दो थानेदार तथा कई सिपाहियों को भी सख्त चोटें आयीं।

पुलिस ने बड़ी बेरहमी से मिल मजदूरों पर लाठी चार्ज किया जिससे अनेक व्यक्तियों को सख्त चोटें आयी हैं। पुसिल ने झगड़े से सम्बन्धित लगभग ५०–६० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

झगड़े से बड़ा सनसनीपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है और अब भी झगड़े के होने की सम्भावना है। सारे मिल मजदूरों एवं शहर में व्यापक अशान्ति, क्षोभ एवं असन्तोष की भावना व्याप्त है। स्थिति चिन्ताजनक है और विस्फोटक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मन्त्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हैं।"

[श्री अध्यक्ष]

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सन्तसिंह यूसुफ ने उस घटना का विस्तृत वर्णन किया है।

"गत पहली मार्च, सन् १९६५ को कानपुर के न्यू विक्टोरिया मिल में मजदूरों पर भयानक लाठी चार्ज किया गया है और ३० से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना इस प्रकार है कि १७ फरवरी को ६ मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया था। यह मजदूर उन मशीनों पर काम कर रहे थे जो आटोमेटिक तरीके से चलती हैं जिससे दूसरे मजदूरों पर वर्क लोड बढ़ गया और इसी के नतीजे में कल यानी पहली मार्च को मिल मालिकों और मिल के अधिकारियों ने खाने की छुट्टी के समय मजदूरों से काम करने को कहा जिस पर मजदूरों ने काम करने से इन्कार किया। उनके इन्कार पर अधिकारियों ने और खास तौर पर असिस्टेन्ट मैनेजर ने बाहर के दूसरे मजदूरों से जिनकी उस समय डियूटी नहीं थी, जो बी० शिफ्ट में काम करते हैं उनको लाकर काम कराना चाहा जो बिलकुल गैरकानूनी था क्योंकि कानन के अनुसार एक शिफ्ट के मजदूर दूसरी शिफ्ट के समय मिल के अन्दर मशीनों की जगह नहीं जा सकते। उनके आने पर मजदूरों ने विरोध किया। उन बाहर से आए हुए मजदूरों ने जिनमें मिल मालिकों के पिट्ठू और दूसरे लोग थे इस पर इन मालिकों के आदमियों ने उन मजदूरों पर जो ड्यूटी पर थे चाकू से हमला किया और दो मजदूर घायल हो गये जब यह घटना हो गई तो मजदूरों ने जा कर मैनेजर से इसकी शिकायत की, इस पर मिल मालिकों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने आकर भयानक लाठी चार्ज किया, यह लाठी चार्ज मिल के अन्दर भी हुआ और बाहर भी हुआ। इस लाठी चार्ज में करीब दो दर्जन मजदूर घायल हुए, इसके बाद ३० से अधिक मजदूर गिरफ्तार कर लिए गये। इस घटना से आम मजदूरों में काफी बेचैनी फैल गई है। डर है कि यह फैलते फैलते पूरे कानपुर को अपनी लपेट में न ले ले। इसके बाद मिल मालिकों ने ताला बन्दी घोषित कर दी जिसके फलस्वरूप ४–५ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और आम मजदूरों में आतंक का वातावरण फैलाया जा रहा है। यह सब पुलिस और मालिक मिलकर कर रहे हैं।

अतः इस घटना के सम्बन्ध में मैं सम्बन्धित मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह नियम ५२ के अन्तर्गत इस घटना के सम्बन्ध में बतायें कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है।"

आप स्टेटमेन्ट कब दीजिएगा?

श्री बंशीधर पांडेय—

बृहस्पतिवार को दूंगा।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

मेरा भी एक देहरादून से सम्बन्धित प्रस्ताव है, श्रीमन् ....

श्री अध्यक्ष—

अब एक दिन में एक ही हो सकता है, आप कृपा करके बैठें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

शुक्रवार तक तो बहुत लेट हो जायगा। इनके पास रिपोर्ट जरूर आ गई होगी, क्योंकि वहां जो घटना होती है, उसकी रिपोर्ट उसी दिन यहां आ जाती है, यह मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, इसलिए जरा जल्दी कर दें....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, बृहस्पतिवार को दे देंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

जितनी सूचना माननीय मन्त्री जी के पास हो, वह अभी दे दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, दो मर्तबा तो मुनासिब नहीं होगा ।

मन्त्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—

अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो नियम हैं, वे इस प्रकार से हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार सदन के समक्ष रखा था कि "यदि उप-नियम (२) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाय, तो अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे।" इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल से बातचीत हुई, उन्होंने यह विचार प्रकट किया था कि २ दिन रखा जाय। संसदीय मन्त्री का खयाल था कि एक ही दिन रखा जाय। मैंने उन दोनों को सुनकर और जो इस समय हमारे सामने कार्य हो रहा है, उसको देखकर के क्योंकि राज्यपाल के भाषण पर भी काफी बहस हुई और बजट पर सामान्य विवाद भी हो चुका है, इनको देखकर, मैंने एक दिन रखा है, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने यह व्यवस्था की है और अगर आप सबकी अनुमति होगी, तो उस रोज ११ बजे से शाम को ६ बजे तक बहस हो जाय, प्रश्न उस दिन न हों। इस तरह वह करीब २ दिन के बराबर हो जायगा। मैं ४ तारीख के लिए मुकर्रर कर रहा हूं। ४ तारीख को इस पर बहस होगी, ११ बजे से ६ बजे तक, प्रश्न उस दिन नहीं होंगे।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, १२ बजे रात तक कर दीजिए, यह मेरा सुझाव है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, हम लोगों को बहुत कहना है । हम चाहते हैं कि शान्तिपूर्वक अपनी बात सदन के सामने रखें और सरकार के खिलाफ अभियोग पत्र रखें, तो १२ बजे रात तक कर दीजिए, इस तरह से दो दिन भी बच सकता है, और समय भी मिल जाता है, सरकार का भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। यह मेरा प्रस्ताव है और सरकार को भी यह मान्य होगा कि १२ बजे रात तक उस दिन कर दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय सदस्य तो रात को कार्यवाही करने के आदी हैं....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन, इनके यहां तो दिन में डकैती, चोरी होती है ....

श्री अध्यक्ष—

यह सब बातें तो अच्छी नहीं मालूम पड़ती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, विधान सभा की परिपाटी बराबर रही है कि सरकार से सम्बन्धित या विरोधी दलों से सम्बन्धित कुछ कार्य अगर हों सदन में, तो करीब-करीब विरोधी दलों के सभी नेताओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

से बात होती रही है। इधर दो मर्तबा एजेन्डा का संशोधन हुआ है, उसमें भी मेरे खयाल से हम लोगों से कोई राय नहीं ली गई और अनुसूचित जाति वाले ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर जो डेढ़ दिन का समय रखा था, उसे एक दिन कर दिया गया और इसमें भी श्रीमन, नेता विरोधी दल और सरकार की वार्ता के बाद एक दिन का जो निर्णय हुआ है, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं और दो दिन से कम किसी प्रकार से विवाद नहीं होना चाहिए । इसके अलावा श्रीमन जो १ घण्टा सवालों का समय काटा है, उसे भी छोड़ना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि यह सवाल का घण्टा ऐसा महत्वपूर्ण होता है कि जिसके जरिए भी सरकार के कामों की आलोचना होती है, और सही सूचना उसको दी जाती है, तो उसको भी काटना मेरे खयाल से अनुचित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दो दिन से कम बहस नहीं होनी चाहिए और ११ बजे से जो सवालों का घण्टा होता है, वह भी कटना नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं निवेदन कर दूं कि नियम मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उस नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष सब बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चय करता है, वह मैंने आपके सामने अपना निश्चय रख दिया। इसलिए अब उसके ऊपर बहस न कीजिए।

श्री उग्रसेन—

दो दिन से कम तो कभी नहीं हुआ है, न टंडन जी के जमाने में हुआ और न खेर साहब के जमाने में हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात देखने की है कि कभी बजट सेशन में ऐसा नहीं हुआ और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तथा ५ दिन बजट के सामान्य विवाद के बाद इस तरह से प्रस्ताव का आ जाना, यह सब बातें भी ध्यान में रखने की हैं। साथ ही अनुदानों के ऊपर भी हमें बहस करनी है, उनको समाप्त करना है। तो कृपा करके उसे स्वीकार करें।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सही है कि आपको नियम के अनुसार अधिकार है, लेकिन आपने इस सदन में एक परम्परा डाल रखी है और वह बड़ी अच्छी स्वस्थ परम्परा है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जितने विरोधी दल के नेता हैं उनकी राय, मश्विरा लेकर तब कोई निश्चय किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर आपने किसी विरोधी दल के नेता को आमन्त्रित नहीं किया। कार्य-मन्त्रणा समिति में आपने इसे भेज दिया था, उसकी राय लेना तो आपने मुनासिब समझा, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विरोधी दल के अन्य नेताओं की राय लेना आपने मुनासिब नहीं समझा। यह बात बहुत गलत हो रही है और यह बड़े दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने खुद एक सुझाव रखा था और हम तैयार थे कि शनिवार का दिन खाली रहता है, वह दिन हम इसके लिए दे सकते हैं। लेकिन आपने उस सुझाव पर हम लोगों से राय मश्विरा नहीं लिया और अब उलटे प्रश्न का घण्टा और कामरोको प्रस्ताव वगैरह का समय काट रहे हैं। इससे बड़ी असुविधा होगी। इसलिए अभी आप इसके ऊपर समय निर्धारित न करें, तमाम नेताओं की एक बैठक बुला लें, उसमें विचार करके तब समय निश्चित करें।

श्री अध्यक्ष—

अब इस सम्बन्ध में मैं अभी निवेदन कर चुका हूं। मैंने इस सदन में कहा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आप और सरकार बैठकर दोनों कुछ निर्णय कर लें और मुझे उसकी सूचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे दें। यह मैंने स्पष्ट रूप से कहा था। उसके उपरान्त माननीय नेता विरोधी दल मेरे पास आये। उन्होंने बातचीत की और मुझसे कहा कि मैं सबसे बातचीत कर आया हूं। अन्य लोग चाहते थे कि चार दिन हों, लेकिन मैंने कहा कि नहीं दो दिन ठीक हैं। मुझसे पूछा कि आप कितना देना चाहते हैं तो मैंने कहा कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मेरा तो मन एक दिन का है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम समय कुछ बढ़ा दें। उसके बाद मेरे पास माननीय मुख्य मन्त्री आयीं। उन्होंने कहा कि आपको अधिकार है, लेकिन एक दिन से ज्यादा मैं नहीं दे सकती इसलिए कि मैं पांच तारीख को बाहर जा रही हूं, आपका प्रोग्राम ५ तारीख को बाहर का कोई है। ऐसी परिस्थिति में ४ तारीख को मैंने रखा और आप कृपा करके इसको स्वीकार करें। अब प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि जरूर हों तो मुझे आपत्ति कोई नहीं है। कल उस पर विचार कर लीजियेगा कि प्रश्नों को रखें या नहीं। माननीय नेता विरोधी दल का यह भी सुझाव था कि गांव सभाओं के ऊपर जो बहस होनी थी वह बहस नहीं होगी। तो अब सूरत यह है कि ४ तारीख वाला अनुदान ५ तारीख को होगा और गांव सभाओं के ऊपर बहस नहीं होगी। ४ तारीख को अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय नेता विरोधी दल ने दो दिन की प्रार्थना की थी और उस सन्दर्भ में उन्होंने कहा था कि पंचायत राज वाले अनुदान पर बहस नहीं होगी। तो यह भी दो दिन से घटाकर एक दिन कर दिया और वह भी हटा दिया जाय, यह तो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष —

उसमें सूरत यह है कि नियम के अनुसार एक निश्चित अवधि के अन्दर हमें अनुदानों को समाप्त करना है। तो निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें समाप्त करने के लिए हमें कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप और नेता सदन बैठकर निश्चय कर लें। क्योंकि अनुदानों पर किस तरह से बहस होगी, क्या होगा यह तो आप और नेता सदन बैठकर तय कर सकते हैं। यह तो आपके अधिकार की चीज है। वह मेरे अधिकार की चीज नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे क्षमा करेंगे, कि नेता विरोधी दल, नेता सदन और आपसे क्या बात होती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक निमन्त्रण देवकीनन्दन मित्थल का आया है आवास के सम्बन्ध में कि आप अपनी राय देने के लिए बैठक में शामिल हों तो मैं ऐसी कमेटी में आना पसन्द नहीं करता हूं और न मैं आने के लिए तैयार हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

गांव सभाओं के बारे में....

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद बात कर लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने सूचना दी कि चीफ सेक्रेटरी ने एक सर्कूलर निकाला है कि अगर सरकारी कर्मचारी सरकार की आलोचना करेंगे....

श्री अध्यक्ष—

आपने मेरे पास भेजा है। मैं उसे देखकर आपको अनुमति दूंगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न आप तीसरे पहर उठा सकते हैं, जबकि मैं उसे पढ़ लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

हमको तकलीफ है कि जब इस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव आया और आपने १ दिन ही देने का निर्णय किया। इस प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल पर १ दिन देना, हम इससे बहुत दुखी हैं और ५ मिनट के लिए मैं सदन छोड़ता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

आपने बहुत सी बातें नेता विरोधी दल के नाम से कही हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

वह आवेंगे तब कह सकेंगे। आपको अधिकार नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आपको सुनना चाहिए। मुझे अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िए।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---
अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मण्डल

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय न्याय मन्त्री दूसरे नम्बर का प्रस्ताव रखेंगे। इस पर बहस नहीं होगी।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत ६१,९६,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत ६१,९६,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण (क्रमागत्)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

आपने अविश्वास के प्रस्ताव पर समय बताते हुए यह कहा कि माननीय नेता विरोधी दल ने २ दिन मांगे, और आपने अब उनकी अनुपस्थिति में १ दिन का निर्णय दे दिया। नेता विरोधी दल ने इसकी सहमति दे दी थी या नहीं, यह साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा कि माननीय नेता विरोधी दल ने इससे सहमति दे दी। मैंने यह कहा कि उन्होंने यह कहा, संसदीय मन्त्री ने यह कहा, दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निर्णय यह है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, पारसाल भी हम समाज-कल्याण पर नहीं बोल पाये। अब १।। दिन में से आपने काट दिया।

श्री अध्यक्ष—

१।। दिन है तो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं चाहता हूं कि २ दिन बहस के लिए होना चाहिए, लेकिन आपने निर्णय दे दिया। उसके क्षोभ में हम लोग भी ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सब सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन, के अन्तर्गत २,०२,९९,९०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह साधारण मांग है। १ लाख रुपया किताबों की खरीदारी के लिए रखा गया है। कुछ इमारतें बनाने के लिए ७,९०,२०० रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे हिन्दी के लिए क्या हुआ है, क्या हम कर रहे हैं, उसके मुताल्लिक आज सवाल भी किया गया था, उसके जवाब में कहा गया है। बाकी बातें जिस वक्त कट-मोशन आवेंगे, तब मैं आपके सामने तफसील के साथ अर्ज करूंगा।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन में कटौती का प्रस्ताव रखता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने हिन्दी के बारे में जिक्र करके उस पर सवाल का निशान लगाकर उसे बन्द कर दिया। जैसा कि सबको मालूम है, इस प्रदेश का जन-समुदाय हिन्दी बोलता है और हिन्दी ही समझता है। ला कमीशन ने, जो भारत सरकार ने बैठाया था, हाई कोर्ट से पंचायत तक हिन्दी के प्रयोग की सिफारिश की है। आज अदालतों में अंग्रेजी का ही धड़ाधड़ प्रयोग हो रहा है। गांव का आदमी अंग्रेजी के आर्डर्स को दूसरों से हिन्दी कराके समझता है और तब निर्णय करता है कि आगे क्या करना है। अगर अदालतों का सारा काम हिन्दी में होने लगे तो गांव के आदमी का जो रुपया खर्च होता है मुकदमेबाजी में, उसमें से बहुत कुछ बचने लगे और वह समझने भी लगेगा कि उसको न्याय मिल रहा है। लेकिन आजकल तो वहां अंग्रेजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

में बहस होती है, उसकी समझ में नहीं आता कि वकील क्या कह रहा है। गांव का आदमी, बहस होती रहती है और वह हक्का बक्का होकर देखता रहता है। अगर वह बहस को समझ सकता होता तो बहुत से केसेज में आगे की अदालतों में न जाता और इससे मुकदमेंबाजी कम हो जाती।

(इस समय १२ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

इसके उपरान्त आज हम यह भी देखते हैं कि हमें माल, फौजदारी और दीवानी अदालतों के द्वारा न्याय दिया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार आज तक माल की अदालतों में था वह दीवानी और फौजदारी की अदालतों में भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर समय रहते उसको रोका नहीं गया तो वह इतना बढ़ जायगा कि फिर उसका रोकना मुश्किल हो जायगा। आज हम देखते हैं कि अदालतों में जजेज वगैरह भी इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं। उसको रोकने का यही समय है, इसी समय उसको रोका जा सकता है।

आज हमारे प्रदेश में स्टेट की ओर से दवाइयों का मुफ्त प्रबन्ध है, सफाई का भी मुफ्त प्रबन्ध किया जा रहा है, ला एण्ड आर्डर भी कायम करने का प्रबन्ध किया जाता है। न्याय हिन्दू और मुसलमानी राज्यों में मुफ्त मिलता था और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर ला कमीशन जो भारत सरकार ने बैठाया था, उसने यह सिफारिश की थी कि राज्य के अन्दर न्याय मुफ्त होना चाहिये। आज तो देखने में यह आता है कि न्याय के लिये जो थोड़ी सी फीस किसी समय लगायी गयी थी वह टैक्स का रूप धारण करती जा रही है। पहले जो मामूली सी फीस लगायी गयी थी उसको गरीब काश्तकार बरदाश्त कर लेता था, लेकिन आज उसने टैक्स का रूप धारण कर लिया जिसको गरीब बरदाश्त नहीं कर सकता। पहले एक दरख्वास्त ९ आने की दी जाती थी और उस पर सारी कार्यवाही हो जाती थी, लेकिन आज उसके लिये उसको डेढ़ रुपया देना पड़ता है सरकार को, इस व्यापार को बन्द करना चाहिये। भारत सरकार ने एक ला कमीशन बठाया था उसकी रिपोर्ट के वाल्यूम १ में पृष्ट ४९४ पर इस संबंध के आंकड़े दिये हुए हैं कि राज्य सरकार ने १० वर्षों में कितना रुपया वसूल किया, कितना खर्च किया और इस न्याय पर लगी फीस के द्वारा कितना बचाया। वह इस प्रकार है—

वर्ष	आमदनी	खर्च	बचत
	रु०	रु०	रु०
१९३८–३९ ..	१,०७,२६,३१८	७९,३५,१८४	३७,९१,१३२
१९३९–४० ..	१,०८,७९,५१०	७०,५७,६८०	३८,२९,८३०
१९४०–४१ ..	१,१८,५३,८८२	७१,४४,५०२	४७,०९,३८०
१९४१–४२ ..	१,३०,२६,०७७	७२,०२,४१४	५८,२३,६६३
१९४२–४३ ..	१,२९,७४,३४०	७,३८३,२७९	५५,९१,०६१
१९४३–४४ ..	१,५०,८९,८५०	७९,२६,२७६	७१,५३,५७४
१९४४–४५ ..	१८,४३,९०९	८४,४१,९७४	७९,४२,९३५
१९४५–४६ ..	१,६२,७९,२४५	९४,६५,०७१	६८,०४,१७६
१९४६–४७ ..	१,४८,२९,२६९	१,९३,०८५	४७,३६,१८४
१९४७–४८ ..	१,९१,३८,७२२	१,०१,०३,७९०	५०,३४,९३२
१९४८–४९ ..	१,७०,७४,९५४	१,१४,७७,१३४	५५,९७,८२०

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन फिगर्स को देखा जाय तो पता चलता है कि इस विभाग में बचत ही बचत है। जो आंकड़े इस कमेटी ने दिये हैं उनमें फौजदारी अदालतों के जुर्माने शामिल नहीं हैं। अगर वह भी मिला दिये जायं तो यह रकम कई गुना बढ़ जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय के महकमें में इस व्यापार की प्रवृत्ति को रोका जाय। क्योंकि इस प्रदेश का काश्तकार गरीब है, वह इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। तीसरी पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में भी इसी प्रकार के भावों को प्रकट किया गया है।

अब मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि न्याय जितनी जल्दी से जल्दी मिलना चाहिये वह मिल नहीं रहा है। वहां जितने केसेज जाते हैं उतने निर्णय नहीं हो पाते। उनमें से बहुत से मुकदमें छूट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जनता को न्याय मिल नहीं पा रहा है। सन् १९६०-६१ और ६२ की रिपोर्ट से पता चलता है कि जजेज अदालतों में १०,९१३ केसेज सन् १९६० में गये और २४,९९२ ट्राई हुए और उनमें से सजायाब हुए ६,७७०। इस प्रकार से मुल्जिमान के सजा देने का जो नतीजा रहा वह २७ प्रतिशत रहा। सन् १९६१ में आपने जो केसेज सेशन्स में भेजे वह ७,४५४ हैं, ट्राई हुए २६,६६१ और सजा हुई ७,३५५ यानी २८ प्रतिशत हुई। जो मुकदमें पहले से थे उसके अलावा सन् १९६२ में भेजे गये ७,६८९ और जिन पर मुकदमा चला उनकी तादाद है २१,३५५ और सजा होने वाले मुकदमों की तादाद है ८,३१५। इस तरह से यह २७ परसेन्ट आता है। इसी प्रकार से आप देखें कि एक बड़ी संख्या में मुकदमें छूट जाते हैं जिसके कारण बराबर जुर्म बढ़ते जाते हैं। इसका पता लगाने की जरूरत है कि क्या कारण है जिसकी वजह से जुर्म बढ़ते जाते हैं या किस वजह से मुकदमे छूट जाते हैं या कहां कहां गलतियां हैं जिनको सुधारा जाय तो अपने प्रदेश में जुर्म बढ़ने की प्रवृत्ति रुक सकती है। आपने स्वयं बतलाया है कि हाई कोर्ट में बहुत दिनों तक मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं और हैं, उस सूरत में पता लगाने की जरूरत है कि कहां कहां गलतियां दिखलायी पड़ती हैं। मेरे खयाल से इनवेस्टिगेशन में या और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के कारण ही सारे के सारे मुकदमे खराब होते हैं और बहुत से आदमी छूट जाते हैं। सन् १९५७ से लेकर आज तक देखा जाय तो मालूम होगा कि पहले जहां कुछ तादाद जुर्म की ५,६५७ थी वह बढ़ कर सन् १९६२ में हो गयी ८,८२३ और इस प्रकार से ५० प्रतिशत जुर्म बढ़े हैं और आगे बराबर जुर्म करने की तादाद बढ़ती ही जाती है। इसके साथ ही साथ यह बात भी अपनी जगह पर है कि डिस्ट्रिक्ट जज आदि का ट्रांसफर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में या उसके आस पास के डिस्ट्रिक्ट में होता है जिससे उनके पास सिफारिशें पहुंचती हैं, जिनको वे सुनने को बाध्य होते हैं। जैसे इलाहाबाद के रहने वाले जज को पहले बनारस, फैजाबाद, प्रतापगढ़ या मिर्जापुर में रखा गया और फिर बाद में उनको उनके ही होम डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में भेज दिया गया, तो अगर इस तरह से जजों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जायगा तो उसका असर भी इस पर बुरा पड़ सकता है। किसी भी जज का ट्रांसफर करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये।

इसी तरह से शिनाख्त कार्यवाही जो मुल्जिमान की होती है, उसमें भी बहुत लम्बा अरसा लग जाता है। कभी कभी महीने दो महीने तक शिनाख्त नहीं होती है और इस बीच में मुलजिम के घर वाले दारोगा जी के पास पहुंचते हैं या जहां वाक्या हुआ रहता है वहां जाकर मिलते हैं और इस तरह से उनसे सांठ-गांठ कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि शीघ्र से शीघ्र और सही न्याय जो गरीब जनता को मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए फौजदारी के मुकदमों में शीघ्र से शीघ्र शिनाख्त कार्यवाही करायी जाय, जिससे मुकदमें ज्यादा लम्बे न चलें तो जनता को काफी सुविधा मिल सकती है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें। वे १५ मिनट बोल चुके हैं।

श्री हिम्मतसिंह---

जहां तक उच्च न्यायालय की बात है, वहां काम काफी बढ़ गया है । उसके आंकड़े देना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि समय केवल ५ मिनट ही है । सन् १९५६ में बेसिक एरियर मुकदमों की जो तादाद थी, उसके बाद रेगुलर अपीलों की तादाद ९ सालों में लगातार बढ़ती चली गयी है । इसके लिये जजों की संख्या बढ़ाने के बावजूद जितनी जल्दी निर्णय होना चाहिये वह नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि बहुत से हाई कोर्ट के जज निरीक्षण का काम करने चले जाते हैं और वे कोर्ट के लिये पूरा समय नहीं दे पाते । मुझे सूचना मिली है कि हाई कोर्ट के एक जज महोदय गर्मी के दिनों में १५ दिनों के लिये छुट्टी चले गये और नवम्बर, दिसम्बर के महीने में ४४ दिनों तक वे टूर करते रहे । अगर वे हाई कोर्ट में बैठते तो काफी मुकदमों के निर्णय कर सकते थे, लेकिन ऐसा न करके वे ४४ दिन तक बाहर ही रहे, यह बहुत ही दर्दनाक बात है । हाई कोर्ट में मुकदमे तय करने की तादाद बराबर घटती जा रही है । पहले जहां हाई कोर्ट द्वारा २,४५८ मुकदमे तय हुए थे वहां सन् १९६१ में केवल १,७९१ ही मुकदमें तय हुए । तो हाई कोर्ट में मुकदमे तय करने का काम कम होता जा रहा है। जजेज बढ़ाने के पश्चात् भी हाई कोर्ट में मुकदमे कम तय हो रहे हैं और इतना ही नहीं, कुमायूं और गढ़वाल में सर्किट हाउसेज हैं वहां के जज टूर करके मुकदमे तय करते हैं । लेकिन हाई कोर्ट के जजेज उन सर्किट हाउसेज को गर्मियों में पहाड़ जा कर घेर लेते हैं जिससे टूर करके मुकदमे तय करने में बाधा पड़ती है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि गर्मियों में ही पहाड़ों पर ज्यादा मुकदमें तय किये जाते हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जजेज जो गर्मियों में पहाड़ जाकर सर्किट हाउसेज घेर लेते हैं इसको समाप्त करना चाहिये ।

लखनऊ बेंच की इमारत बनायी ताकि कुछ जिले और मिला दिये जायं इस बेंच में। लेकिन हुआ क्या ? वह रिटायरमेन्ट रूम हो गये । मैं चाहूंगा कि या तो पश्चिम के और जिले बढ़ाकर इस बेंच में मिला दिये जायं या इस बेंच को तोड़ कर इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में मिला दिया जाय ।

मुन्सिफ और सिविल जजेज का पे स्केल करीब-करीब एक ही है, और जुडिशियल आफिसर का भी एक-सा ही है। जुडिशियल आफिसर जब ए० डी० एम० (जे) बन जाता है तो उसको १०० रुपये एलाउन्स मिलता है, लेकिन मुन्सिफ जब सिविल जज बनता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। रेवेन्यू आफिसर और ए० डी० एम० (जे) को तो हायर जुडिशियल सर्विस के इम्तहान में बैठने की आज्ञा है, लेकिन मुन्सिफ और सिविल जज को नहीं । मैं चाहूंगा कि उनको भी परमीशन दी जाय ।

इसके अलावा जो अवकाश प्राप्त जजेज हैं उनको किसी ट्रिब्यूनल में न रखा जाय क्योंकि वह समझते हैं कि मंत्री जी की कृपा रहेगी तो हम किसी ट्रिब्यूनल में रिटायर होने के बाद पहुंच जायंगे और इसी लोभ के कारण उनमें कुछ कमी आ सकती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको किसी जगह न रखा जाया करे ।

आज आपके एडवोकेट जनरल आपका साथ नहीं देते हैं । आपके जो मुकदमें उनको करने चाहिये उनको वह नहीं करते हैं । उदाहरण के लिये इलाहाबाद कोतवाली फायरिंग में वह आपके वकील नहीं बने, राम रतन गुप्ता के वकील बन गये, विधान सभा का जब रिफरेंस सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो आपके वकील नहीं बनें । तो ऐसे एडवोकेट जनरल को रखने से क्या फायदा जब वह आपकी सहायता ही नहीं करते हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि एक कलम उनको बरखास्त किया जाय और दूसरा एडवोकेट जनरल रखा जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्,किसी भी समाज के लिये यह आवश्यक है कि न्याय जल्दी मिले और सस्ता मिले । जब न्याय जल्दी और सस्ता मिलेगा तो जनता की आस्था न्याय प्रशासन की तरफ तीव्र होगी और बढ़ेगी। यही न्याय और प्रशासन का मूल सिद्धान्त होना चाहिये। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जिन परिस्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है उसमें कुछ ऐसा अनुभव होने लगा है कि ऐसे लोग जो समाज के दलित लोग कहे जा सकते हैं और जो सही तरीके से न्याय पाने के लिये इच्छा भी रखें फिर भी आर्थिक मजबूरियों के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाता है। किसी भी जनतांत्रिक सरकार का फर्ज होता है कि न्याय सस्ता दिलाया जाय ताकि जनतंत्र में और देश के प्रति लोगों में आस्था हो सके। इस ओर सरकार का कदम और ध्यान जाना चाहिये। श्रीमन्, इसीलिये मैं कहता हूं कि आज जब हम दूसरे देशों को देखते हैं, रूस को देखते हैं और अमरीका को देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि गरीबों के लिये न्याय की व्यवस्था की गयी है। वहां पर अगर गरीबों पर मुकदमें चलाये जाते हैं और उनका सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि वे मुकदमा लड़ सकें, वे अदालतों में जाकर वकील रख सकें, तो वहां पर उनके लिये व्यवस्था की जाती है। आज यदि इस देश और प्रदेशों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो जाय तो उससे लोगों को ज्यादा राहत (रिलीफ) मिलेगा।

दूसरी बात, श्रीमन्, हम यह देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि एक्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएन्स जुडिशियरी के ऊपर जब होता है तो न्याय और प्रशासन में लोगों की श्रद्धा कम होती चली जाती है। हमें साफ तरीके से और जल्दी से जल्दी जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने के लिये कदम उठाने चाहिये। आज हम महसूस करते हैं कि हमारी एक्जीक्यूटिव सेपरेट न होने की वजह से नाना प्रकार का भ्रम हमें चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य हों या उधर के बैठने वाले सदस्य हों, होता है और लोग हमारे न्याय और शासन की आस्था की तरफ अंगुली उठाते हैं। अतः जितनी जल्दी इसकी व्यवस्था हो जाय, उतना ही अच्छा है और मुनासिब है। आज हालत यह नहीं है। मैं बहुत से मुकदमों का, आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक्यूज्ड बयान देता है प्रशासन के इन्फ्लुयेंस के नाते, उस आदमी का पता नहीं है जिस आदमी के खिलाफ बयान दिया जाता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट, जो एक्जीक्यूटिव के प्रशासन के इन्फ्लुएंस में आकर फैसला दे दिया करता है और फैसला आज जब उस आदमी को मालूम होता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही एक दफा है जिससे वह हाई कोर्ट में चला जाता है, उस फैसले को एक्सपन्ज कराने के लिये उस आदमी को मौका नहीं मिला। उसको मालूम भी नहीं हो सका और उसकी जिन्दगी पर लांछन लगा दिया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आज अगर एक सदन का सदस्य या बाहर का कोई भी नागरिक, अगर प्रशासन चाहता है तो उसको इम्पलीकेट करके किसी तरह का भी लांछन उस पर लगा दिया जाता है। क्या न्याय इस तरह से होना चाहिये ? अगर ऐसा होता है तो न्याय और प्रशासन के अन्दर जनता का विश्वास समाप्त होना स्वाभाविक हो जाता है और मैं समझता हूं कि सरकार को उस ओर कदम उठाना चाहिये, उसको देखना चाहिये और समझना चाहिये। आज जब इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि जल्द से जल्द अलगाव हो जाना चाहिये तो मैं समझता हूं कि यह एक सुन्दर सुझाव है और सरकार को बिना किसी देर के उस सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये। आज ए० डी० एम० (जे) जो एक जुडीशियल आफिसर है, उसके कैरेक्टर रोल को आज कमिश्नर लिखता है। अगर वह किसी जिला जज के अन्डर में होता या वह हाई कोर्ट के अन्डर में होता तो उसे जरा भी स्वतंत्र रूप से, इन्डिपेन्डेन्ट तरीके से न्याय करने में दिक्कत न होती, लेकिन आज वह एक्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के अन्दर हमेशा रहता है क्योंकि वह जानता है कि हमारी चरित्र पंजिका में, कहीं हमारे कलक्टर नाखुश हो गये तो उस समय हमारी क्या हालत होगी। इसलिये वह अपनी सर्विस के लिये, अपने जीवन के लिये मजबूर होता है कि उस अधिकारी के कहने के मुताबिक अपना फैसला करे। आज न्याय एक्जीक्यूटिव और शासन से अलग होना चाहिये और अगर ऐसा होता है तभी जनता की श्रद्धा उस न्याय के प्रति होती है ,

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

तीसरी चीज केसेज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड । सरकार को मालूम है कि हाई कोर्ट में लाखों केसेज पड़े हुये हैं, चाहे सिविल नेचर के हों या क्रिमिनल नेचर के । एक-एक केस में ६ साल, ८ साल लग जाते हैं और नागरिकों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती । फिर कानून का जाल ऐसा है कि रोज-बरोज वह बदलते रहते हैं और एक दिन आता है जबकि फैसला होता है तो कानून में तबदीली हो जाती है और उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाता और वह हाई कोर्ट तक जाने के बाद फैसला पा भी गया तो भी वह आदमी फैसले से वंचित हो जाता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि मुकदमों की तादाद बढ़ती जा रही है । आपने एक सिद्धान्त माना था कि ६ महीने के अन्दर हम न्याय कर देंगे, लेकिन होता क्या है ? ६ महीने से ६ साल लग जाते हैं और क्रिमिनल केसेज तक के फैसले नहीं हो पाते हैं, सिविल केसेज को कौन कहे । इस तरफ ध्यान देकर इन केसेज की बढ़ोत्तरी को रोकने की जरूरत है चाहे इसके लिये जजेज को बढ़ाना पड़े ताकि केसेज का फैसला जल्दी हो सके ।

चौथी बात यह है कि कानून डिपार्टमेंट कानून बनाता है । मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि वे एक विधेयक ले आते हैं और साल भर नहीं गुजर पाता है, ६ महीने नहीं गुजर पाते हैं कि उसमें हाई कोर्ट ने कोई नुक्ताचीनी की और फिर संशोधन लाने की जरूरत पड़ गयी । इसके लिये एक ट्रिब्युनल बनाया जाय जो सही तरीके से इन विधेयकों को देखे । उनके तमाम पहलुओं पर विचार करे और कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है, ने जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है, जिसको समय-समय पर वह विभिन्न कान्फ्रेन्सेज के जरिये से घोषित करती है, उन निहित सिद्धान्तों के मुताबिक वह कानून बनें ताकि संशोधन की जरूरत न पड़े । संशोधन की बाकायदा जरूरत भी पड़ती है, लेकिन संशोधनों की बाढ़ आने का मतलब है आपके दिमाग का दिवालियापन । ला कमीशन रिपोर्ट की बात कही गयी । यू० पी० जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी बनाई गयी थी । उसने बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिये हैं । आपने उन फैसलों पर कौन कौन से कदम उठाये हैं इस सिलसिले में भी हमको बताया जाय ।

पांचवीं बात मुझे यह कहनी है कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो गयी है । सारी बहसें अंग्रेजी में होती हैं । विधान के मुताबिक आपने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना है और अंग्रेजी को थ्री लैंगुएजेज फारमूले के हिसाब से सहभाषा माना है । हमारा प्रदेश हिन्दी प्रदेश है । मैं समझता हूं कि आज जो भी टीका की जाय, हाई कोर्ट में हिन्दी को प्रोत्साहन मिलना चाहिये जिससे आम जनता लोक भाषा को समझ कर अपने विचार रख सके और उसे मालूम हो सके कि उसका वकील क्या कह रहा है और उसको सही न्याय मिल सके । मैं समझता हूं कि इस तरफ आपको कदम उठाना चाहिये कि आपके न्याय में हिन्दी को प्रश्रय होना चाहिये क्योंकि लोकशाही के लिये लोक भाषा की नितान्त आवश्यकता है । इस तरफ अगर आप कदम उठायेंगे तो मैं महसूस करूंगा कि आज जो न्याय महंगा हो गया है उसको सस्ता करने की ओर आप आगे बढ़ेंगे । इन शब्दों के साथ मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विरोधी पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, जहां तक न्याय विभाग का सवाल है, जब अंग्रेजों का जमाना था उस समय हम यह महसूस करते थे कि अंग्रेज रोजगार के लिये हिन्दुस्तान में आया है इसलिये वह हर तरह से आमदनी का जरिया पैदा करना चाहता है । नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में आकर कोर्ट फीस की प्रणाली निकाली जो दुनिया के किसी कोने में या देश में हमें नहीं मिलती है । कोर्ट फीस को मंत्री जी दिनों दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं । नतीजा यह हो रहा है कि सक करने की पालिसी, गरीबों के खून चूसने की पालिसी चल रही है । आदमी गांव में परेशान होता है किसी दिक्कत की वजह से या गुंडई

की वजह से तो न्याय चाहता है और अदालत में न्याय लेने जाता है जो आज इतना महंगा हो गया है कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । एक बात मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कोर्ट फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मार्च-अप्रैल में स्टाम्प नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से अगर डेढ़ रुपये का स्टाम्प लगाना होता है तो दो रुपये का लगाना पड़ता है यह कहां का न्याय है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

दूसरी चीज यह है कि न्याय मिलने में भी आजकल भेद भाव होता है । बड़े-बड़े आदमियों के लिये दूसरा न्याय होता है और आम जनता के लिय दूसरा न्याय होता है । मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की ओर सदन का ध्यान आपकी आज्ञा से दिलाना चाहता हूं । आल इंडिया रिपोर्टर १९६० के पृष्ठ ८८२ पर यह रिफ्रेन्स है, नन्दलाल बनाम कन्हैयालाल । वह इस प्रकार है कि:—

"The record discloses that presumably the Magistrate was oppressed by the high status of the respondent and instead of making a sincere attempt to ascertain the truth proceeded to adopt a procedure which is not warranted by the Code of Criminal Procedure and to make an unjudicial approach to the case of the appellant. In the Court of Law there cannot be a double standard one for the highly placed and another for the rest : The Magistrate has no concern with personalities who are parties to the case before him but only with its merits."

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया इसका अनुवाद कर दें ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक केस के संबंध में कहा है । यह केस एडवोकेट जनरल के मुताल्लिक था । इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि मैजिस्ट्रेट एडवोकेट जनरल के लड़के के केस में उसके हाई स्टेटस के कारण से प्रभावित था और इस कारण से मैजिस्ट्रेट ने ट्रुथ को जानने और खोजने की कोशिश नहीं की और एक पक्ष से प्रभावित होने के कारण फैसला दे दिया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट को अपने फैसले के समय किसी पक्ष के स्टेटस व पर्सनालिटी से नहीं संबंध रखना चाहिए । उसे केवल मेरिट पर जाना चाहिए । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की । इसको माननीय मंत्री जी अवश्य पढ़ लें और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन कार्यवाही उस पर नहीं की । इसलिए मैं चाहता हूं वह इसमें सुधार करें....

श्री सैयद अली जहीर—

इसमें तो मैजिस्ट्रेट का मामला है । इससे सरकार और मंत्री का क्या संबंध है ?

श्री कमलासिंह यादव—

यह मैजिस्ट्रेट का मामला है, लेकिन फिर भी आपका मामला है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट आपका है और आप ही इसमें सुधार कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

कांग्रेस पक्ष की तरफ से जो रिमार्क्स हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिए । आप लोग जैसी बातें कह रहे हैं यह आश्चर्य की बात है, आपको भी इस पर गौर करना चाहिए । इस प्रकार की बात आज एक न्याय मंत्री कहें कि यह तो मैजिस्ट्रेट का काम है मेरा नहीं है, यह ठीक नहीं है । सुप्रीम

[श्री कमलासिंह यादव]

कोर्ट का उक्त रिमार्क आपके विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ है। अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे मेरा संबंध नहीं है, तो मेरा कहना है कि जो मंत्री इस प्रकार की बात कहता है उसे मंत्री पद पर सुशोभित नहीं होना चाहिए। आप न्याय मंत्री हैं और जो भी इस प्रकार के रिमार्क्स होतें हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय न्याय मंत्री जी से कि यदि वह इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस जगह पर रहने का उन्हें क्या हक है ? दूसरे को उस पद पर आने दिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि मैं यह देख रहा हूं कि आपकी एक प्रासीक्यूशन ब्रांच है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आपने जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपेरेशन किया है तो उससे भी कोई सुधार नहीं आया है। जब आपसे, सरकार से इस बारे में कहा जाता है तो जवाब मिलता है कि सरकार ने इसको ए० डी० एम० के कंट्रोल में रख दिया है। तो मैंने जिलों में देखा है उन्हें ए०डी०एम० के अन्डर में कर दिये जाने से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सब फार्स है। अंग्रेजों के समय में भी पुलिस जो चाहती थी वही मैजिस्ट्रेट्स करते थे और आज भी ऐसा ही बना हुआ है। पुलिस के हाथ में मैजिस्ट्रेसी खिलौना बना हुआ है और जो पुलिस चाहती है वही मैजिस्ट्रेट करता है।

श्री सैयद अली जहीर—

आप जो कहते हैं कि जूडिशियरी के एक्जीक्यूटिव से सेपेरेशन किये जाने से भी कोई सुधार नहीं होता है, उससे मैं भी बिलकुल सहमत हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा....

एक सदस्य—

तो अब आप इसमें कर क्या रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

बाद में बताऊंगा।

श्री कमलासिंह यादव—

दूसरी चीज यह है श्रीमन्, जहां तक प्रासीक्यूशन का सवाल है, अभी हमारे माननीय सदस्य ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव मूव किया सदन के सामने, उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे केसेज हैं जहां पर एडवोकेट जनरल अपोजिट पार्टी की तरफ से खड़े हुए कोर्ट में....

श्री अधिष्ठाता—

आप शीघ्रता करें, २-३ मिनट और बोल लें।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

सामान्य विवाद में १० मिनट भाषण हो चुका है, इसमें बस २-३ मिनट और बोल लें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एडवोकेट जनरल कभी प्रतापसिंह कैरों और कभी रामरतन गुप्त वाले मामले में प्राइवेट लोगों के बिहाफ पर ऐपियर होते हैं। रामरतन गुप्त वाले मामले में तो उन्हें एलेक्शन कमीशन के बिहाफ में ऐपियर होना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी की लगाम ढीली होने की वजह से वे मनमानी-घरजानी जब चाहे जिसके बिहाफ पर ऐपियर हो जाते हैं। सरकार की तरफ से ऐपियर न हो कर वे प्राइवेट पार्टीज की तरफ से रुपया मिलने पर या और किसी वजह से ऐपियर हो जावें यह बात बहुत अनुचित मालूम होती है।

एक बात यह कि माननीय हरगोविन्दसिंह, गृह मंत्री और एडवोकेट जनरल का एक दफ्तर है, एक ही पिउन है, लेकिन खर्च अलग-अलग दिखाया गया है। पता नहीं यह किस कारण है।

एक बात और, जजेज को फारेन कंट्रीज बिल वगैरह के ड्राफ्ट्स बनाने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। एक साहब को तो जब वहां से ट्रेनिंग ले कर आये और हजारों रुपया उन पर खर्च किया गया, लेकिन उनको जिस काम के लिए बाहर ट्रेन्ड कराया गया उनसे वह काम न ले कर उनको मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। यह बहुत गलत बात है।

यहां पर हम यह देखते हैं कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को सिविल सेशंस जजी के लिए प्रोमोशंस देते हैं। यह सरकार के लिए बिलकुल डिस्क्रीशनरी है कि वह किसको प्रोमोशन दे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की सिफारिशों में इसके लिए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की गयी है। समय कम है इसलिए मैं उसमें इस वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में कमेटी की सिफारिशों को पढ़ लें और उनको अमल में लावें तो मेहरबानी होगी।

प्रासीक्यूशन ब्रांच के बारे में चौथी बात है। ७ एस० पी० पी० हैं उनके अन्डर में पी० पी० और ए० पी० पी० हैं। सन् १९५८ में जुडीशियल कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। उस पर कोई खयाल नहीं किया गया और नतीजा यह है कि अच्छे कैलिबर के आदमी रिक्रूट नहीं होते, अच्छे लाइयर्स आते नहीं हैं और स्टैंडर्ड इसलिए गिरता जा रहा है। अच्छे आदमियों का आना जरूरी है। उनके बारे में एक शिकायत यह है कि हर केस में पैसा लिया जा रहा है। प्राइवेट लिटीगेंट्स जाते हैं तो बगैर फीस के काम नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका हर जिले में एक डाइरेक्टोरेट कायम करें और सारी प्रासीक्यूशन एजेंसी को उसके अन्डर में रखें। इससे वह पुलिस के इंन्फ्लुयेंस से इंडिपेंडेंट हो जायगा, वर्किंग भी सुन्दर होगी और लोगों की दिक्कत भी दूर होगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं चन्द बातें मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं। हमारा लम्बा अनुभव है और बड़े-बड़े कानूनदां की भी राय है कि जो लीगल स्ट्रक्चर इस देश में आयद हैं और जिससे हमारा समाज अनुप्रभावित हो रहा है वह कतई अभिशाप साबित हुआ है। उसका सबूत यह है कि इसके कारण गांवों के हरे-भरे खेतों को उजड़ते हमने अपनी आंखों देखा है। हमने मुल्क के अन्दर लूट-खसोट देखी है, हिन्दुस्तान की तबाही का नक्शा देखा है। आप लखनऊ की रौशनुदौला कचहरी में जाकर या अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज यह कानून की व्यवस्था मुल्क में गरीबों को इंसाफ देने के नाम पर लूट-खसोट करने की व्यवस्था है। बहुत

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

से व्यक्तियों को, बहुत सी हमारी लिटिगेंट पब्लिक को जाना पड़ता है और उनको वहां पर लूटा-खसोटा जाता है। यह उन सब लोगों को पता होगा जिनका परिचय अदालतों से है। मैं यह समझता हूं कि आजादी के बाद तुरन्त ही ला कमीशन का कर्त्तव्य था कि हिन्दुस्तान के लीगल स्ट्रक्चर को हमारे देश के लोगों की जहनियत के मुताबिक तब्दील करता और जो हमारे देश की मान्यतायें हैं उनके मुताबिक उसको तब्दील करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज वे बातें वहां पर लागू की जाती हैं जिनका प्रभाव हमारे लोगों के दिल-दिमाग पर नहीं पड़ता है। मैं अनुभव के आधार आपको बता रहा हूं और हमारे मंत्री महोदय बैरिस्टर और एडवोकेट रह चुके हैं, उनका भी अपना अनुभव होगा कि जब कोई अदालत के सामने खुदा की कसम खाता है तो वह यह समझता है कि खुदा कोई चीज नहीं है और उसके प्रतिकूल उसकी भावना बन जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है उस कानून को अपने देश में मान्यता देना मुल्क के साथ खिलवाड़ करना है। मैं यह समझता हूं कि हमारे संविधान के बन जाने के बाद हमारे जितने भी कानून हैं उनके लिए जरूरी था कि उनको बहुत जल्द तब्दील किया जाय और भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक हमें अपने नये कानून को बनाना था, लेकिन खेद है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी हमारी कानून की अदालतों में उस कानून की, उस रूल और रेगुलेशन की इज्जत होती है जो कानून सड़ा और गला है और जो कानून हमारे संविधान की भावना को समाप्त कर देता है।

आज आप एजुकेशन के दफ्तर में जाइये पायेंगे कि वहां पर उन्हीं पुराने रूल्स और रेगुलेशन्स को लागू किया जाता है। आप कानून की अदालतों में जाइये तो मालूम होगा कि वहां पर भी पुराने कानून को लागू किया जाता है जो हमारी परम्पराओं के अनुकूल नहीं हैं। इस दिशा में ला कमीशन को एलर्ट रहना चाहिए और जल्द से जल्द नये कानून बनाकर लागू करना चाहिए। एक दफा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है उसके मुताबिक हिन्दुस्तान में कोई गरीब आदमी यदि जीवन यापन के साधन से रहित है उसके ऊपर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है, किसी के पास अगर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो उसको भी आप जेल की सींकचों में बन्द कर देते हैं। आज ये कानून ऐसे हैं कि जो हमारे देश में लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए नाकाबिल हैं। मैं समझता हूं जिस देश के अन्दर इस तरह की व्यवस्था कोई कानून करता हो तो उसको फौरन उड़ा देना चाहिए। हमारे संविधान के अन्दर भी साफ दिया गया है कि अगर कोई गरीब आदमी है और वह गरीब के घर पैदा हुआ है तो उसको जेल में बन्द करना कोई इंसाफ की बात नहीं है और न यह किसी मुल्क का इंसाफ है।

हमारे बहुत से साथी हमारे साथ जेल में रहे हैं। राममूर्ति जी इस समय हाउस में उपस्थित हैं। वे जानते होंगे कि जेल मैनुअल की दफा ५२ है उसके मुताबिक कोई आदमी जेल के अन्दर न तो खुशी मना सकता है और न कोई गम मना सकता है, मेरी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से ऐसे काले कानून आज देश की आजादी के बाद भी यहां लागू हैं। हमारे जंगलात के कानून ऐसे हैं जो हमारी आजादी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात करते हैं। जिन लोगों की जिंदगी खेती-बाड़ी पर निर्भर है, हमारा विश्वास है कि बिना जानवर के किसान अपने गांवों में कभी सुखी नहीं रख सकते। जानवरों और खेती-बाड़ी का बड़ा घनिष्ट संबंध है। देहरादून के वकील साहब बैठे हैं, वह जानते हैं कि जो उनके राइट्स हैं उससे आज किसान महरूम है। सरकार के आर्डर्स जाया करते हैं, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, उनको आनर किया जाना चाहिए वरना ये कैसी सरकार है? वहां लोगों को भेड़-बकरी रखने की व्यवस्था न हो, यह कौन सी बुद्धिमानी का काम हो रहा है? अगर सरकार के आर्डर्स तामील नहीं होते तो यह एक पैरेलाइज्ड सरकार है, अपंगु सरकार है और एक हिजड़ा सरकार हो गयी। अगर इस सरकार का आदर और सम्मान कायम रखना चाहते हैं तो आर्डर्स का पालन किया जाना आवश्यक है।

हमारे डिपार्टमेंटल आफिसर्स में आज पावर्स के प्रति बड़ी राइवलरी है। इस पावर की राइवलरी और पावर की हंगर के द्वारा आम मुल्क के विनाश करने का किसी को कोई

अधिकार नहीं है । सरकार की तरफ से जनता को सुखी बनाने और समृद्धि के लिए हुक्म जाया करते हैं, उनका आदर और सम्मान किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

मैंने पहले भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि बहुत से ऐसे कानून हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड जिनको सरल व शार्टेन करने की जरूरत है । इन कानूनों के कारण बहुत समय वेस्ट होता है । वकील साहब खुद जानते हैं । पहले आर्डर शीट को पढ़िए, हमारे क्लाइंट्स को हर तरह से हैरासमेंट होता है । फीस देनी पड़ती है, यह कोई लूट-खसोट से कम नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर आप अपने मुल्क के ट्रेडीशंस को कायम रखना चाहते हैं तो ऐसे काले कानूनों को खत्म करने की जरूरत है ।

श्री रामसिंह (जिला एटा)——

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी राय आपके सम्मुख रखता हूं । जहां तक इस कोर्ट फीस का संबंध है, जितनी पहले थी उससे आज कई गुना बढ़ गयी है । बढ़ जाने के अलावा कुछ स्टाम्प्स ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं । अपने इस आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत हर ऐप्लीकेशन पर ५ नये पैसे की कोर्टफीस प्रोवाइडेड है, उसका अबतक कोई स्टाम्प अपनी सरकार ने नहीं बनाया है ।

एक सदस्य——

बनाया कैसे नहीं है, बनाया है ।

श्री रामसिंह (एटा)——

अगर बना है तो एटा जिले में तो आया नहीं है । इस वजह से २५ नये पैसे का लगाना पड़ता है । जितनी दरख्वास्तें रिन्युवल की आती हैं तो उन पर भी २५ पैसे का ही लगाना पड़ता है । जहां तक दीवानी के केसेज का संबंध है, हर जगह पर कोर्ट-फीस बढ़ गयी है । एक फिक्स्ड रेट जो डिक्लेरेशन और इंजंक्शन पर साढ़े बाईस रुपये का है जो कि ५ रुपया या और कम आता था । हिन्दू मैरेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत हमको जहां पहले अप्लीकेशन फी देनी पड़ती थी उस जगह पर अब साढ़े ३७ रुपये कोर्ट-फीस देनी पड़ती है । यानी सवा रुपये की जगह साढ़े ३७ रुपये हो गयी है । रिट्स की पहले फीस ५ रुपया थी, अब ५५ रुपया हो गयी है, कई गुना ये बढ़ गयी हैं । तो सभी जगह पर बहुत ज्यादा पहले से हो गयी है जिससे न्याय एक व्यापार के रूप में परिणत हो गया है ।

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत दफा ३४ है जिसमें भ्रष्टाचार दिन-दहाड़े होता है । इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि विरासतन अपना हक जाहिर करता है उसके ऊपर या और किसी तरह से या जो बैनामे और हिबहनामे के जरिए से हक जाहिर करता है तो वह अप्लीकेशन तहसीलदार के यहां देता है । उसके यहां इन्क्वायरी होने के बाद वह एस० डी० एम० के यहां जाती है और वह उस पर फाइनल आर्डर करता है । जो अप्लीकेशंस विरासत पर होती हैं जिनमें कोई विवाद नहीं होता है तो उनको तो कानूनगो तय करते हैं और विवादग्रस्त को तहसीलदार तय करते हैं । इनके प्रोसीजर के संबंध में पहले जो सेक्शंस थे वह बिलकुल उल्टे ही हो गये हैं । जहां पर बैनामे और हिबहनामे का सवाल है वह तो रजिस्टर्ड डाकुमेंट्स होते हैं, विवाद का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि तहसीलदार और एस० डी० एम० को कैंसिल करने की पावर नहीं है तो वहां पर एस० डी० एम० के बजाय तहसीलदार करे तो अच्छा है । जहां पर विरासत का कोई झगड़ा पैदा होता है और शायद ही विरासत का केस होता हो जहां झगड़ा न होता हो तो ऐसे केसेज में तहसीलदार तय करे तो यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । उनको पूरे अख्तियारात दे दिये गये हैं कि वह अपने मनमाने तरीके से तय कर दें । जजमेंट्स हमने देखे हैं कि केस तो था करेक्शन आफ पेपर्स का उन्होंने डिसाइड कर दिया विरासत के मद में । तो इस तरह से भ्रष्टाचार की एक नींव पड़ गयी है । मेरा सजेशन है कि इस ऐक्ट में जहां

[श्री रामसिंह (एटा)]

तक सेल्स-डीड का सवाल है वह तहसीलदार ही तय कर दें, लेकिन विरासत के केसेज को एस० डी० एम० ही देखें। इस तरह से उसको मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सेक्शन ३४ को बदलने की जरूरत है।

इसके बाद कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में जो दफा ४९ है वह कानून के मुताबिक नहीं मालूम पड़ती है।

श्री सैयद अलीजहीर—

अधिष्ठाता महोदय, इन बातों का तो रेवेन्यु से ज्यादा संबंध है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे आप कहना चाहें तो कहें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया प्रशासन से संबंधित ग्रांट पर ही अपने विचार व्यक्त करें तो अच्छा हो।

श्री रामसिंह (एटा)—

यह जो इस तरह से बना हुआ है उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसी को मैंने बताया है।

अब जहां तक मुकदमों का सवाल है, मैंने कचहरियों में देखा है, जो मुकदमे फौजदारी के होते हैं वे तो ज्यादातर ६ महीनों के अन्दर तय हो जाते हैं, मगर माल से संबंधित मुकदमों में बड़ी देर लगती है। जितने मुकदमे एस० डी० एम० की कोर्ट में होते हैं या दूसरे और कोर्ट्स में होते हैं उनके फैसलों में बड़ी देर लगती है। २–३ साल तक लग जाते हैं। मुवक्किल आते हैं, दिन भर परेशान होकर चले जाते हैं और तारीख पड़ जाती है। तारीख पर तारीख पड़ती जाती है। इसलिए ऐसा प्रोसीजर बनना चाहिए जिससे मुकदमे जल्दी फैसल हो सकें। स्टेटमेंट जो बनते हैं, उनके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को कोई ऐसी कार्यवाही करना चाहिए जिससे मुकदमों का फैसला जल्दी हो ताकि सही न्याय मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, न्याय विभाग से संबंधित जो ग्रांट प्रस्तुत की गयी है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, सुझाव के तौर पर मैं कुछ बातें माननीय न्याय मंत्री के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी माननीय कमलासिंह जी जब यह कह रहे थे कि न्याय प्रशासन को एग्जीक्यूटिव से पृथक् किया जाय तो माननीय न्याय मंत्री जी ने बड़े तपाक से खड़े हो कर यह बात कही कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का पृथकीकरण नहीं हुआ है। अभी तक तो सरकार यही कहती रही थी कि हमने दोनों को अलग कर दिया है और अभी ४–५ दिन पहले कुछ सवालों के द्वारा यह पूछा भी गया था कि क्या दिक्कत है यदि आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को हाईकोर्ट के मातहत कर दें। मेरी समझ में नहीं आता है कि उनकी कैरेक्टर रोल की एन्ट्री हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज और कमिश्नर करे, इसमें क्या खर्च बढ़ जावेगा? क्या मातहत कर देने से खर्च बढ़ गया है? माननीय न्याय मंत्री से इतना भी न हुआ कि जुडीशियरी से एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जाता। मैं आपके द्वारा माननीय सदन की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सरकार की ये कांस्टेंट (लगातार) एफर्ट्स (प्रयत्न) रहती हैं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुडीशियल आफिसर्स से जुडीशियरी के आफिसर्स को भी जितना डिमारेलाईज किया जा सकता है उतना डिमारेलाईज किया जाय। इसकी मैं एक दो मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इन्हीं हायर जुडीशियल सर्विस रूल्स के संबंध में है। उनमें आपके सदन की एक कमेटी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी। उस कमेटी द्वारा माननीय न्याय मंत्री और मुख्य मंत्री तथा सरकार को भी सुझाव भेजे गये कि हायर जुडीशियल सर्विस रूल्स का जो रूल ५ है वह डिस्क्रिमिनेटरी है और कांस्टीट्यूशनली व्याइड है परन्तु हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिट हो गया तो उनका फैसला रोक दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप सदन के सामने रूल (५) तो स्पष्ट कर दें।

श्री बृजभूषणशरण—

मैं अभी कर देता हूं। तो वैसे हमारी कोई बात सुनन के लिए तैयार नहीं। मोटी सी बात है। जुडीशियल आफिसर्स को फिफ्थ कालमिस्ट सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जुडीशियल मेजिस्ट्रेट जो एक्जीक्यूटिव के मातहत गुजर चुके हैं वे सिविल जज हो जावेंगे मगर वही कम्पटीशन जो मुंसिफ़ और एडीशनल सिविल जज हैं, उनके लिए हायर जुडीशियल सर्विस के लिए ओपेन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस इम्तहान के लिए पी० सी० एस० बैठ सकता है तो उसके लिए जुडीशियल सर्विस का क्यों नहीं बैठ सकता। मेरी समझ में तो न्याय मंत्री को पता भी नहीं लगता इन न्यायिक बातों का। यह अच्छा जुडीशियल डिपार्टमेंट है जिसमें इन सब बातों पर विचार होता है।

दूसरी बात यह है कि जुडीशियल आफिसर्स को पालिटिशियन बनाया जाय यह भी बिल्कुल संविधान के खिलाफ रिकमेंडेशन है। हर मुंसिफ इनकी तरफ मुंह ताकता रहता है कि किसी तरह से उसको भी डी० एल० आर० बना लें। उसका कारण यह है कि यहां हेडक्वार्टर पर आ जाने से उसको सब ऐडवान्टेजेज मिलते हैं। मिनिस्टर्स से मुलाकात का समय मिलता है। तो इस तरह से हर सिविल जज, ऐडीशनल जज यही देखता रहता है कि वह लखनऊ पहुंच जाय तो यही डिमारेलाइज करने का दूसरा तरीका है। उन जजेज से हम उम्मीद करते हैं कि वे निष्पक्ष न्याय दें परन्तु यहां होता यह है कि हम उन्हें मंत्रियों के पीछे घुमवातें हैं। इसी तरह से एल० आर० मैनुअल को देखें तो उसमें हमने सिफारिशें की हैं कि अगर गवर्नमेंट आर्डर करे तो किसी मुकदमे में भी उसे पैरवी करनी पड़ेगी। एक सीनियर जज जिसे आप एल० आर० मुकर्रर कर देते हैं उसे पुलिस के केस में भी पैरवी करनी पड़ेगी। इस तरह हम अंग्रेजों के जमाने से उन्हीं लकीरों को पीटते चले आ रहे हैं। अभी जैसा कि माननीय श्री कमला सिंह जी ने बताया कि ड्राफ्टिंग की ट्रेनिंग के लिये अमेरिका भेजा। मेरा कहना यह है कि आप जो सेक्रटेरियट के लोग है क्यों नहीं इसके लिये उनको ही ट्रेन्ड करते। आप डिस्ट्रिक्ट जजेज को यहां लाकर बैठा देते हैं और ५ साल तक जब उनका ब्रेन वाश हो जाय, तो फिर उनको कहीं फैजाबाद भेज देते है, कहीं और भेज देते हैं, यह ग़लत बात है। इसी तरह जुडिशियल सर्विस रूल्स के बारे में हमने बताया कि उनमें इन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता, यह सब एनामालीज है, इनको दूर करना चाहिए। अकबर बादशाह और औरंगजेब के जमाने का जिक्र किया कि उनके जमाने में न्याय मुफ्त मिलता था, तो उसमें तो एक माननीय मित्र ने सही बात कही कि अकबर बादशाह के जमाने में न्याय तो मुफ्त मिलता था, लेकिन न्याय मिलता कहां था? वहां तो बिल्कुल खामख्वाह जिसको चाहे फांसी पर लटका दिया। तो आप कोर्टफीस जितनी लेते हैं, उतनी लीजिए, मगर कोई ऐसी व्यवस्था तो कीजिए कि मुकदमा शीघ्र तय हो सके। आज ऐरियर्स बढ़ते जा रहे है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां ऐरियर्स होते जा रहे हैं, सिविल जज के यहां एरियर्स होते जा रहे हैं। हर जगह एरियर्स

[श्री बृजभूषणशरण]

बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए आपको खासतौर से सोचना पड़ेगा, यह तो मैं मानता हूं कि आप अदालत में जाकर खुद जज बन कर नहीं बैठ सकते, लेकिन कुछ इस तरह के तरीके या कानून तो बना सकते हैं, जिससे देरी न हो।

फौजदारी की अदालतों में जो जमानत का कानून है, वह तो बिलकुल ठीक है, ताकि बेगुनाह आदमी को सजा न मिल जाय, इसलिए उसका तो स्टे होना जरूरी है, लेकिन दिवानी के अदालतों में स्टे की क्या जरूरत है? हर एक छोटे-मोटे मामले में स्टे मीनह्वाइल का आर्डर हो जाता है। मैं आपको एक मोटी मिसाल देना चाहता हूं कि मान्यवर, एक मुकदमे में २३ जुलाई, १९५१ को जो आज कल बिजली आयुक्त है, श्री बी० बी० लाल साहब, जब देहरादून में कलेक्टर थे, तो उन्होंने वह सेक्शन ३ की परमीशन देकर आये थे, मकान की बेदखली करने की और आज तक उसका इशू पूरा पूरा फ्रेम नहीं हो पाया। कहां २३ जुलाई, १९५१ और कहां आज मार्च, १९६५ में हम यह बहस कर रहे हैं। अभी तक उसका ईशू फ्रेम नहीं हुआ है। १४–१५ साल से मुकदमा पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप कानून में कोई तब्दीली कीजिए कि जिसके जरिये से जल्दी से मुकदमा का डिस्पोजल, हो सके। हाई कोर्ट में भी यही बात है, जहां कोई रिट दाखिल कीजिए, फौरन स्टे मीन ह्वाइल का आर्डर किया जाता है। मैं नहीं कहता कि हस यहां पर बैठे हाई कोट के जजेज की नुक्ताचीनी करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना कानून तो बदलिये। अभी हमारे दोस्त जो रावत जी ने कहा था एक कलंक है, कि १०९ में उठाकर किसी को आपने बन्द कर दिया और कह दिया कि इसके पास कोई रोजी का जरिया नहीं है, मीन्स आफ लिव्लीहुड नहीं है, तो आपको कानून में अदल-बदल करनी चाहिए और उसके लिए वह घिसापिटा तरीका ठीक नहीं है कि आपने २–३ पुराने डिस्ट्रिक्ट जजेज बैठाल दिये और उसका नाम ला कमीशन रख देते हैं। यह जो कूसट आदमी को आप बैठाल देते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता, ऐसे आदमी को रखें, कि जिन्हें यह उम्मीद हो कि कानून के मातहत उनको आगे चल कर काम करना पड़ेगा।

मान्यवर, कुछ और बातें हैं, लेकिन फिर कुछ मौका आएगा, तो फिर मैं उन्हें न्याय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करूंगा। अब आपने लाल बत्ती कर दी है, इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बातें तो वही सब पुरानी हैं जो बार बार कही जाती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार टस से मस नहीं होती और न वह खुद ही समझ पाती है कि इसकी हालत क्या है। इन्साफ का जहां तक ताल्लुक है सरकार ही अगर उसमें सौदेबाजी करना शुरू करे, सरकार ही उसे कीमतन बेंचना शुरू करे तो जनता बेचारी दबती ही रहेगी। इसका हल सरकार के पास होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी नित्य प्रति सरकार स्वयं बढ़ा रही है उसका नतीजा उन लोगों के ऊपर भी पड़ता है जिन्हें सरकार ने इन्साफ देने के लिए नियत कर रखा है। जो लोग इन्साफ हासिल करने के लिए कचहरियों में जाते हैं पहले तो वह स्वयं ही पिटे हुए होते हैं फिर वकीलों द्वारा पिटते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट्स द्वारा पिटते हैं और फिर अपीलेट कोर्ट्स में पिटते हैं। आखिर तक जब तक कि वह समझ पायें कि हमें इन्साफ मिलेगा तब तक उनका कचूमर निकाल कर रख दिया जाता है। जो सरकार जनता को सस्ता इन्साफ नहीं दे सकती है उस सरकार का रहना बिलकुल निराधार है।

प्रान्त के अन्दर सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट है। किसी वक्त में अंग्रेज यहां जजेज हुआ करते थे जो उस कुर्सी पर बैठने के बाद यह भूल जाते थे कि वह किस जाति बिरादरी क हैं, किस देश के रहने वाले हैं, किस कुनबे से ताल्लुक रखते हैं। उनके सामने एक आदर्श और उद्देश्य होता था इन्साफ करने का और इन्साफ देने का। लेकिन आज आप भलीभांति जानते हैं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाई कोर्ट के जजेज के अप्वाइन्टमेंट्स जिस पोलिटिकल नजरिये से किये जाते हैं, उससे इन्साफ मिलने की गुंजाइश कैसे हो सकती है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के जजेज की कुछ नियुक्तियां हुईं, उनमें एम०एल० सीज० भी लिये गए, राजनीतिक पीड़ित होने के नाते या गुटबन्दी के नाते और दूसरी नियुक्तियां जो हुई हैं उनमें बहुत सी बिरादरी के नाते या कांग्रेस के अन्दर एक गुट के होने के नाते। अगर यह कहा जाय कि यह लोग जनता को न्याय दे पायेंगे तो यह समझ में आने वाली बात नहीं हो सकती है और न जनता का विश्वास उसमें हो सकता है। एडवोकेट जनरल की बात को बार बार दुहराने से कोई खास असर मैं समझता हूं नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार कैरों वाले केस में पार्टी है और एडवोकेट जनरल उस कपूर और कैरों के केस में कैरों साहब की पैरवी अदालत के अन्दर करें तो इससे प्रान्त के अन्दर लोगों का जीवन दूभर नहीं होगा तो और क्या होगा? रामरतन गुप्ता को भी आप जानते ही हैं, वह किसी से भूली हुई चीज नहीं है, उनकी पैरवी करने वह जाते हैं और जहां प्रान्त के अन्दर इस सदन की इज्जत और मर्यादा का सवाल उठा, वहां वह कहते हैं कि हम नहीं जायेंगे। आपको याद होगा जिन दिनों जूडिशियरी और लेजिस्लेचर का प्रश्न उठा था, उन दिनों हमारे एडवोकेट जनरल ने क्या पार्ट प्ले किया, दोनों तरफ को खुश करने की कोशिश की, उधर जजेज से कहा कि मेरी पहुंच इतनी है कि मैं जो चाहूं करवा सकता हूं और इधर आपको याद होगा कि गेस्ट हाउस में जिस वक्त मुख्य मंत्री ने जजेज को बुलाया था, उसमें उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया था? इधर हम लोगों से जो संशोधन दिलवाया, वह तमाम कहानी किसी को भूली नहीं होगी। उसके बाद भी हमें यह विश्वास होना चाहिए था कि हमारे प्रान्त का एडवोकेट जनरल हमारे केस को प्लीड करेगा और करना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है कि उनमें विश्वास नहीं था और उन्हें अपना विश्वासपात्र नहीं बनाया। हमने जाकर बम्बई के एडवोकेट जनरल की शरण ली और कितनी खूबसूरती से उन्होंने हमारे केस को प्लीड किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी व्यू लिया हो, लेकिन हिन्दुस्तान वाले ही नहीं विदेश वाले भी मानेंगे जो कार्य इस लेजिस्लेचर के हित में था और जिस खूबसूरती से उन्होंने इस केस को प्लीड किया वह भूलने की बात नहीं ह। लेकिन जो कार्य हमारे एडवोकेट जनरल ने किया उससे अधिक घृणात्मक और कोई चीज नहीं हो सकती।

यह जो आप आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाते हैं उनके बारे में बार-बार मैं दुहराना नहीं चाहता, लेकिन यह एक चीज अर्ज कर देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल्स के द्वारा जो कार्यवाही होती ह, उसकी आप जांच करायें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ज्यादा नहीं तो ८० प्रतिशत जरूर ऐसे गवर्नमेंट कौंसिल्स हैं जो ऐसे हैं कि दोनों तरफ से पैसा लेते हैं। एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से लेते हैं। बहुत से ऐसे ईमानदार भी हैं कि जिधर का मुकदमे वाला हार जाता है, उसको पैसा लौटाल देते हैं। हाई कोर्ट के जजेज जो जिलों के अन्दर इंसपेक्शन के लिये जाते हैं उनके बारे में आप इस बात की इंक्वायरी करा लीजिये कि वे वहां पर कितनी दावतें और कितनी चाय पार्टी पाते हैं।

श्री सैयदअली जहीर—

डी० जी० सी० तो गवर्नमेंट का वकील होता है। वह दोनों तरफ से कैसे ले सकता है?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

एक तो सरकार की तरफ से २५,३०, ३६ रुपया जो उसको कानूनी हक़ होता है वह तो उसको प्रति दिन के हिसाब से मिलता ही है। उसको तो वह कुछ मानता ही नहीं। जिस आदमी की कम्प्लेन्ट के उपर वह मुकदमा दायर होता है, जब मुकदमा सेशन कोर्ट में जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वह उस मुकदमें को खुद करे अथवा किसी खास वकील को दे दे। उसके लिये वह पार्टी उसको पैसा देती है। दूसरी पार्टी उसको इसलिये पैसा देती है कि वह फलां फलां कागज कोर्ट में पेश न होने दे। इसके लिये माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उदाहरण भी दे दूंगा।

श्री सैयद अलीजहीर—

इस मामले में मैं बहुत सख्ती कर रहा हूं। इस किस्म की अगर कोई मिसाल आपको मालूम हो तो यकीनन आप मेरे इल्म में लाइये।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस बात पर बजाय इस सदन में और समय लेने के आप माननीय मंत्री जी को बता दें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मुझे खुशी है कि आप इस बात के लिये तैयार हो गये। अधिष्ठाता महोदय, अदालत के अन्दर जब कोई जाता है तो इस विश्वास के साथ जाता है कि वहां पर हमें न्याय मिलेगा। वहां पर बहुत से जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स के सामने केसेज जाते हैं और उनकी सुनवाई शुरू होती है तो डेट पर डेट पोस्टपोन होते जाते हैं और एक-एक दिन इतने केसेज लगा दिये जाते हैं कि जिनको एक दिन में सुना जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव सा हो जाता है। केस लगाता है पेशकार और बिना रुपया सवा रुपया लिये उस काम को नहीं करता, इसक लिये उसे इतना तो देना ही पड़ता है। वह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जितने कागजात देखने व कापीज फ्री मिलने की बात है, इसमें भी काफी भ्रष्टाचार है। अभी ५—७ दिन ही की बात है, हमारे यहां इस तरह का केस हुआ है। एक सज्जन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने वकील के हाथ में एक कागज की कापी देख कर कहा कि यह आपको कहां से मिली, तो वकील ने कहा कि इसको मैं बतलाने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन कापी मेरे पास है। तो यह कोई कहानी नहीं है बल्कि रोजाना की बात है। जब सरकार ने यह मुकर्रर कर रखा है कि एक दिन के लिये या इतने घंटे के लिय इतना देकर कोई फाइल देख सकता है या कापी ले सकता है, तो इसमें कहना ही क्या है। मैं माननीय मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि व बैरिस्टर हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने वकालत सिखलायी होगी, क्या वे बतला सकते हैं कि कहीं भी बगैर रुपया सवा रुपया दिये हुए उनका काम चल सका हो या कानूनी तौर पर कोई फाइल देखी जा सकी हो? यह भी देखने की बात है कि कितनी आमदनी आपको उन फाइलों से होती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिय उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, यहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जहां तक सम्बन्ध है, संविधान के निर्माताओं ने भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कल्पना की थी और जितने राजनीतिक विचारक और राजनीतिक दर्शनशास्त्री हुए हैं उन्होंने सदैव ही इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि प्रत्येक सभ्य समाज में अथवा उस शासन में जहां कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुख्य मूल्य बहुत ज्यादा है, वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। कोई भी प्रजातंत्र, कोई भी राष्ट्र हो, अगर वह सचमुच ही अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राष्ट्रीय सम्पत्ति और राष्ट्रीय थाती समझत ह तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिना वह थाती सुरक्षित नहीं रह सकती है, यह राजनीतिक दर्शन शास्त्रियों का सदैव ही ऐसा कथन रहा है। आज हम इस बात के लिय प्रयत्नशील अवश्य हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो जाय। कार्यपालिका का प्रभाव इतना जबरदस्त न हो, इतना दुरूह न हो कि वह न्यायपालिका का गला घोंट दे। हम इस बात के समर्थक हैं और इसलिये जब जब यह मांग आयी न्यायपालिका और कार्यपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व की, उसके स्वतंत्र कार्यक्षेत्र की तो, उस मांग का हमने सदैव समर्थन किया है। लेकिन मेरी दृष्टि से इससे भी अधिक वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि चाहे आप संविधान के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दें, चाहे आप विधेयक के बल से उसको अलग कर दें, लेकिन यदि

आपके दिमाग में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है तो न्यायपालिका कदापि स्वतंत्र नहीं रह सकती। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हम सचमुच न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो हमें अमेरिका के संविधान और अमेरिकन परम्पराओं का आदर करना पड़ेगा, समुचित आदर करना पड़ेगा। वहां जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वह कोई भी पद कार्यपालिका में प्राप्त नहीं कर सकता।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

लेकिन हमारे यहां ऐसे आये दिन उदाहरण मिलते हैं जब चीफ जस्टिस को गवर्नर या ऐम्बेसेडर बना दिया जाता है एक जज को केबिनेट का सदस्य बना लिया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर यह राजनीतिक प्रलोभन न्यायपालिका के जजेज के सामने रहेगा तो संविधान और विधेयक उनकी ईमानदारी की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिये आवश्यक है कि यदि हम सचमुच स्वतंत्र न्यायपालिका, ईमानदार और निष्पक्ष न्यायपालिका चाहते हैं तो हमको अपने आचरण, दिमाग तथा हृदय में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना होगा, एक कनविक्शन रखना होगा अपने दिल में।

लीगल रिमेम्बरेंसर, असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंसर, एक माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा कि पद भी राजनीतिक प्रलोभन हैं। यहां का जो स्टाफ़ है यह राजनीतिक प्रलोभन है, चाहे जानबूझ कर किया हो अथवा नहीं, लेकिन जरूर इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ता है जब आप किसी को लीगल रिमेम्बरेंसर के पद पर लाते हैं, मंत्री या सचिव के पद पर लाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सरकार के क्षेत्र में है, जो इनके बस में है, उसमें जरूर यह प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में कोई ऐसा कार्य न हो जिससे न्यायपालिका का ईमान डिग जाय। आज सब जानते हैं कि उच्च से उच्च न्यायपालिका की, चाहे यहां हो या इलाहाबाद में हो, आज परम्परायें वह नहीं रहीं जो रहा करती थीं। आज उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी तथा न्याय में सन्देह प्रकट किये जाने लगे हैं। क्यों? मैं जानता हूं और यह सर्वविदित भी है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं कि जिस समय जिला परिषद् के अध्यक्षों का प्रश्न पेश था एक उच्च अदालत में उस समय प्रभावित करने का प्रयास किया गया हाई कोर्ट के जजेज को। यह क्यों होता है? अगर हम स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, आत्मा से स्वीकार करते हैं तो जिला परिषद् के अध्यक्ष जहन्नुम में चले जाते, वे फिर चुन लिये जाते, सम्भव है उनमें से १०, ५ आदमी न चुने जाते, लेकिन अगर हम सचमुच उससे अलग रहते और जजों को प्रभावित करने की कोशिश न की होती तो हमने उस उसूल के प्रति भारी उपकार किया होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिये मैं कह रहा था कि आज यह स्थिति है कि बड़ी से बड़ी उच्च न्यायपालिका की निष्पक्षता और न्याय प्रवृत्ति में सन्देह होने लगा है और अगर सरकार ने राजनीतिक प्रलोभन और राजनीतिक लोभ को नहीं हटाया तो मैं नहीं समझता कि यह मामला कहां पर जायगा।

दूसरी बात मैं न्यायपालिका के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जो इन्साफ हो रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से लेकर मुन्सिफ की अदालत तक वह भारतवर्ष की दरिद्र जनता इस इन्साफ़ को कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। इतना महंगा न्याय हो गया है कि मुन्सिफ की अदालत में अगर कोई निर्धन आदमी चला जाता है तो उसका घर बिक जाता है, बरतन बिक जाते हैं और वह असहाय हो जाता है, जिन्दा तो रहता है, लेकिन मृत्यु तुल्य उसका जीवन हो जाता है। इसी तरह से हाई कोर्ट में भी है। श्रीमन्, मैं हैरान हूं कि ७-८ साल तक की अपीलें पड़ी हैं। एक लिटिगेंट जाता है। १०-१५ बार जाता है, यही आपके जजों और मुंसिफों की हालत है जहां पर रिश्वत की कोई हद नहीं है। लिखा हुआ है कि इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन पर खर्च है। न दो और न लो, लेकिन बिल्कुल उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। खुले आम इल्लीगल ग्रैटिफिकेशन रिश्वत चलती है। पहले तो यह पेशकारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह रोग बड़ी-बड़ी जगहों में पहुंच गया है।

[श्री कृष्णचन्द]

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो। यह भी आवश्यक है कि न्यायपालिका ईमानदार हो। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका को निष्पक्ष देखने के लिए प्रयत्न किए जायं और इस तरह से हम चलें कि जिससे जनता को राहत मिल सके।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके, श्रीमन्, मैं समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने २ करोड़ से भी ज्यादा की मांग पेश की है। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर न्याय विभाग हो तो मैं इस कटौती का समर्थन करूं। मुझे तो यह घोर अन्याय विभाग जंच रहा है। मोटी बात मैं कहूंगा। घोर अन्याय हो रहा है। मैं अपने माननीय न्याय मंत्री जी से कहूंगा क्योंकि वे हमारे सबसे बड़े न्याय मंत्री हैं और दूसरे वे दौरा भी बहुत करते हैं, मेरा अनुमान है कि वे और मंत्रियों से ज्यादा दौरा कर रहे हैं। वे किसी न्यायालय का निरीक्षण नहीं करते, लेकिन अगर वे करें तो पोल में धंस जायं। वे देखें कि किस प्रकार का न्याय जिलों में हो रहा है।

[* * *]

श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मैजिस्ट्रेट्स लन्च में चले जाते हैं और २-२ घंटे में लौट कर आते हैं। बेचारे गरीब लोग बैठे रहते हैं। रोटरी क्लब बना रखा है और वहां गुलछर्रे उड़ाते हैं और न्याय मन्त्री जी बैठे-बैठे देखते हैं। सरकार तो मरेगी ही, लेकिन साथ में हमको भी ले डूबेगी। हमारे जिले के न्याय मन्त्री रहे हैं पहले। आज वह वकालत कर रहे हैं। यह इन्कलाब हो रहा है। आज वह छोटे-छोटे नायब तहसीलदारों और सी० ओ० से हुजूर कहते हैं। एक तरफ से मेहनताना लिया जाता है और दूसरी तरफ से सौदा पटाया जाता है। अगर अदालतों का आप निरीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि साधारण केसेज में दो-दो साल तक रगड़ा जाता है। आपने कानून बहुत से बदले, लेकिन ताजीरात हिन्द, सड़ा हुआ कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, आज भी बरकरार है।

मायर साहब और कमला सिंह यादव साहब ने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की चर्चा की। मैं तो उनको कांग्रेसी मैजिस्ट्रेट कहूंगा। जो कमेटी उनका चुनाव करती है उसमें विरोधी दल का एक भी सदस्य नहीं रखा जाता है। शनिवार के दिन दो मैजिस्ट्रेटों का चुनाव हमारे यहां हुआ और कांग्रेसियों ने ही उनका चुनाव किया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इतना जोर लगाते हैं जिससे आपकी बात समझ में नहीं आती है। इतने जोर की जरूरत नहीं है।

श्री लखीसिंह---

जोर की जरूरत है। जोर से ही शायद इस सरकार के कान में आवाज पहुंच जाय क्योंकि यह बहरी सरकार है। ज्यादा जोर तो अंग्रेजों ने पी लिया और रहा-सहा जोर यह सरकार चाट रही है।

सरकार हम पर दमन करती है तो हम गांधी जी की अहिंसा की तलवार ले कर सत्याग्रह करते हैं, किसानों ने, भूखे लोगों ने सत्याग्रह किया। लोग जेल म ठूंस दिये गये और २०० रुपया हर आदमी पर जुर्माना किया गया। लेकिन सरकार ने घुटने टेक दिये और २ अक्तूबर के दिन, गांधी जी के जन्म दिवस पर प्रदेश के सभी सत्याग्रहियों को छोड़ दिया गया, लेकिन

[* * *] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

२०० रुपये जुर्माने के उनके बर्तनों को कुर्क करके वसूल किया गया। (शेम-शेम) क्या यही न्याय है? सरकार में दम था तो न छोड़ती, लेकिन भूखे, नंगे लोगों से जुर्माना वसूल किया यह कहां का न्याय है? जेल में रखो, गोली मारो, फांसी पर लटकाओ, लेकिन भूखे लोगों को इस तरह से कुचलना, उनके बर्तनों को कुर्क करना, बैलों को कुर्क करना कहां का न्याय है?

मुझे एक बात और कहना है कि बुलन्दशहर की अदालत में दो जजमेंट हुए एक तो सुबह हुक्म दिया कि अपील होना चाहिए और दोपहर के बाद शाम को हुक्म दिया कि नहीं होना चाहिए। श्रीमन्, किसी मुकदमें में जब कोई आदमी जाता है तो सब से पहले वकील उसको कहता है। मच्छर जैसे चतुर्मास में बढ़ते हैं उसी तरह से वकील बढ़ते हैं फिर पेशकार उसको लूटता है और उसके बाद अहलमद उसको लूटता है और उस बिचारे को बिना रुपए लिए आपके न्यायालय से तारीख तक नहीं बताई जाती है। होता यह है कि लखनऊ में तारीख लगा दी गई और मैजिस्ट्रेट बाराबंकी चले गए, मथुरा में तारीख लगी और मैजिस्ट्रेट छाता चले गए, इस तरह से वह गरीब टक्कर मारता फिरता है। यह आपके विभाग की रास लीला मैं बताता हूं। जनता इसको कभी बरदाश्त नहीं करेगी। मैं आपको चैलेंज देता हूं और चेतावनी देता हूं कि अगर आपके न्याय विभाग में यह धांधली चलती रही तो जनता का विश्वास न्याय पर से उठ जायगा और उठता चला जा रहा है। श्रीमन्, वहां लूट होती है और अन्याय होता है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से जरूरी चीजें जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह क्वैश्चन आवर नहीं है, आप कृपया बैठ जायं।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एडवोकेट (जिला बरेली)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी न्याय प्रशासन को जांचने की तीन कसौटी हो सकती हैं। एक तो यह कि न्याय प्रशासन स्वतन्त्र हो, दूसरी सुगम और सस्ता हो और तीसरी न्याय जल्दी मिल सके। सब से पहले मैं पहली कसौटी को आपके सामने रखता हूं। जहां तक स्वतन्त्र न्याय का सम्बन्ध है ला कमीशन ने जो सारे देश का भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट दी है उसमें जो सर्टीफिकेट जुडीशियरी को उसने दिया है उससे मैं सहमत हूं कि हमारी जुडीशियल सर्विसेज सब से ज्यादा स्वतन्त्र और ईमानदार साबित हुई हैं।

इस परम्परा को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले में अगर समय रहते हुए हमने कुछ ऐसे कदम न उठाए जिनकी परम आवश्यकता है तो जुडीशियरी की जो अच्छी परम्परा है, यह विगत इतिहास की बात हो सकती है। इसके लिए सब से पहली बात यह है कि हम उनकी सर्विसेज में सन्तोष पैदा करें, समाज में उच्च सम्मान दें और प्रशासन में उनको उचित स्थान दें। मैं संकेत में इतना कहना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। अगर हम आज न्यायपालिका के जो कर्मचारी हैं, मेरा अभिप्राय मुंसिफ और जजेज से है या जो कार्यपालिका के कर्मचारी हैं उनकी हालत को देखें तो हमें एक ही स्तर के दोनों सर्विसेज के कर्मचारियों के रोज की जीवन चर्या में एक बड़ा अन्तर देखने को मिलेगा और उन की सामग्रियों में मिलगा। उन के विलास में, उन की सुविधा की जो सामग्रियां हैं एक दूसरे वर्ग की उस में मिलेगा। अवश्य उसका कोई कारण होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के जूडिशियल सर्विसेज के लोगों को कि वह इन कठिन परिस्थितियों में भी उस ऊंची परम्परा को कायम रखने में समर्थ हैं, वह प्रतिकूल स्थितियों में भी उस से हटे नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एडवोकेट]

लेकिन साथ साथ में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की सर्विसेज के साथ में सौतेले पन का व्यवहार न हो। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री बृजभूषण शरण जी बोल रहेथे और उन्होंने कहा कि यहां पर जुडिशियल सर्विस है उस में ७ वर्ष के बाद उस के कम्पिटीशन में बैठ सकता है, उसी अधिकार से मुन्सिफ नहीं बैठ सकता । उसका परिणाम उन्होंने बताया कि जो आदमी उन की अपीलें सुनता रहा है वह कभी-कभी उस से जूनियर हो जाता है। इस की ओर सरकार को देखना चाहिये।

दूसरी चीज जिस पर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे प्रदेश में मुन्सिफ और सिविल तथा सेशन जज के कार्यभार में बहुत बड़ा अन्तर है, लेकिन उनके पे-स्केल में कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त २–३ प्रदेश ही ऐसे हैं जहां पर ऐसी परिस्थिति है।

इसके बाद मैं मान्यवर, आप की आज्ञा से माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस के ऊपर आज और हमेशा जब न्याय प्रशासन का अनुदान इस सदन में आया है इधर और उधर दोनों तरफ से बैठने वाले माननीय सदस्यों ने एक स्वर से इस चीज की मांग की है कि सेपरेशन आफ एण्क्जीक्युटिव ऐन्ड जुडिशियरी। इस विषय को ऐसा आवश्यक समझा जाता है कि सभी सदस्य इस बारे में मांग करते हैं और मैं भी इस विषय पर आता हूं क्योंकि उसे आवश्यक समझा जाता है। सदैव इस चीज की मांग की जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह कौन सी कठिनाइयां और कौन सी परिस्थितियां हैं, जो उस को पूरा करने में हमेशा बाधा डालती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से इस सदन में स्वीकार किया है कि इस समय जो हम ने पृथक्कीकरण का कार्य कर रखा है वह कोई सेपरेशन नहीं है। यह वास्तविकता है, यह नग्न सत्य है, यह कोई सेपरेशन नहीं है। उसे ए० डी० एम० (जे०) के अन्डर में रख दें यह कोई मतलब नहीं रखता। ए० डी० एम० (जे०) के करेक्टर रोल में तो कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ही ऐन्टरी करेगा तो वह स्वतन्त्र कहां रह गया? सेपरेशन कहां हुआ (ए० डी० एम०) (जे०) अवश्य प्रभावित हो सकता है। कांस्टीट्यूशन के चैप्टर ५ के ५० धारा में यह दिया हुआ है, भारतीय संविधान में स्टेट के डाइरेक्टिव रूल के अन्दर यह दिया हुआ है कि और इस तरह से संविधान में हम पर दायित्व डाला है कि सेपरेशन जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव का करें। तो फिर आज १७ वर्ष बीत जाने के बाद अगर हमारी सरकार उस दिशा में असमर्थ रही है तो यह एक लज्जा की बात है। और इसका कारण मुझे एक दिखायी देता है केवल। वह यह है कि जो अधिकारी अधिकार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उन के अन्दर एक दुर्बलता पैदा हो जाती है कि वह अपने अधिकारों में किसी तरह का फर्क नहीं चाहते । किसी दूसरे आदमी का कन्ट्रोल नहीं चाहते। इसी लिए जुडिशियरी वाली बात खटकती है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि इलाहाबाद की बार एसोसिएशन ने एक शिष्टमण्डल यहां भेजा है इस बात की मांग करने के लिए। यह एक नयी मांग नहीं है, यह समय-समय पर उठती रही है और उठ रही है। मैं आज उस पुरानी मांग को दोहराना नहीं चाहता हूं और कम से कम माननीय मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने जवाब में हमें यह अवश्य बतलाने की कृपा करें कि वे कौन सी कठिनाइयां हैं, जिस के कारण सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है।

दूसरी बात मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्दी न्याय मिले, इस के बारे में। इस दिशा में यदि हम देखें कि न्याय जल्दी हो तो उस के बारे में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अभी जो आंकड़े नेशनल हेराल्ड में छपे हैं और सदन के पास भी उपलब्ध होंगे, उससे हमें पता चलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एरियर्स में देश के सारे सूबों में आगे है। जहां हमारा उत्तर प्रदेश सब मामलों में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है वहां वह एरियर्स के मामले में भी सब सूबों से आगे है। यह हमारे लिए गहन चिन्ता की बात है। इस में कोई औचित्य नहीं है कि एक आदमी आज मुकदमा दायर करे और उस के जीवन में भी उसे न्याय न मिल सके।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि न्याय कास्टली है और इस दृष्टि से भी देखें तो यह मानना पड़ता है कि कास्टली है। मैं यह मानता हूं कि इस में सरकार का भी दोष है और हमारी परम्पराओं का भी दोष है। वकीलों की फीस और दूसरे खर्चा के कारण भी न्याय पाने में खर्चा बहुत बढ़ता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से एक सुझाव रखता हूं कि वे देखें कि रेवेन्यू तो बढ़े, लेकिन कोर्ट फीस आगे न बढ़े, यह देखना बहुत जरूरी है।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट के बारे में यहां कहा गया। मैं मन्त्री जी से एक शिकायत करना चाहता हूं। आप अगर करप्शन दूर करने में दिलचस्पी रखते हैं तो केवल आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स बना देना ही काफी नहीं है उनपर कड़ी निगाह भी रखनी चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने स्वयं लिखकर माननीय मन्त्री जी से शिकायत की, लेकिन मुझे उसका उत्तर तक नहीं मिला। मैं समझता हूं कि अगर सदन का कोई माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ शिकायत करे तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए और उस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अगर वे नहीं उठाए जायेंगे तो मैजिस्ट्रेसी पर से विश्वास उठेगा। वह शिकायत मामूली नहीं थी, उसके पीछे सार्थकता है। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हो, उसमें ज्यादा समय न लगे जिससे उस पर निर्णय हो सके ताकि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के इंस्टीट्यूशन में निष्ठा पैदा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री लखपतराम शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मन्त्री जी के लिए कहना चाहता हूं जिससे अगर वे उसका उत्तर दे दें तो सदन की उस सम्बन्ध में विशेष जानकारी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, जब माननीय मन्त्री जी बोलना शुरू करें, तब आप कह दीजिएगा।

*श्री हिम्मत सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इधर और उधर दोनों ओर के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि करीब-करीब सभी ने मेरा समर्थन किया।

भारतीय दण्ड विधान, इंडियन पेनल कोड, १८६० करीब १०५ वर्ष पहले बना था। उस समय की समाज व्यवस्था और उसका आर्थिक ढांचा आज की समाज व्यवस्था और आर्थिक ढांचे से भिन्न था। आज और विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से समाज व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। आज सामाजिक अपराध बहुत बढ़ गए हैं। एक विशेष समुदाय न्याय पर हावी हो गया है और सामाजिक अपराध करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इंडियन पेनल कोड में ऐसी व्यवस्था कराने की कोशिश करें कि जो टैक्सेज को बचाते हैं, छिपाते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके कन्ट्रैक्ट्स दिलाते हैं, लाइसेन्सेज ईश्यू करते हैं, पब्लिक प्रापर्टी को बेचते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, काला बाजारी, चोर बाजारी करते हैं, ऐडल्ट्रेशन करते हैं उनके लिए एक विशेष कानून बनाया जाय। इस हेतु इंडियन पेनल कोड में संशोधन हो वरना समाज पतित होता चला जायगा।

आज किसान की हालत बहुत खराब है। प्रदेश के अन्दर चकबन्दी चल रही है। उसके लिए कानून तो है, लेकिन उसकी धाराओं में लिखी बातों को ए० सी० ओज० और सी० ओज० और एस० ओ० सीज० बालाए ताक रखते हैं। जो चाहे उनके चेक काट देते हैं, उनको कोई राहत नहीं मिलती है। मेरे जिले में रतनपुरा गांव में ए० सी० ओ० ने इस तरह से किया कि उन किसानों को बहुत तकलीफ हुई। वे पिटीशन में नहीं जा सकते हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है जिससे उनके लिए कोई राहत का रास्ता निकल सके। ५५ रुपये तो केवल कोर्ट फीस में ही लग जाते हैं। इलाहाबाद जाने में और भी बहुत-सा खर्चा पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन रिट पिटीशन का कोई उपाय करना चाहिए ताकि जो किसान हैं, जिनके यहां चकबन्दी चल रही है उनको न्याय मिल जाय।

दूसरी बात यह कहना है कि जिन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के खिलाफ डी० एम० या ए० डी० एम० की रिपोर्ट है उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाना चाहिए। मगर जैसा हमारे भाई अग्रवाल जी ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। इस चीज को खत्म करना चाहिए। बेल के लिए जो मुलजिम अदालतों में हाजिर हो जाते हैं उनके बेल वैरीफिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। वहीं पर उनका वैरीफिकेशन हो जाना चाहिए चाहे इन्तखाब देखकर किया जाय या और तरह से और इसी को पर्याप्त मान लेना चाहिए।

एक बात यह कहना है कि अदालतों में केसेज ४०, ५० एक तारीख के लिए लगा दिए जाते हैं। काम कुछ नहीं होता है, लेकिन तारीख रख दी जाती है। इस तरह से तारीखें रखी जायं कि उन लोगों को केस की जल्द से जल्द तारीख मिल जाय। जिन केसेज में कुछ नहीं करना है उनको पहले से बतला दिया जाना चाहिए ताकि वे लोग समय से अपने घर पहुंच जायं। हाई कोर्ट में चुनाव सम्बन्धी बहुत से रिट पड़े हुए हैं। उनको बहुत समय हो गया है। उनके लिए समय देकर उनको जल्द से जल्द सुनवाई करके समाप्त किया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन सुझावों पर ध्यान देंगे और स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि झांसी में तीन मुकदमे वापस हुये, इस कांग्रेसी सरकार ने उनको वापस लिया। एक मुकदमे में यह हुआ कि एक मैजिस्ट्रेट पर एक मुकदमा चला। ए० डी० एम० जे० की अदालत में....

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल पूछिए। यह आप बहस कर रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

सवाल यह है कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है एक प्रश्न के उत्तर में कि ४२०, ४६३, ४०६, १२०, ४०९ और ४१७ के मुकदमे कांग्रेसी भाइयों के खिलाफ अदालत में चले वह भी वापस ले लिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। यह शोभा की बात नहीं है कि सवाल की जगह आपने व्याख्यान देना शुरू कर दिया।

*श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि बहुत सी बातें, जो माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, वह ऐसी हैं कि जो बड़ी हद तक खुद मेरे विचार के मुताबिक हैं और बहुत सही हैं—सिवाय एक तकरीर के जो लखीराम जी की थी जिसमें आवाज तो बहुत थी, लेकिन मजमून बिल्कुल खोखला था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका जवाब दिया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखीसिंह—

मेरा नाम गलत मत लीजिए।

श्री सैयद अली जहीर—

अच्छा श्री लखीसिंह जी। बहरहाल, तकरीर में सबसे बड़ी बात यह थी कि हिन्दी का प्रचार बढ़ाना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे सूबे में सन् १९४८ के बाद से जितने कानून बनते हैं, विधान मंजूर होते हैं वह सब हिन्दी में होते हैं। उसी के साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे कांस्टीट्यूशन की कुछ ऐसी दफात हैं जिनमें हमें कुछ न कुछ काम अंग्रेजी में जारी रखना पड़ेगा। मसलन ३४८ में जो उन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट की जबान हमेशा इंगलिश रहेगी जबतक कि प्रेसीडेंट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसको स्वीकार न करे। उसका नियन्त्रण सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमे हिन्दुस्तान के जाते हैं और जब तक कोई लिंक लैंगुएज ऐसी मजबूत न बन जाय जिस पर सब लोग सूबे के मिल सकें उस वक्त तक वह कायम रहेगी। जबसे दफा २१० में तरमीम हो गयी है, यानी २६ जनवरी, १९६५ से और उसके पहले से यह इन्तजाम कर दिया है कि जितने हमारे यहां के ऐसे कानून हैं जो सन् १९४८ के पहले के हैं और ऐसे कानून हैं जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं जो हमारे यहां भी लागू हैं—कांट्रैक्ट स्पेशल ला, तो हम सब का हिन्दी में तर्जुमा करा रहे हैं। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट खुल गया है, बराबर काम कर रहा है।

आज एक माननीय सदस्य ने, मेरे खयाल में हमारे माननीय उपनेता जनसंघ ने सवाल भी किया था, उसका जवाब मैं तफसील में देने वाला था, लेकिन वह आज आए नहीं। उसके सिलसिले में मैंने मालूम किया तो खयाल है कि दो बरस के अन्दर हमारे जितने कानून अंग्रेजी में हैं उन सब का हिन्दी में तर्जुमा हो जायगा।

उसके बाद एक शिकायत की गयी और सही की गयी कि हमारे यहां बहुत से मुल्जिमान के ऊपर मुकदमा चलता है, अपराधियों के ऊपर, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आखिर में छूट जाती है और २७ फीसदी—ऐसी ही फिगर आपने बतायी कि जिनको आखिर में सजा हो पाती है। यह बड़ा मुश्किल सवाल है। हम समझते हैं कि गलत बात हो रही है, लेकिन कोई इलाज समझ में नहीं आता। जबतक समाज के विचार नहीं बदलेंगे, कुछ लोगों का तरीका नहीं बदलेगा, उस वक्त तक कानून के जरिए से इलाज होना मुश्किल है। सब जानते हैं कि फलां ने कत्ल किया है, लेकिन गवाही ढूंढ़नी जरूरी होती है। पुलिस का काम होता है कि अदालत में कानून के जरिए से साबित करे कि यह कातिल है। यह जानते हुए भी कि फलां शख्स कातिल है कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। मुखतलिफ वजूहात होते हैं, मुखतलिफ असरात होते हैं जिनकी वजह से गवाही नहीं मिल पाती। मेरे पास ऐसे भी केस आये हैं जिनमें किसी परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गयी, मगर जब गवाही का वक्त आया तो उसी परिवार के लोगों ने गवाही देने से इन्कार कर दिया जिससे जिस व्यक्ति ने हत्या की थी वह छूट गया। कुछ तो यह भी समझते हैं कि जो मरने वाला था वह तो मर गया, दूसरा क्यों और मारा जाय। तो कत्ल के मुकदमे गवाही न मिलने के कारण छूट जाते हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि हमारी प्रासीक्यूशन की जो एजेन्सी है वह कुछ कमजोर है। कुछ हद तक मैं इसे तस्लीम करता हूं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हुआ करती। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा इस इन्तजार में रहता हूं कि अगर कहीं भी कोई चीज साबित हो, थोड़ा सा भी शक हो जाय, तो मैं उसके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए तैयार रहता हूं। जिन माननीय सदस्यों को कुछ मालूम हो, वे कृपा कर मुझे बतायें, मैं उसकी इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हूं। मेरी मुश्किल यह हो जाती है कि जब कोई चीज मेरे इल्म में आती है तो उसकी तहकीकात करने की एजेन्सी वही जिले के अधिकारी होते हैं और जब वे यह लिख देते हैं कि कोई चीज साबित

[श्री सैयद अली जहीर]

नहीं हुई, तो कुछ ऐक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। जब मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करते हैं तो उनके सामने भी कोई गवाही आदि नहीं पेश की जाती और वे लिख देते हैं कि इनका काम अच्छा है.....

श्री कमलासिंह यादव---

विजिलेन्स कमीशन को दे दीजिए।

श्री सैयद अली जहीर---

वह तो सरकारी मुलिजमों के लिए है, न कि वकीलों के लिए।

यही हाल आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का है। माननीय जगदीशशरण जी ने भी एक शिकायत की थी। जिले के अधिकारियों द्वारा ही मुझे उसकी जांच करानी पड़ी। अब अगर वे लिख देते हैं कि जो चार्जेज लगाए गए हैं वे निराधार हैं, पार्टीबन्दी के आधार पर हैं, तो मेरे लिए कोई चारा नहीं रह जाता है.....

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट---

आप ऐसे आदेश दें कि जो कम्प्लेनेन्ट हुआ करे उससे तो पूछ लिया करें।

श्री सैयद अली जहीर---

मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनको यह आदेश दूं कि वे इस तरह से जांच करें। मैं तो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट ही मांग सकता हूं।

श्री बृजभूषणशरण---

जिन मैजिस्ट्रेटों के खिलाफ हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अलीगढ़ में एक मैजिस्ट्रेट के खिलाफ रिश्वत के चार्जेज थे, और उनको भी आपने रिन्यू कर दिया....

श्री सैयद अली जहीर---

अब जुबानी तो मैं कुछ इस समय नहीं बतला सकता। आप मेरे कमरे में तशरीफ ले आयें, मैं फाइल देख कर ही जवाब दे सकता हूं और उसके कारण बता सकता हूं। इसकी भी शिकायत हुई कि हम कोर्ट फीस ज्यादा लेते हैं। मैं मानता हूं कि कोर्ट फीस जहां तक हो सके, कम रखनी चाहिए। उसूलन यह ठीक बात है। लेकिन हालत यह है कि हाई कोर्ट में आज भी ६६,७०० मुकदमें सन् १९६४ क बकाया हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, इसके जिम्मेदार आप हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

बराय मेहरबानी सुन लीजिए। बीच में कोई बात पैदा हो तो बाद में कहिएगा।

श्री सैयद अली जहीर---

सभी नियम इसी सदन में बनते हैं। इसका मैं ही नहीं, हर सदस्य जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि उसकी फीस पहले पांच रुपये थी, इसलिए फ्रायवलस रेट्स बढ़े हैं, उसकी फीस बढ़ाकर पचास रुपये कर दी। लेकिन अगर आप फिगर्स देखेंगे तो उसमें एक रत्ती भर

कमी नहीं हुई है, नतीजा यह हुआ कि काम बढ़ रहा है। हमने इसीलिए २४ जजेज अप्वाईन्ट कर दिए हैं। मैं आपको बतला दूं कि शुरू-शुरू में इलाहाबाद में १३ जजेज थे और लखनऊ में ६ जजेज थे। इलाहाबाद में ४० जिले थे और लखनऊ में केवल १२ जिले थे। पहले लखनऊ में जहां ६ जजेज होते थे आज ऐसा है कि १३ लखनऊ में और इलाहाबाद में ३८ जजेज हो गये हैं। सब जिलों का काम वहीं जाता है। आपको यह मालूम होगा कि काउंसिल में भी एक ऐसा कानून पेश किया गया था कि हर काम इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट्स में बंट जाय जिससे काम में सहूलियत हो जाय। पर हमने बाद में यह महसूस किया कि इससे एफीश्येंसी बढ़ने के बजाय घटेगी ही। इसलिये उस कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर जो बातें यहां माननीय सदस्यों ने कहीं उनसे हम मुतफिक हैं और उसके लिए हम हर मुनासिब कोशिश कर रहे हैं। हमने एक नहीं तीन कमेटियां मुकर्रर कीं। और उन कमेटियों की बहुत सी रिकमेंडेशन्स मानी भी जा चुकी हैं। एक कमेटी जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के नाम से बनी थी। दूसरी कमेटी जस्टिस बासुदेव मुकर्जी कमेटी थी और तीसरी रिआर्गेनाईजेशन और रेशनेलाईजेशन आफ सबार्डिनेट आफिसेज ऐण्ड कोर्ट्स की कमेटी हमारे चीफ सेक्रेटरी मि० के० के० दास की देख रेख में बनाई गई थी। इन कमेटियों से एक तरफ तो करप्शन रोकने की कोशिश है और दूसरी तरफ उन के पे आदि के मसले को भी हम देख रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिन पर हम ऐक्शन ले रहे हैं। जो मुकदमे की फाइलें छपती थीं वे घटा दी हैं, जो जरूरी थीं वे ही रहने दिया है। एक सिंगल जज जितना काम कर सकता है उतना ही काम रखने की हमने कोशिश की है, लेकिन जो एरियर्स हैं वे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा।

हमारे एक माननीय सदस्य ने इसी सिलसिले में एडवोकेट जनरल का जिक्र किया। एडवोकेट जनरल को पूरा अधिकार है कि जिस मामले में गवर्नमेंट पार्टी न हो, उसमें वह किसी भी प्राइवेट पार्टी का केस ले सकता है। इसी शर्त के ऊपर उनको हम करते हैं। उनको जहां तक कि गवर्नमेंट का इंटररेस्ट आ जायगा, तो उसमें एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा नहीं ले सकते। राम रतन जी के केस का जिक्र आया, मेरा खयाल है कि उसमें कोई गवर्नमेंट पार्टी नहीं थी, उसमें तो कांग्रेस का एलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के टिकट के ऊपर और वह एलेक्शन जीत गये और उसके ऊपर एलेक्शन पेटीशन दायर हुआ एडवोकेट जनरल उसमें वकील हुए। इसी तरह से कैरों साहब के केस के मामले में कौंसिल में भी एक सवाल आया और यह कहा गया कि उसमें गवर्नमेंट पार्टी है, उसमें किस्सा यह है कि जब वह केस फाइल हुआ था, तो उसमें यू० पी० गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं था, बीच में एक वकील साहब हैं, वह बहुत तेज आदमी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी कि उसमें यू० पी० गवर्नमेंट भी पार्टी बनाई जाय। वह दरख्वास्त पेंडिंग थी, उसी वक्त उन्होंने ऐतराज उठा दिया कि यू० पी० गवर्नमेंट उसमें पार्टी है, मुझे नोटिस आई तो कौंसिल एपियर हुआ और उसने कहा कि हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, कैरों साहब-कपूर साहब उसमें पार्टी है, और वह जानें और उनका काम जाने एडवोकेट जनरल उसमें एपियर हुए।

श्री उग्रसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सदन से संबंधित केशव सिंह जी का मामला उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया उसमें कितना खर्च हुआ? माननीय मंत्री जी की उसमें क्या राय थी, तो हमें केशवसिंह जी के रिफरेंस के के बारे में बतावें और आश्वस्त करें।

श्री सैयद अली जहीर--

जो सवाल उठाय गये थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने अगर यह सवाल भी उठाया होता तो मैं शायद उसका भी जवाब दे देता।

श्री उग्रसेन--

सवालों के जरिये तो हम उठा सकते हैं। दुनियां का सबसे बड़े मुकदमा रहा और अगर माननीय मंत्री जी उसका जिक्र न करें..

श्री उपाध्यक्ष--

देखिए, एक बात सुन लीजिए, आप बीच बीच में बोलिए मत।

श्री भगवानसहाय--

आप इनको कितना समय देंगे। दूसरा कटमोशन भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इनको बोलने तो दें, बीच बीच में खुद गड़बड़ करते हैं, और समय की भी बात करते हैं।

श्री सैयद अली जहीर--

बीच में एक और मामला उठाया गया था, जो कि इक्जीक्युटिव और जूडिशियरी के सेपरेशन से ताल्लुक रखता था। मैंने यह कहा कि इस बात पर मैं मुत्तफिक हूं कि जिस किस्म का सेपरेशन हमारे यहां है, यह सेपरेशन नहीं है, बहरहाल, वह राय मेरी नहीं थी, वह राँय जो मैंने बयान की थी वह राय है ला कमीशन आफ इंडिया की और उसने बहुत साफ यू० पी० के मामले को डील किया है और उसने सफा ११८० और ८५३ के ऊपर जिक्र किया है--

"इट इज इवीडेंट..."

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी अंग्रेजी बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, वह उसकी हिन्दी कर देंगे।

श्री उग्रसेन--

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं उप नेता संसोपा से जानना चाहता हूं कि रिफरेंस शब्द कहां से आया है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, जो अंग्रेजी के शब्दों के हिज्जे नहीं जानते हैं, वह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए।

श्री सैयद अली जहीर--

यहां जो सेपरेशन हुआ था, उसका हवाला देते हुए वह कहते हैं--

"It is evident that all that has happened in these so-called separation Districts is that the trial work is no longer in the hands of the same officers who have executive duties. The High Court has no control whatsoever over these Judicial Officers. They continue to be under the executive Government ; and the Commissioner of the division—an executive officer. It is thus clear that the system as it prevails in this State, while it may be a step towards separation, is not real separation for it lacks the essential

feature of separation, which is a criminal judiciary independent of executive control. The sooner this pseudo system of separation is replaced by a genuine one, the better."

इसमें उन्होंने कहा है कि यू० पी० में जिस तरह से एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी का सेपरेशन चल रहा है, जुडीशियल आफिसर्स अलग करके ऐडिशनल कमिश्नर जुडीशियल के मातहत कर दिये गये हैं वह कोई सेपेरेशन नहीं है। सेपेरेशन के माने हैं कि वह हाईकोर्ट के मातहत होने चाहिए। यही चीज उन्होंने ८५३ सफे पर भी कही है। तो यह कोई मेरी राय नहीं है बल्कि यह कंसिडर्ड ओपिनियन ला कमीशन आफ इंडिया का इस मसले के ऊपर है। बहर-हाल, सवाल यह है कि हम क्या कर रहे है, तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह मामला गवर्नमेंट के एक्टिव कंसीडरेशन में इस वक्त भी है। इसमें कुछ न कुछ बात रुकावट की आ जाती हैं। चुनांचे अब भी कुछ रुकावट की बातें पैदा हो गई। लेकिन जब कभी भी हो, देर हो, सवेर हो, यह मैं नहीं कह सकता कि कब होगा क्योंकि यह कोई मेरे विभाग से ही इसका ताल्लुक नहीं है, मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि हम इसको जानते नहीं है या इससे वाकिफ नहीं हैं, यह बात सही नहीं है। अभी मैं बंगाल गया था उनके ला मिनिस्टर से मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल से वह इसे शुरू करने जा रहे हैं तीन जिलों में और उसके बाद बकीया जिलों में भी धीरे धीरे बढ़ायेंगे। उन्होंने सब पेपर्स वगैरह भी मुझे दिखाये, वह अभी कांफीडेंशियल हैं। इससे मालूम होता है कि वहां भी वह करने जा रहे हैं। हिन्दुस्तान के और सूबों में हो चुका है। बड़े-बड़े सूबों में सिर्फ तीन बच गये हैं बंगाल, बिहार और यू० पी० जिसमें से बंगाल में अब वह करने जा रहे हैं। उसके बाद और जगह भी होगा।

इसी सिलसिले में शरण साहब ने जो सवाल उठाया मैं उसका भी जवाब दे दूं कि मैंने उस मसले को देखा है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की राय है और मेरी अपनी यह राय है कि उन्होंने जो कहा है उसमें तथ्य है, किसी हद् तक उसको होना चाहिए। लेकिन यह याद रखने की बात है कि हम जो जुडीशियल आफिसर्स को बुलाते हैं, उनका सबसे बढ़ा फंक्शन यह होता है कि मुख्य-बातों में लीगल ओपिनियन वह दें और इंसीडेंटली यह जरूर होता है कि कुछ न कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वह करते हैं। लेकिन उस तरह के इंसीडेंटल कार्य तो डिस्ट्रिक्ट जजेज जो होते हैं या सिविल जज होते हैं वह भी करते हैं और अपने दफ्तर के लोगों पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखते हैं, मगर उससे उनके काम का नेचर नहीं बदलता। तो इसी तरह एल० आर० का असली काम लीगल ओपिनियन गवर्नमेंट को देना है। जुडीशियल सर्विसेज के आदमी को हम अपना लीगल ऐडवाइजर रखते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाज जगहें ऐसी हो सकती हैं कि जहां बहुत ज्यादा ऐडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकता है जैसे रेजिस्ट्रार आफ दि हाईकोर्ट की जगह है। उसके लिए मैंने ऐसा लिख रखा है कि जिस वक्त जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो, उस वक्त हम इस मसले पर भी गौर कर लें कि ऐसी जगह जहां पर कि ज्यादा तर काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है वह जगहें जुडीशियल सर्विसेज को दी जाएं या न दी जाएं। तो इसके ऊपर भी मैं गौर करने को तैयार हूं। अन्त में मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने विवाद में हिस्सा लिया और जो जो तजवीजें उन्होंने पेश कीं वह बहुत मुफीद थीं। मुमकिन है कि कुछ बातें रह गई हों कि जिनका जिक्र मैंने न किया हो। लेकिन मैंने उन्हें नोट कर लिया है और उन पर गौर करने के बाद जो कुछ कर सकता हूं वह करूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

हाई कोर्ट के जज जो दौरे पर जाते हैं, उन्होंने लोकल सेशन्स जजों के बारे में अभी बतलाया इन लोगों के तबादले होने चाहियें। मंत्री जी ने वे तबादले किये या नहीं। नहीं किये, तो क्यों नहीं किये ?

श्री सैयद अली जहीर--

अगर कोई स्पैसीफिक इंस्टांस दें तो बता सकता हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मुजफ्फरनगर जिले में कांदले में एक कोई रफी साहब आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं, जो कि सन् १९४७ के बाद जेल गये थे, जिनके बारे में ३ बार सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दी थी कि इनको पाकिस्तान का पासपोर्ट न दिया जाय, ये खतरनाक आदमी हैं, ३ जिला मैजिस्ट्रेटों ने सक्सेसिवली रिपोर्ट दी कि इनको इस स्थान पर न रखा जाय, वहां के जिला परिषद् के चेयरमैन और एम० एल० ए० ने भी प्रार्थना-पत्र दिये। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इस भयंकर कुनबापरस्ती की जांच करावें। ऐसे मामलात बड़े खतरनाक होते हैं।

श्री सैयद अली जहीर--

मुझे यह केस याद है। उनके खिलाफ वहां के डिप्टी कमिश्नर्स की कोई राय नहीं थी। एक मुकदमा उन पर सन् १९४८ में कत्ल का चला जिसमें वह छूट गये। उसके बाद वहां के डी० सी० ने खुद आकर मुझसे कहा कि यह निहायत शरीफ और ऊंचे खानदान के आदमी हैं और हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होंगे और इन्हें आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाय। वहां की कमेटी ने भी कुछ इसरार किया। तब मैंने उन्हें टेंम्पोरेरी आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत होगी तो उनका टर्म रिन्यू नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,०२,९९,९०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २४,०५,६०० रुपये की मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय। यह अनुदान छोटा-सा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यकलाप छोटा सा विभाग है। विभिन्न मदों में जो रुपया रखने का प्रस्ताव है बजट साहित्य में माननीय सदस्यों ने देखा होगा।

नैनीताल आब्जर्वेटरी के बारे में मेरा निवेदन है कि पहले यह वाराणसी में सन् १९५२ में स्थापित हुई। इसका स्थान नैनीताल में सन् १९५५ में परिवर्तित कर दिया गया। तब से इसका कार्य पूर्णरूपेण चल रहा है। १९६२-६३ में सैटालाइट टेंकिंग में दुनिया की १२ आब्जर्वेटरीज में से एक यह रही, जिसमें इसका काम जो है दुनिया में टाप किया। साथ ही साथ अक्टूबर, ६४, जहां तक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक यह आबजर्वेटरी फिर दुनिया में १२ आब्जर्वेटरीज में टाप किया है। यूनाइटेड नेशंस में जहां एस्ट्रानामी साइंस का सेक्शन है उसमें हमारी आबजवटरी के डायरेक्टर डाक्टर सिंघल साइंटोफिक कमेटी के सदस्य नियुक्त किये गये हैं। यह स्टेट के लिए या देश के लिए गौरव की बात है। दूसरे साइंटोफिक रिसर्च के

अन्तर्गत हमारे प्रांत में स्टेट काउंसिल आफ साइंटीफिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसकी चेयरमैन माननीया मुख्य मंत्राणी जी हैं, जिसमें इस प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, साइंस के डींस, या बड़े बड़े प्रोफेसर्स मेम्बर हैं। उनकी राय के द्वारा जो लोग या जो सायंटिस्ट पी० एच० डी० की डिग्री के लिए कार्य करते हैं या पी० एच० डी० प्राप्त करने के बाद ऊपर का पोस्ट-डाक्टोरेट का कार्य करते हैं उनके लिए २५० रुपये प्रति मास स्कालर्शिप की व्यवस्था होती है। जो एम० एस-सी० करके पी०-एच० डी० करते हैं या ऐसा कार्य सम्पादित करना चाहते हैं उसके लिए १,००० रुपया दिया जाता है।

जहां तक सांस्कृतिक कार्यकला का संबंध है, इसमें पुरातत्व विभाग में ३,६२,४०० रुपया रखा गया है। जब से हमारे प्रदेश में जनतांत्रिक गणराज्य को स्थापना हुई है, इस विभाग का काम काफी तेजी से चल रहा है। हम इसे भुला नहीं सकते हैं कि हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य देशों के विद्वानों ने भी इसको प्रतिष्ठा की है। इस प्रदेश के अवशेष आज भी बाहुल्य संख्या में पाये जाते हैं, जिन पर अगर निरूपण किया जाय, विश्लेषण किया जाय, तो अधिक समय को आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार ने ५ विश्वविद्यालयों को खुदाई का काम करने के लिए रुपया देने का प्राविधान किया है, प्रत्येक विश्वविद्यालय को ५,००० रुपये का। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। यानी हर एक विश्वविद्यालय को पांच पांच हजार रुपये दिये गये हैं और हर विश्वविद्यालय अपने अपने आस पास के पांच पांच जिले लेकर खुदाई का काम कर रहे हैं और सरकार के पुरातत्व विभाग को वे अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। यह बड़े गौरव की बात है कि श्री बी० एस० अग्रवाल जो काशी विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के हेड हैं, वे इसके मेम्बर हैं और उनकी राय से हम लोगों को अपना कार्य सम्पादन करने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है।

इसके अलावा इस विभाग में एक और आरकाइव्स (राज्य-प्राभिलेख) विभाग है जिसका हेड क्वार्टर इलाहाबाद में है। जब लखनऊ में इसकी बिल्डिग बन जायगी तब उस विभाग का ट्रांस्फर इलाहाबाद से यहां को हो जायगा। पिछले साल करीब साढ़े ६-७ लाख रुपया सरकार की ओर से इस विभाग के लिए बजट में रखा गया था और महानगर में बिल्डिग बनाने के लिए वह रुपया पी० डब्लू० डी० को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस तरह से यह डिपार्टमेन्ट बराबर प्रगति कर रहा है।

इसका एक और सब डिपार्टमेंट म्युजियम का है जिसके अन्तर्गत एक लखनऊ में तथा एक मथुरा में म्युजियम है। लखनऊ म्युजियम की स्थापना सन् १८६३ में हुई थी और मथुरा म्युजियम की स्थापना सन् १८८३ में हुई थी। मथुरा का म्युजियम पहले कमिश्नर और कलेक्टर के अधिकार में था, उसके बाद फिर उसे मथुरा म्युनिसिपल बोर्ड को दे दिया गया। उसके बाद जब वहां बिल्डिग बनी तो सारा सामान उस बिल्डिग में रखा गया। लखनऊ में म्युजियम की बिल्डिग १३ लाख रुपये में सन् १९६३ में बन कर तैयार हुई तो जितने आब्जेक्ट्स थे वे सब इस नयी बिल्डिग में ट्रांसफर कर दिये गये, जिसका उद्घाटन भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस म्युजियम तथा मथुरा के म्युजियम के लिए प्लान तथा नान प्लान के अन्तर्गत करीब ६ लाख रुपया खर्च करने का प्राविधान है। उस म्युजियम की वीथिकाओं में जितने भी चित्र तथा मूर्तियां हैं उनको रख दिया गया है।

इसके अलावा सांस्कृतिक कार्य कलापों के अन्तर्गत खासकर के रजा लाइब्रेरी को सन् १९४९ से, जब कि रामपुर राज्य का इस प्रदेश में मर्जर हुआ साढ़ ४९ हजार रुपया सालाना देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट आर्ट कालेज है उसमें २३ विषय पढ़ाये जाते हैं। उसमें ६ तरह के विषय एक साल के हैं और एक विषय दो साल का है, और ६ विषय ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई पांच साल होती है और ८ विषय की पढ़ाई तीन साल तक होती है। इस आर्ट कालेज में केवल अपने ही देश नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के भी बहुत से छात्र पढ़ने

[डाक्टर सीताराम]

के लिए आते हैं और यहां पर विद्योपार्जन करते हैं। इस विभाग पर जो भी रुपया खर्च होता है यह बड़े गौरव की बात है कि सन् १९५३ में एक सेपरेट डिपार्टमेंट्ल क्रियेट किया गया। इसके पहले इसमें भी अलग अगल संस्थाओं के मैंने नाम लिए वे कई डिपार्टमेंट्स के अन्तर्गत थे। उनको उनसे निकाल कर जब से अलग डिपार्टमेंट क्रियेट किया गया है तब से जो कुछ भी काम हुआ है वह अत्यन्त वांछनीय है। यह बड़े गौरव कि बात है कि इस स्टेट म्युजियम से जो भी सामान दुनिया के अन्य देशों में एक्जीविट के रूप में बाहर भेजा जाता है उनकी बड़ी प्रशंसा हुई है। अभी जापान में लास्ट ईयर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर श्री एल० के० गुप्ता गये थे और जो ऐग्जीबिट्स थे उनकी जापानियों ने बड़ी प्रशंसा की थी और इस साल इंगलैंड और अमेरिका में भी भेजे जा रहे हैं ऐग्जीबिट्स। मैं माननीय सदस्यों के सुझाव सुनूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य मेरे विभाग के विषय में काफी अच्छे सुझाव देंगे ताकि उनकी रोशनी में जहां तक सम्भव हो सके अपने कार्य में प्रगति करूं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य कलाप की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री को, यद्यपि वह इस समय हाउस में नहीं हैं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और वह इसलिये कि मैंने विभाग के बारे में जानकारी के लिये जो कागज पारसाल मांगे थे और इस साल भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि वह कागज और सूचनायें मुझे अपने बजट के काम के लिये मिल जायं। मैं माननीय सीताराम जी का भी मशकूर हूं कि उन्होंने भी, इस विभाग की यद्यपि टिप्पणी मैं दो साल से कर रहा हूं फिर भी, जिस तरह की जानकारी मैंने जाननी चाही मेरी मदद की है उसको दिलाने में। मैं समझता हूं यह कदम ऐसा है जिससे जनतांत्रिक प्रणाली की जड़ें मजबूत होती हैं और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि विरोधी दल के लोग इस सदन के एक आवश्यक अंग हैं और सहयोगी अंग हैं। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि पारसाल जो आलोचना की थी और इस विभाग की मदवार कंटिनजेंसी के आइटम्स को क्रिटिसाइज़ किया था कि ८० से ८८ प्रतिशत सारे बजट का कंटिन्जेंसी के मद में दर्ज है, इस साल बजट इस मामले में बदला हुआ है। कंटिन्जेंसी का प्रतिशत भी कम है और जो दिया हुआ है उसका भी एक खर्च का संकेत भी छपा हुआ है कि किस किस तरह से उस कंटिन्जेंसी को खर्च करने जा रहे हैं। एक मद में ४ परसेंट दिया हुआ है, स्टेट आर्कोइब्ज में ११ परसेंट, म्यूजियम्स में २७ परसेंट, साइंटिफ़िक रिसर्च में ५ परसेंट, ऐजूकेशन और प्रोमोशन आफ आर्ट में ८ परसेंट है। तो इस मामले में भी बहुत बड़ी तरमीम इस विभाग में हुई है। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे क्रिटिसिज्म को माना और उसके बारे में कदम उठाये हैं। यद्यपि २७ प्रतिशत कंटिजेंसी म्यूजियम्स में ज्यादा है, जोकि उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि थोड़ी कोशिश और करते तो उस फ़िगर को भी रिड्यूस कर सकते थे। मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था कि मुझे सूचना दिला दें, और इसी उद्देश्य का पत्र मैंने पारसाल भी लिखा था पारसाल भी मुझे थोड़ी बहुत सूचना भी तो मिली, लेकिन विभागों की ओर से जो सूचना आयी उससे मुझे यह आभास हुआ कि किसी न किसी तरह से वे इस सूचना को मुझे देना नहीं चाहते हैं यद्यपि माननीया मुख्य मंत्री के क्लियर कट आर्डर थे। इस सिलसिले में मैंने ९ अक्तूबर को एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि वही मांगते हैं जिनके बारे में पिछले साल भी मैंने सूचना मांगी थी। मुझे दी जाये। मैंने लिखा था कि "आई नीड दिस इन्फार्मेशन फार माई लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ ड्यूरिंग दी बजट डिबेट"। मेरा उद्देश्य क्या था कोई भी आदमी जो पत्र को पढ़ लेता समझ लेता। जो उत्तर मेरे पास आया वह इस प्रकार था। "आपके पत्र दिनांक ९ अक्तूबर के संदर्भ में मुझे यह निवेदन करने का आदेश

हुआ है कि उक्त पत्र से स्पष्ट नहीं कि विधान मंडल के किस कार्य के लिए उक्त सूचना की आवश्यकता है। "मैं समझता हूं कि अगर मेरा पत्र पढ़ लिया होता तो इस पत्र को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। जो सूचना उन्होंने मुझे दी है, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं। कुछ मदों में सूचना नहीं मिली है। कुछ मदों के बारे में उन्होंने कहा कि समय लगेगा। मेरी चिट्ठी ९ अक्तूबर की है। यदि इतना समय सूचना को एकत्रित करने के लिए काफी नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सोचें जरा कि आखिर फिर कितना समय और चाहिए आपको सूचना देने के लिये जो सूचना मैंने मांगी थी। वह कोई गोपनीय सूचना नहीं थी। यह सूचना सवाल दे कर मुझे मिल सकती थी। इस चिट्ठी का जवाब मुझे परसों ही मिला लिहाजा मेरे पास समय नहीं रहा कि मैं प्रश्नों को दे सकता। बहरहाल अगर विभाग को यह सूचना नहीं देनी थी तो मैं इसके लिये दूसरा जरिया अख्तियार कर लेता और उनको इस निचाई के स्तर पर उतरने की जरूरत नहीं थी।

अब, श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक बात और मंत्री जी से कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने १९६३ में जब मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उस समय कुछ फीगर्स दी थीं। वे मिसिंग और सरप्लस ऑब्जेक्ट्स की हैं और वे सरप्लस और मिसिंग ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने दिए थे वे १९६२ में २०४ सामान यानी ऑब्जेक्टस मिसिंग पाये गये। २,३१३ ऑब्जेक्ट्स सरप्लस में थे मथुरा म्यूजियम में। यह माननीय मंत्री जी के भाषण पृष्ठ ५६५ जो उन्होंने २ मार्च, ६३ को दिया था, की प्रोसीडिंग बुक में है। जो सूचना मुझे पार साल दी गयी और माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा जो सूचना दी है उसके हिसाब से १,७१६ मिसिंग है। २,५१७ ये ऑब्जेक्टस मंत्री जी के कथन के अनुसार थे। १९६२ में वेरीफिकेशन भी हुआ और वैरीफिकेशन के बाद सही निकले। वे विभाग के सामने भी आये, लेकिन ये जो फिगर्स हैं एक दूसरे से टैली नहीं करते हैं। इस प्रकार लगभग ८०० का फर्क आता है। जवाब देने से पूर्व अगर माननीय मंत्री जी के भाषण को पढ़ लिया जाता तो मैं समझता हूं कि यह गलती न होती। इससे विभाग के कार्य का पता चलता है। और मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी फीगर्स सही हैं। पार साल की फीगर्स हैं १,७१६ और इस साल की फीगर्स हैं १,७०७। जो फीगर्स स्कल्पटर की हैं वे हैं १०५ खोयी हुई की और ६२४ सरप्लस की। टेराकोटा ५७ खोया हुआ, ८५९ सरप्लस। ब्रांजेज ३० खोये हुए, ३२ सरप्लस। इस साल के फीगर्स जो मिले हैं उसमें यह दिया हुआ है कि स्कल्पटर १०५ खोये हुए ६२४ सरप्लस। टेराकोटा ५७ खोये हुए, ८५९ सरप्लस। ब्रान्जेज ३० खोये हुए ३२ सरप्लस। उन सबका टोटल होता है १७०७। इस तरह से जो फीगर्स दिये गये हैं बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ दिये गये हैं। १९६२ में कम्पलीट वेरिफिकेशन होने के बाद भी ३ दफा फीगर्स आये और तीनों दफा परस्पर विरोधी फीगर्स आये। अतः समझ में नहीं आता कि किस पर विश्वास करूं।

सन् १९६३ में जब पहली दफा मैंने कट मोशन मूव किया तो डाक्टर सीताराम ने मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया जो उस समय की प्रोसीडिंग के पृष्ठ ५७३ पर दिया हुआ है "माननीय भगवान सहाय जी ने म्यूजियम के बारे में बहुत सी बातें कहीं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनका अध्ययन काफी है। कलचरल आफिसर सोशल स्कल्पटर एण्ड साइंटिफिक रिसर्च के अन्तर्गत ९ इंस्टीट्यूशंस हैं। ८ के बारे में कोई चीज नहीं मिली। शुरू से लेकर आखिर तक उनका वक्तव्य हुआ वह म्यूजियम के ऊपर हुआ।" श्रीमन्, मैं इस चार्ज को तसलीम करता हूं और समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर सका हूं कि जिसके बारे में मुझे अफसोस है। लेकिन इस साल जो यह पुस्तिका विभाग के कार्य की छपी, १९६४-६५ की है इसमें शुरू में ही लिखा है कि इस विभाग के अन्दर ७ उप विभाग हैं। राज्य संग्रहालय, लखनऊ, पुरातत्व, संग्रहालय मथुरा, पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजकीय वेधशाला, पालगेट, बहेरी, नैनीताल, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ, राज्य अभिलेखागार, इलाहाबाद तथा राजकीय ललित कला एकादमी। मैं तसलीम करता हूं कि मैंने बाकी ६ के बारे में कुछ नहीं कहा था उस साल, लेकिन इस पुस्तिका में आखिर में डाक विभागों का उल्लेख किया है उनसे ललित कला आकादमी

[श्री भगवान सहाय]

का भी उल्लेख है ललित कला अकादमी। एक लफ्ज भी इस विभाग के बारे में इसमें नहीं दिया गया है यद्यपि १ लाख ६० हजार का बजट उसके लिये है। मैंने पारसाल मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि विभाग की कार्यवाही के सम्बन्ध में तमाम आंकड़ों के साथ विस्तृत सूचना हमारे पास आनी चाहिये जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में भी था। विभाग की खास एक्टिविटीज के सम्बन्ध में भी मैं उनका आभारी हूं कि इस बात की उन्होंने यह पुस्तिका इस साल प्रकाशित कराई। लेकिन बड़ी कमियां हैं इस पुस्तक में ललित कला अकादमी का कतई जिक्र नहीं है, एक बड़ा आइटम बिल्कुल मिसिंग है, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी है। जो इंफार्मेशन दी भी गयी है वह थोड़ी सी है मेरी गलतफहमी हो, इसमें केवल विभाग की तारीफ है अपने ही मुंह से। उसमें विभाग की एक्टिविटीज का जिक्र नहीं है। ब्रिटिश जमाने की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि जो जो आर्ट पर्चेज किये है उन सबके फीगर्स दिये गये हैं, लेकिन इसमें केवल जनरलाइज कर दिया गया है कि यह एक्टिविटी है, कोई डिटेल्ड इंफार्मेशन नहीं है जो कि होनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, इस ओर भविष्य में ध्यान देने की कृपा करेंगे।

इस विभाग के सेक्रेटरी पहले जहीर साहब थे। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अब वे इस विभाग में नहीं है। उन्होंने "मैनुअल आफ म्यूजियम्स इन उत्तर प्रदेश" नामक एक किताब को लिखा है जो विभाग द्वारा प्रकाशित की गयी है। उसमें उन्होंने लिखा है :

"Jewellery—Unless it relates to the ancient period and its authenticity is proved, should not be purchased."

दूसरी जगह लिखा है--

"Textiles and textile garments should not be purchased at all."

म्यूजियम के बारे में पृष्ठ ६ पर उनकी हिदायत है कि किस तरह से म्यूजियम चलने चाहिये और क्या खरीदना चाहिये। लेकिन किस तरह से अमल हुआ है,यह देखने की बात है। लिहाफ टेबिल क्लाथ, बुश शर्ट और पाजामे वगैरा खरीदे गये हैं। यह जो विभाग की पुस्तिका कुछ साल पहले निकली थी उसमें दिये हुये हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि खुद ही हिदायत दीं और खुद ही उनको तोड़ा। यह बात गलत है। अब वह इस विभाग में नहीं हैं, लेकिन जो भी चार्ज लेंगे वे उस पर अमल करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और उसका खयाल डाक्टर साहब रखेंगे। ज्वैलरी खरीदी गई, लेकिन कोई एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं ली गई कि सोना कैसा है खटाई का खरा या खोटा और जवाहरात सच्चे हैं या नहीं। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिये। यह गैर जिम्मेदारी की बातें हैं।

डाक्टर साहब को शिकायत थी कि मैंने आर्काइब्ज के विषय पर कुछ नहीं कहा। आर्काइब्ज के एक मुलाजिम को विलायत भेजा गया। मैं इसका हामी हूं और मेरा खयाल है कि म्यूजियम के मुस्तकिल कर्मचारियों को विलायत भेजना चाहिये। जो मुस्तकिल मुलाजिम म्यूजियम के न हों, जो माइगरेटेट्री हों, जो आज सेक्रेटेरियट में हैं और कल चले जायंगे, ऐसे लोगों को म्यूजियम के काम पर भेजना गलत है। आप ऐसे आदमियों को जापान या फ्रांस भेजते हैं भले ही पैसा उनका जापान या फ्रांस की सरकार ने दिया हो, जो इस विभाग के मुस्तकिल मुलाजिम नहीं हैं और जिनके जापान और फ्रांस के अनुभव से विभाग हमेशा फायदा नहीं उठा सकता है, ऐसे लोगो के भेजने की मैं निन्दा करता हूं। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है जिसमें पैरा आफ्टर पैरा उन्होंने दूसरी किताबों से लिये हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे आध घंटा मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको २० मिनट दिये हैं यह केवल दो घंटे के लिये है ।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, दोनों ग्रांट्स आधे-आधे दिन के लिये थीं, जब पहली को आध घंटा मिला तो कोई वजह नहीं है कि मुझे आध घंटा न मिले ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन एक बात है इस पर अभी डिबेट भी होना है ।

श्री भगवानसहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, इस किताब में दूसरी फारेन बुक्स से पैराज लिये गये हैं । अगर उनका आशय दिया होता तो कोई बुरी बात न थी । मैं समझता हूं कि डाक्टर साहब भी इसको तस्लीम करेंगे कि यह गलत है । अगर पैराज नक़ल किये गये थे तो लिख देते कि फलां पुस्तक से लिये हैं । इस तरह की चीज इंटरनेशनल पब्लीकेशन्स कानून के खिलाफ भी है । इस तरह की चीज डाक्टर साहब रोकें । इन कर्मचारी को कुछ रुपया भी दिया जा रहा है । अगर यह ओरीजनल काम होता तो मुझे कोई ऐतराज न होता और सरकारी हैल्प न होती । लेकिन जब सरकारी पैसे से उनको भेजा गया और उन्होंने कोई किताब लिखी हो तो उसका रेम्यूनरेशन इतना ही काफी है कि यह किताब सरकारी पैसे से छपा दी गई । अलग से और कीमत देने की कोई वजह नहीं है डाक्टर साहब इस ओर भी ध्यान दें । समय कम है इसलिये इसे पढ़ना नहीं चाहता, इतना ही काफी है । अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आरकाईफ में कुछ लिट्रेचर खरीदा गया । तो आरकाईफ में किस तरह का लिट्रेचर होना चाहिये, मैं उमझता हूं कि यह बात किसी भी माननीय सदस्य से छिपी नहीं है । लेकिन किताबें कौन सी खरीदी गईं, सोश्यो एकनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया, केयर आफ पेंटिंग्स, आर्गनाइजेशन आफ म्यूजियम्स, म्यूजियम टेक्निक इन फंडामेंटल एजूकेशन, धर्म पुस्तकें, इतिहास की नई किताबें इन किताबों को हम आरकाईफ के लिये खरीदते हैं, म्यूजियम के लिये खरीदते या अन्य विभागों के लिये तो बात समझ में आती । इसी तरह से और आगे देखें लोक्ल हिस्ट्री एण्ड दी लाइब्रेरी, मैनेजमेंट आफ लाइब्रेरी, इनको तो किसी हद तक माना जा सकता है, फिर रूलर्स आफ इंडिया एण्ड चीफ्स आफ राजपूताना, कान्ट्रब्यूशन्स टू दी हिस्ट्री आफ दी हिन्दू धर्म, हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयट्स, आस्पेक्टस आफ संस्कृत लिट्रेचर, सम प्राब्लम्स आफ संस्कृत पोयट्स यक्षस निरुक्ति . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह सब किताबें अंग्रेजी में छपी हैं, यह उत्तर प्रदेश के लायक नहीं हैं ।

श्री भगवानसहाय—

एनशियेन्ट इंडिया—इट्स लैंग्वेज एण्ड रिलीजन, सोशल एण्ड रूरल एकोनामिक लाइफ इन नार्दन इंडिया, आउटलाइन आफ इंडियय फिलासिफी, सोशल हिस्ट्री आफ मुसिलिम्स इन बंगाल, माडर्न पबलिक लाइब्रेरीज और कल्चरल हेरीटेज आफ बंगाल, हिस्ट्री आफ अरब्स । यह इस तरह की बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो इसमें नहीं होनी थी । इन किताबों पर आरकाईफ की किताबों के नाम पर जो खर्च हुआ है वह गलत बात है । आरकाईफ के अन्दर वास्तव में इन किताबों की गुंजायश नहीं है ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं और ज्यादा नहीं कहूंगा । आरकाईब्स में बहुत से अप्वाइंटमेंट ऐसे हुये हैं, जो बैकडोर्स से हुये हैं । मैं उन पर पिछली बार भी काफी कह चुका हूं । एक अप्वाइन्टमेंट हुआ आरकाईव्स के संस्कृत सेक्शन में, ऐसे आदमी को जो बी० ए० (आनर्स) हैं फारसी में । उसके बाद उनको परशियन सेक्शन में रखा गया, जबकि उसमें नियुक्ति होने के

[श्री भगवानसहाय]

लिये भी परशियन में एम० ए० होना जरूरी था। इसके अलावा वह अब हिस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस प्रकार की जो भी बातें होती हैं वह विभाग के लिये शोभा की बात नहीं है, इन बातों की तरफ भी डाक्टर साहब ध्यान दें और प्रयत्न करके इन्हें रोकें और ठीक करें।

अब मैं आता हूं, म्यूजियम की तरफ। डाक्टर साहब ने सन् १९६३ के बजट भाषण में कहा था कि म्यूजियम में हम एप्वाइन्ट कर रहे हैं एक डाइरेक्टर को। मिस्टर बाजपेई जो हैं, वह आ रहे हैं। लेकिन आज दो वर्ष हो गये है न तो मिस्टर बाजपेई आये हैं और न पब्लिक सरविस कमीशन ने जिन आदमियों को फिर सेलेक्ट किया है वे ही आ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के इस म्यूजियम में यहां के या बाहर के आदमी आने से क्यों इन्कार कर रहे हैं, वे आना क्यों नहीं चाहते हैं? यह बड़े अफसोस की बात है कि म्यूजियम जो है वह बिना टेक्निकल हैण्ड के चलते हैं और उनमें टेक्निकल हैन्ड न हों। खैर, उदाहरण केवल उत्तर प्रदेश में ही है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को छोड़र हिन्दुस्तान के किसी म्यूजियम को यह श्रेय प्राप्त नहीं है अरब देशों और अफगानिस्तान की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी सभ्य देश में ऐसा नहीं हो सकता कि बिना टैक्निकल हैण्ड्स के कोई म्यूजियम चले। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि डाक्टर बाजपेयी आ रहे हैं, डाक्टर काला चले गये, डाक्टर बाजपेयी नहीं आये और दूसरे सज्जन जो कमीशन से सेलेक्ट हुये वे भी नहीं आये और आज भी म्युजियम बिना डाइरेक्टर या अन्य टेक्निकल कर्मचारियों के हैं।

म्यूजियम के लक्ष्य के बारे में इस किताब में चार-पांच बातें लिखी हैं। संग्रह, रक्षण, वैज्ञानिक ढंग से वस्तुओं का प्रदर्शन, शिक्षण और शोध। मैं जानना चाहता हूं कि शोध कार्य जब से आफिशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन में म्यूजियम आया इस पीरियड में क्या कार्य हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो यह विभाग के लिये अत्यन्त अशोभनीय बात है। यह क्यों नहीं हुआ? इसका कारण भी वही है कि टेक्निकल हैन्ड्स का न होना। जिनकी नियुक्ति की गयी वह पी० सी० एस० और आई० सी० एस० के थे और वे डाइरेक्टली इंटेरेस्टेड नहीं थे और या उनका सम्बन्ध म्यूजियम से नहीं था। दूसरे जब बिलायत जाने की बात आती है तो बाहरी लोगों को वह अवसर इन P. C. S. व I. C. S. को मिलता है और विभाग में काम करने वालों का दिल इससे मर जाता है। उन्नति का अवसर आये तो दूसरे ले जाते हैं जो मुस्तहक नहीं हैं और जो मुस्तहक हैं और जिन्होंने जिन्दगी भर उसकी सेवा की है और सेवा करते करते रिटायर हो जायेंगे वे वंचित हो जाते हैं और इससे वे हतोत्साहित हो जाते हैं और हतोत्साहित आदमी के दिल व दिमाग से कोई उम्दा बात निकले यह सम्भव नहीं है।

अब म्यूजियम के प्रदर्शन की बात पर आता हूं। लखनऊ म्यूजियम अपने क्वाइन्स के लिय मशहूर है। २०,००० मुगल सिक्के व ५००० सोने के सिक्के एक दिन अभी कटमोशन मूव करने से पहले मैं जानबूझ कर म्यूजियम के सिक्कों का प्रदर्शन देखने गया। मेरे पास उसके तमाम आंकड़े हैं। यह म्यूजियम अपने गुप्त कालीन सोने के सिक्कों के लिये बहुत मशहूर है। हिन्दुस्तान का कोई म्यूजियम ऐसा नहीं है जो इसका मुकाबिला कर सके। दुनिया से बुद्ध कालीन या गुप्त कालीन सिक्कों से वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क से तो वास्ता है। मौर्यकालीन, शुंगकालीन और कुशान सिक्के वहां नहीं हैं। गुप्तकालीन गोल्ड क्वायन्स के सिक्कों की बनावट में जो न्यूमोमेटिक आर्ट है अगर वह संसार के न्यूमेस्मेटिक आर्ट से इक्कीस नहीं तो उन्नीस अवश्य ही नहीं है। प्राचीन यूनान के सिक्के बेहतरीन सिक्के माने जाते हैं अपनी बनावट के लिये उनसे यह सिक्के मुकाबले में बराबरी करते हैं, लेकिन कहीं भी उन सिक्कों का प्रदर्शन नहीं है। यह मैं मानता हूं कि सोने के सिक्कों का प्रदर्शन शायद इसलिये नहीं करते कि कहीं चोरी न चले जायं, लेकिन बेस मेटल और प्लास्टिक मेटल में (replier) बना कर तो प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई भी आदमी म्यूजियम में जाय तो समझेगा कि सोने के सिक्के इस देश में नहीं होते थे हमारे पूर्वज सोने के सिक्कों का इस्तेमाल नहीं जानते थे। दूसरी बात यह भी है कि अंग्रेजी काल के

सिक्कों का भी प्रदर्शन नहीं है । ईस्ट इंडिया कम्पनी के सिक्कों का प्रदर्शन होना चाहिये था । आजकल नई पीढ़ी ब्रिटिश सिक्कों को भूल गये हैं । उनका भी प्रदर्शन होना चाहिये था । आजकल की नई पीढ़ी ब्रिटिश सिक्कों को भूल गई है उनका भी प्रदर्शन होना चाहिये । लखनऊ के म्यूजियम में अवध में है परन्तु फिर भी अवध के सिक्कों का प्रदर्शन नहीं है। इस मुल्क के अन्दर पोर्चगीज फ्रांसीसी राज्य की (porlsets) पजेशन्स थी। डच, ईस्ट इंडिया कम्पनी, बेल्जियन की ईस्ट इंडिया कम्पनी थी इन सब के सिक्कों का कोई प्रदर्शन तक नहीं है और उनकी भी कभी महसूस होती है जो विदेशी क्वायन्स हिन्दुस्तान में मिले हैं मसलन चायना और रोम के और इस तरह के तमाम क्वायन्स जो इस म्यूजियम के पास हैं, उनका प्रदर्शन नहीं है। मेरी स्वतः जानकारी है कि उनके पास यह सिक्के हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन नहीं है। इसका नतीजा यह ह कि हमारे म्यूजियम के सिक्के के मेक्शत को देख कर व देश के अन्य म्यूजियमों के सिक्कों के प्रदर्शन को देख कर इस नतीजे पर पहुंचता है कि हम इस दिशा में औरों से बहुत पीछे हैं जो बात सही नहीं है सच यह है कि हम सबसे आगे हैं । मैं समझता हूं कि प्रदर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सुधार किया जाय ।

मुझे यह बात भी बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि वेरीफिकेशन के बाद अब माना गया कि १८८ सोने के सिक्के मसनूही हैं । हालांकि इसमें दोष इस मौजूदा हकूमत का नहीं है । वह बात पुरानी हो गई है, लेकिन इस बात की खबरदारी लेना चाहिये कि ऐसा आइन्दा न हो सके और इस तरह से चेकिंग का लेटेस्ट तरीका अपनाना चाहिये जिससे कभी कोई सिक्का चोरी चला जाय तो वह तुरन्त ही पकड़ा जा सके या कोई इकजबिट ।

एक बात डाक्टर साहब ने विभागीय किताब में लिखी है कि यह म्यूजियम टेराकोटा में अच्छा है । टेरा कोटा स्कलप्चर का जो प्रदर्शन है वह हमारी वैलुएबिल स्कलप्चर को जस्टिफाई नहीं करता है । आपका खयाल है कि यह टेराकोटा खराब हो जायगा तो उसकी रैप्लिका बनाकर प्रदर्शित करना चाहिये । रैप्लिका बनाकर उनका प्रदर्शन किया जाय तो जस्टिफाई हो सकता है लेकिन जैसा कि इस राज्य के म्यूजियम में यह इस समय संग्रह है वह इसको जस्टिफाई नहीं करता । एक बात यह भी है कि टेक्निकल हैंड्स न होने के कारण बहुत से वैल्यू-एबिल्स यहों की सीलन डैम्पनेस में खराब हो गये हैं । बहुत सी मूर्तियां हटाने में टूट गई हैं । यह सारी बात इसलिये हुई है कि आपके पास टेक्निकल हैंड्स नहीं थे । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्निकल हैंड्स अप्वाइन्ट किये जायं ।

ए० २९ बुद्ध हेड के बारे में निवेदन करूंगा कि वह इस समय पेरिस में बाताया जाता है । उसके लिये डाक्टर साहब ने अपने भाषण में कहा था कि सेन्टर उस विषय में अपनी पुलिस के जरिये से काम करा रहा है और वह वापस आ रही है आज उसको २ साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक वह बुद्ध का हेड वापस नहीं आया है किए १०० ही का पता चला । अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आप इस विषय के टेक्निकल हैंड्स फौरन नियुक्त करें । क्यूरेटर' डाइरेक्टर वगैरह सब टेक्निकल हैंड्स होने चाहिये । मथुरा म्यूजियम के लिये एक जी० ओ० था कि कोई भी दफोडे इकट्ठे नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास लाइसेन्स न हो । मथुरा म्यूजियम की मिश्रा जी की रिपोर्ट में भी इस जी० ओ० का उल्लेख है । ऐसे लोगों ने वहां की मूर्तियों को उठाया है जिनके पास लाइसेन्स नहीं था । ऐसी बात नहीं है कि सरकार को यह बात मालूम न हो । अभी हम प्राक्कलन कमेटी के लोग मथुरा गये थे और वहां पर मथुरा म्यूजियम देखने के लिये भी गये थे । मैं शम्भूमल डीलर के यहां एक मुकामी सज्जन के साथ उनकी दूकान देखने के लिये गया और देखा कि कम से कम २००० स्कलप्चर और टेराकोटा उनके गोदाम में पड़े हुये थे । वह कोई स्वीकृत डीलर नहीं हैं इस बात की मुझे जानकारी है । यह भी जानकारी है कि जो अथोराइज्ड डीलर हो वही इनको इकट्ठा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके यहां ये चीजें हैं । मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि शम्भूमल को, जो नाजायज तरीके से बेचने वाले हैं, उनको दंडित किया जाय और उस जी० ओ० को इन्फोर्स किया जाय । मैं समझता हूं म्यूजियम के बारे में एक इन्क्वायरी

[श्री भगवानसहाय]

कमेटी नियुक्त की जाय जो केवल करप्शन की बात ही को न देखे बल्कि अपने कुछ सुझाव भी दे । ये म्यूजियम रीजनल खोले जायं । जितने अभी तक हैं वे नाकाफी हैं । यही नहीं कि इलाहाबाद और वाराणसी में और बढ़ाये जायं बल्कि बरेली, मेरठ, कानपुर और आगरा जैसी जगहों में म्यूजियम खोले जायं ताकि बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको जाकर देख सकें । यह धोती, कुर्त्ता, पाजामा आदि जो आपने रखे हैं, इनके लिये आप बनारस में एक टेक्सटाइल म्यूजियम खोल दीजिये जहां पर लखनऊ की चिकन वगैरह के भी सेम्पिल्स हों । इससे वहां के कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और कुछ नसीहत मिलेगी ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय,जो प्रस्तुत अनुदान है, मैं उसका स्वागत करता हूं । मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत गम्भीर है और एक विस्तार रखता है और उसकी झांकी विस्तार से माननीय नेता की तरफ से रखी गयी है । यह विषय उन बड़े-बड़े पंडितों का है जिन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया है । जो यह आपके एक्जीब्हिट्स और आर्कीटेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि इनका विश्लेषण हो । इस बात का भी रिसर्च होना चाहिये कि इसका क्या प्रभाव हमारे नौजवानों पर पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, जो भी इस विषय पर चर्चा यहां हुई है वह निष्पक्ष चर्चा है । हमें यह बताया जाय कि नौजवानों को इस क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई है । कितने नये चमत्कार हमारे सामने आये हैं । मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से आपका यह बजट होपलेस बजट है । आज हम अपने मुल्क के विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं । जिस महत्व का यह विभाग है, उसके लिये केवल २४ लाख रुपये की यह रकम बहुत कम है । यह तो मखौल है । यह तो भारतवर्ष के अन्दर एक नयी बेकारी पैदा करता है । आपको और अधिक अनुदान रखना चाहिये था । मैं नहीं समझता कि इस तरह से कैसे हमारे नौजवान मुल्क को आगे ले चलेंगे, अपने दिमागों का विकास कर सकेंगे, कैसे साइन्स की तरक्की होगी । उस सब के लिय यह रुपया बहुत कम है । डाक्टर साहब ने इसमें अपनी बहुत कमजोरी दिखाई है । माननीय सदस्यों को उन्हें इस सम्बन्ध में कन्सल्ट करना चाहिये था ।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आपने २५० रुपये माहवार की जो एक रिसर्च स्कालर के लिये बात कही है वह बहुत कम है । मैं कहता हूं कि यह कोई बड़ी चीज नहीं आप कर रहे हैं । उनको तो हर एन्क्जाईटी से मुक्ति मिलनी चाहिये ताकि उनका दिमाग फ्री रहे और वे इन्वेन्शन्स के काम में अपना पूरा दिमाग लगा सकें । जब तक आप उन्हें पूरी सुविधा तथा आराम नहीं देंगे तब तक वे किस प्रकार से कार्य कर सकेंगे । २५० रुपये आप उसे देते हैं । इतने में वह क्या रिसर्च करेगा । इस बात को मैं और आप सभी जान सकते हैं । जिनका इन्टेलैक्चुअल प्रसूट है वह इस पेट्टी एमाउन्ट से, आप आशा करें कि इसी से हिन्दुस्तान को सबसे आगे ले जावेंगे, मुझे कोई विश्वास नहीं होता । भारतवर्ष के अन्दर दिमाग की कमी नहीं है । आने वाली पीढ़ियां भी यह कहेंगी कि रावत का यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान के लोग दुनिया को हर क्षेत्र में मात देंगे । सरकार को चाहिये कि वह भारतवर्ष की संस्कृतिक कीर्ति को अमर रक्खें ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं । श्रीमन, अभी मैंने माननीय भगवान सहाय जी का भाषण सुना । सहाय साहब ने बड़ा विद्वतापूर्ण भाषण रक्खा । इसमें कोई दो राय नहीं कि यह विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सम्बन्ध में जो अब तक कारनामे हैं उससे जाहिर है कि बड़े गैरजिम्मेवाराना ढंग पर कार्य इस विभाग का हो रहा है । यह बड़े शर्म की बात है । श्रीमन, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से, यह तो सब लोग मानते हैं कि किसी भी

राज्य की संस्कृति और सभ्यता और उसकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक इसी विभाग के जरिये हम जान सकते हैं और यह माननीय मंत्री ने जो पुस्तिका दी है उसके पृष्ठ ५ पर लिखा है—

"भारत के अतीत के चिन्हों को देखने के लिये प्रायः समस्त विदेशी लालायित रहते हैं ।" इसके अलावा यह भी सदन में बताया गया है कि जितने भी एक्जीबिट्स जापान और अमेरिका भेजे गये, सबकी ही प्रशंसा की गई है । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि विदेशी लोग आपके एक्जीबिट्स की तारीफ करते हैं तो आप यहां के एक्जीबिट्स बरबाद करने के लिये तुले हुये हैं । यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर आप बनारस से छोटी लाईन से गाजीपुर जायं तो रास्ते में सैदपुर स्टेशन पड़ता है । वहां एक चार्ट बना हुआ है । वहां यह लिखा है कि यहां से पांच मील भितरी एक स्थान है जहां कई मूर्तियां मिली हैं और आज भी मिल रही हैं । वहां अशोक पिलर भी है । वहां एक शंकर जी की मूर्ति है जिसमें तीन मुख हैं । वहां पर छोटे छोटे घड़े, लोटे, बरतन और मूर्तियां मिल रही हैं । पत्थर पर अभिलेख आदि भी हैं । मैंने सरकार को लिखा था कि इसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करा दें परन्तु एक साल हो गया कोई इसकी व्यवस्था नहीं हुई । मुझे इस बात का अफसोस है । मैंने एक चिट्ठी खुदाई के बारे में भी लिखी और उस पर सरकार का यह जवाब आया कि यह काम केन्द्रीय सरकार का है । अगर मुझे केन्द्रीय सरकार को ही लिखना है तो श्रीमन्, इस विभाग की क्या जरूरत है ? मैंने इसलिये लिखा कि जिसकी जानकारी आपको नहीं उसको मेरे बताने पर आप केन्द्रीय सरकार को लिखते या अपने अधिकारियों के जरिये जांच करवाते कि वहां किस किस्म की मूर्तियां व चीजें मिल रही हैं । अगर आपके संग्रहालय के उपयुक्त वे चीजें थीं तो आपका यह कर्त्तव्य था कि आप केन्द्रीय सरकार को लिखते और वहां खुदाई करवाते । मैं तो ऐसा समझता हूं कि वह सारनाथ से भी बढ़कर चीज है । जिस तरह से जापान में आप प्रशंसा के पात्र बने हैं, उसी तरह से मैं समझता हूं कि अगर दुनिया के जिस देश में भी आप एक्जीबिट्स भेजेंगे, तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी । जो पुरानी सभ्यता के निशानात हैं, श्रीमन, अगर आप उसको अधिक संख्या में बाहर भेज देंगे, तो आपकी कीर्ति ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही आपके पुरातत्व विभाग की भी कीर्ति ज्यादा बढ़ेगी । जापान आदि स्थानों को इक्जीबिट्स भेज कर आप प्रशंसा के पात्र बनते हैं । लेकिन विदेशी यात्री इस स्थान की महत्ता को देखने के लिये आयेंगे, तो उन्हें कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सी चीजें जमीन के अन्दर ढकी हैं और बाहर रखने का स्थान नहीं है । यह भितरी स्थान सैदपुर रेलवे स्टेशन से ५ मील पर है, यहां पर बहुत से यात्री लोग आते हैं । इस स्थान पर बोर्ड जो लगा है, इसको स्टेशन पर रखने की जरूरत नहीं है । इस बोर्ड को स्टेशन प्लैटफार्म से हटा दीजिये अन्यथा आप उस स्थान का निरीक्षण करवा लीजिये । वहां पर जो चीजें मिल रही हैं, उसको इकट्ठा करवा लीजिये और सुरक्षा की व्यवस्था कराइये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पैसे का दुरुपयोग होगा । जैसे कि श्री भगवान सहाय जी ने बताया कि गाजीपुर में एक कोट का स्थान है, वहां पर भी बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे उस स्थान का भी निरीक्षण करा लें और जो इम्पार्टेन्ट चीजें हैं, उनको सुरक्षित करने का प्रबन्ध करा दें ।

*श्री मुकन्दी लाल, बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, विषय इतना महत्व का है, इतना गम्भीर है, इतना उपयोगी है कि इसकी बाबत जैसा कि भगवान सहाय जी ने कहा कि अगर एक घंटा या दो घंटे का समय मिले तो मैं मसमझता हूं, वह भी कम होगा । सबसे पहले मैं अपने मंत्री जी को बधाई देता हूं । (व्यवधान) । तकिया कलाम नहीं है, बल्कि मैं हृदय से कहता हूं और हृदय से बधाई इसलिये देता हूं कि वह ऐसे विभाग के अधिकारी हैं जिसके ऊपर कि हमारे भारत के भविष्य की कीर्ति निर्भर है क्योंकि हमारे भारतवर्ष की कीर्ति, उसकी कला और कल्चर के लिहाज से ही सारे संसार में फैली हुई है और जिस बात के लिये हमारे सारे संसार में मान है, वह किस लिये होता है उसी कला के लिये, हमारी मूर्ति कला, चित्र कला के लिए, हमारे कलचर के लिये प्रशंसा हो रही है ।

[श्री मुकन्दीलाल, बैरिस्टर]

अब भविष्य के लिये अगर हमारे देश का भविष्य किसी बात पर निर्भर है, तो वह विज्ञान पर निर्भर है, और ऐसे विभाग के लिये २४ लाख तो क्या मैं कहताहूं कि २४ करोड़ इसके लिये कम है, जब और रुपया इसके लिये दिया जाय, तब इस विभाग की उन्नति आप कर सकते हैं । हमारे माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि भूगर्भ से भी जो हमारी कला है, उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं । मैं कह रहा हूं कुछ भी कोशिश नहीं हो रही है । बड़े अफसोस की बात है कि मंत्री जी इस पर सन्तुष्ट हो गये । ५०० फुट लम्बा और ५०० फुट चौड़ा, और ५०० फुट गहरा खोदने से कोई लाभ नहीं हो सकता । जब तक आप हजार फुट की गहराई में न जायं तब तक कुछ नहीं मिल सकता । उपाध्यक्ष महोदय, अहिक्षेत्र रामगंगा के तट पर है बरेली से बीस मील की दूरी पर । वहां पर खुदाई में ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो संसार में कहीं नहीं मिल सकतीं, गुप्त काल की चीजें वहां मिली हैं । लेकिन सन् १९४० में वहां खुदाई शुरू हुई थी और १९४४ में वह बन्द कर दी गई । १९४४ के बाद भारत को स्वतंत्र हुये भी इतने दिन हो गये, लेकिन आज तक फिर खुदाई नहीं हो सकी । असल में तो यह बात है कि लार्ड कर्जन ने आर्कियोलाजिक विभाग की अगर स्थापना न की होती तो आज भी जो कुछ हमारे पास है वह भी न होता । मथुरा की जो तारीफ, आप करते हैं वह कर्जन की ही देन है । कैसी कैसी मूर्तियां वहां मिली हैं ? एक एक मूर्ति के लिये ५० लाख रुपये तक बाहर वाले देने को तैयार हैं । हमको हतोत्साहित होने की बात नहीं है जैसा कि हतोत्साह भगवान सहाय जी को हुआ । मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्दलीय दल का नेतृत्व इस मामले में भी किया कि अपने लिये सबसे महत्वपूर्ण विषय रखा और उस पर सबसे ज्यादा समय भी लिया । उनकी सूचना भी विज्ञ लोगों से मिली, जो लोग सीकरेट्स को जानते थे उन्होंने उनको सूचनायें दीं और जो बातें उन्होंने कही हैं मैं समझता हूं उन पर कार्यवाही की जायगी । लेकिन भगवान सहाय जी यह नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है । ललित कला यहां हर सप्ताह में प्रदर्शनियां करती है, लेक्चर दिलाया करती है, कल्चर का न्यूक्लिअस जिसको कहते हैं, वह चीज वह बन गई है । हमारा म्यूजियम उत्तम कोटि का म्यूजियम है । ललित कला की उन्नति और प्रान्तों में इतनी नहीं हो पाई है जितनी हमारे प्रान्त में हुई है ।

हां, यह अफसोस की बात है कि डायरेक्टर्स हमको नहीं मिल रहे हैं । यह भी बड़े भारी ताज्जुब की बात है कि यू० पी० के अन्दर बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं , बड़े बड़े आर्किटेक्ट मौजूद हैं और तब भी हमको डायरेक्टर नहीं मिल रहे हैं । इसकी बाबत भी मंत्री जी को सोचना होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरुआत हमारे प्रान्त में बहुत अच्छी हुई है और इसके लिये मैं मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया है और मैं यह चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर वह २४ लाख रुपये की जगह २४ करोड़ रुपये इस विभाग के लिये मांगे और मैं जानता हूं कि माननीय भगवान सहाय जी सारे विरोधी दलों को इस बात के लिये तैयार करेंगे कि सारा अपोजीशन मंत्री जी का उसमें साथ देगा । इसमें कोई नुक्ताचीनी की बात नहीं है, अपोजीशन का भी भविष्य इसमें है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

(श्री रक्षपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, फिर आप की तरफ से ऐसा ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता ।

श्री उग्रसेन—

या तो हम लोगों को बुलवाने का प्रबन्ध किया जाय या मेरा यह प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घन्टा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये आप बोल लीजियेगा ।

(श्री रक्षपालसिंह का नाम पुकारा गया ।)

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमेशा जानकारी चाहते हैं, कभी प्रस्ताव करना चाहते हैं। (व्यवधान) सारा समय इसी तरह से चला जायगा, आप बोलने दीजिये, बैठ जाइये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप क्रोध में न आइये, यह आपके लिये शोभा नहीं देता ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय रक्षपालसिंह को बुला लिया है आप उनको बोलने दीजिये ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव जो विरोधी दल की ओर से आया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने जिस जिस विषय के लिये अनुदान मांगा है, वे निश्चय ही महत्वपूर्ण हैं । परन्तु एक भ्रान्ति आज सारे प्रदेश और समाज में है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से जितने भी काम होत हैं वे सब क सब नाच गान क होत ह । बड़ी विचित्र सी स्थिति है । वास्तव में होता क्या है कि जहां कोई बड़ा आदमी पहुंचा या माननीय मंत्री जी पहुंचे और रात्रि में वहां ठहरना हुआ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दिया जाता है जिसमें केवल दो चीजें होती है--या तो नाच होता है या वादन होता है । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आगे से सरकार की ओर से यदि ऐसा कोई कार्यक्रम कभी रखा जाय तो उन्हें कलात्मक या मनोरंजनात्मक भले ही कह लिया जाय, लेकिन उनका नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम न रखा जाय ।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया यह बड़े सौभाग्य की बात है कि नैनीताल वेधशाला का स्थान दुनियां के अन्दर प्रथम श्रेणी में आया है । मैं भी पिछले साल जब नैनीताल गया था जब महावीर मन्दिर की तरफ से उधर जाने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि उस मार्ग से रात्रि में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दिन में भी उस मार्ग से वहां जाने में काफी परेशानी है । इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध अवश्य करा दें कि वहां तक जाने का मार्ग जो करीब एक या डेढ़ किलोमीटर तक का है वह ऐसा बन जाय कि जिससे लोग सुविधापूर्ण वहां तक जा सकें। जहां तक रजा पुस्तकालय का उल्लेख किया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से इतना अवश्य जानना चाहूंगा कि किस विशेष संस्कृति के लिये यह विशेष पुस्तकालय है जिसके लिये यह विशेष अनुदान उसे दिया जाता है तथा कौन सी संस्कृति कला है जिसकी रक्षा के लिये वह पुस्तकालय बना है।

एक अन्य बात मुझे और कहनी है यहां का जो संग्रहालय है जिसको मैंने देखा तो मालूम हुआ कि वह अभी अपूर्ण स्थिति में हैं और धीरे धीरे उसमें कुछ कक्ष बढ़ाये जा रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है वह बहुत अच्छी है तथा खजूर वगैरह की कुछ पत्तियां भी लगाई गई हैं, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेंगी । वह थोड़े दिनों के बाद जब खराब हो जायंगी तो उनको बदलना पड़ेगा । वहां पर कई शेर आदि जानवर लाकर रखे गये हैं, लेकिन वे बिलकुल अस्थायी ही हैं उस पर मंत्री जी विशेष ध्यान दें ।

अब मैं अपने जिले फतेहपुर के कुछ ऐतिहासिक स्थानों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में जब माननीय मंत्री जी से मैंने बातचीत की तो उन्होंने इस पर ध्यान देने की कृपा की तथा आश्वासन भी दिया । हमारे जिले के दो प्रमुख सेनानी सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के वक्त के हो गये हैं, जिनके नाम ह, श्री दरियाव सिंह तथा श्री गोद्धा सिंह। खागा स्थान म श्री दरियाव सिंह की गढ़ी है जिसकी फोटो भी छपी है ।

[श्री रक्षपालसिंह]

तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उस गढ़ी का संरक्षण होना बहुत ही आवश्यक है। सरकार को चाहिये कि वह उस गढ़ी के रख रखाव के लिये भी कुछ खर्च करे। इसी तरह से बावन इमली खजुहा में श्री योद्धा सिंह को ५१ साथियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की वजह से फांसी की सजा दी गयी। वह भी एक ऐतिहासिक स्थान है और इन स्थानों पर हर साल मेला भी लगता है। खागा गढ़ी के लिये एक समिति भी बनी हुई है, तो माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे उन स्थानों के संरक्षण की व्यवस्था करने की तरफ विशेष ध्यान दें।

इसी तरह से प्रयाग जिले में मलूकदास समिति के लिये १० हजार रुपया सरकार द्वारा मंजूर किया गया था, लेकिन उसमें केवल ५ हजार रुपया ही दिया गया जिससे स्मारक सम्बन्धी काम अधूरा ही पड़ा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ५ हजार की शेष रकम भी मिल जानी चाहिये। यह कड़ा नामक स्थान है जो प्रयाग जिले के अन्दर है। वह हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों के लिये धार्मिक स्थान है। सरकार को उसकी खोज अवश्य करनी चाहिये।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के लिये अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि जो धनराशि मांगी गयी है वह बहुत ही नगण्य है। संस्कृति के नाम पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इस बात का गर्व होता है कि भारतवर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश का मुख्य स्थान रहा है। जब पुरानी सभ्यता व संस्कृति पर हम निगाह डालते हैं तो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण काल बौद्ध काल का आता है। और उस समय से आज तक जो कुछ हम खोज कर पाये हैं उस से ऐसा पता चलता है कि प्रदेश में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है। प्रदेश की चारों तरफ की भूमि सांस्कृतिक तत्वों से भरी हुई है जिसके लिए यदि खोज की जाय तो बहुत कुछ सामग्रियां ऐसी हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के लिए २४ लाख रुपया तो कर्मचारियों की तनख्वाह भर के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। इस विभाग की तरफ से ऐसी उदासीनतापूर्ण दृष्टि बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में चरदा, श्रावस्ती तथा डुगों का क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियों के भग्नावशेष मौजूद हैं। हमारे क्षेत्रीय भाषा में डुगों के नाम से वह इलाका पुकारा जाता है। वहां तमाम प्राचीन मूर्तियों के खंड मिलते हैं और कई विद्यार्थियों ने खोज भी की है तथा हमारे प्रान्त के "स्वतन्त्र भारत" और "नवजीवन" आदि समाचार पत्रों में बराबर इसकी चर्चा आती रहती है, लेकिन विभाग का कोई ध्यान इस तरफ नहीं जाता, कोई उस बारे में अन्वेषण नहीं हुआ और न कोई सन्तोषजनक ध्यान दिया गया तथा खोज की गयी। बसुधैव कुटुम्बकम की धारणा ले कर हमारे देश ने अपनी सभ्यता का प्रचार किया। यह मानी हुई बात है कि यदि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो जहां राष्ट्र का नाम आता है वहां अपने प्रदेश, जिला तथा क्षेत्र की तरफ ध्यान जायगा। यदि हमारा ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं जायगा तो हम राष्ट्र की उन्नति करने में कभी भी सहायक नहीं हो सकते। आज हम अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं और उस की जगह हिन्दी को समुचित स्थान देना चाहते हैं। लेकिन जब भी शब्दों की खोज करते हैं तो हमें बौद्धकालीन कोष से ही शब्द मिलते हैं और प्राविधिक शब्द भी वहीं से मिलते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर पावा, कुशीनारा, श्रावस्ती आदि क्षेत्र भारतीय संस्कृति से भरे हुये हैं, लेकिन कोई कार्य ऐसा होता हुआ नहीं दिखायी देता है जिस से पता चले कि उनकी खोज की जा रही है।

डाक्टर साहब को बधाई इसलिए भले ही दे लें कि यह विभाग जीवित है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह विभाग जीवित होते हुये मृत सम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी धनराशि बढ़ायी जाय। आज अगर हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता जीवित न होती तो संसार

तथा देश के अन्दर हमारा कोई स्थान नहीं रहता। एक समय था जब सम्पूर्ण एशिया में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पनपी थी, और आज हम स्वतन्त्र होते हुये संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी नगण्य मांग उचित प्रतीत नहीं होती। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये तथा माननीय मन्त्री जी को अधिक मांग के लिए जोर लगाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय भगवान सहाय जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बात मैं भी मानता हूं कि जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है इसका जो बजट है वह बहुत कम है। सरकार ने जो इतना कम रुपया रखा है इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस से हमारी संस्कृति बढ़ेगी, जिस से मानवता प्रतिष्ठित होगी, उसका मतलब यही होता है कि २४ लाख रुपया रख कर सरकार चाहती नहीं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता ऊपर आये। दिग् दिगन्त को हम रोशनी देते थे वेद और ब्राह्मण आदि से उसके वारिस के रूप में आप के यहां खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप ने किसी मन्त्री को यहां खड़ा कर दिया कि इस मांग को प्रस्तुत कर दो। इस मांग की पहली ही लाइन में दिया हुआ है "वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य"। संस्कृति तथा वैज्ञानिक शोध किसी बहुमुखी राज्य का प्रतीक होती है। इस राज्य की संस्कृति क्या है ? वैज्ञानिक शोध क्या है ? श्रीमन्, आप तो स्वयं विद्वान हैं और जानते हैं कि कम से कम उत्पादन और वितरण के साधनों के रास्ते हैं। बदलाव जो होता है उसका असर हमारी संस्कृति पर भी पड़ता है। यह कैसे होता है कि एक माननीय मन्त्री का कुत्ता हलवा और पूड़ी खाता है और एक भूख से मर रहा है। हमारे मित्र माननीय भगवान सहाय जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, क्योंकि यह उनका विषय है। माननीय शर्मा जी को भी काफी जानकारी है, लेकिन मुझे एक या दो बातें ही कहनी हैं। नीरज कवि का कहना है :

"सूखी अंतड़ियों को सन्देश सुनाने वाले,
अरे, भूख इन्सान को गद्दार बना देती है ! "

क्या वे संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे जो स्वयं भूखे हैं ?

कुशीनारा एक बहुत बड़ी पूजनीय जगह है। उस के पास मगहर एक स्थान है। वहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने नौकर चन्ना को सन्यास में जाते समय घोड़ा और अपना राजशाही ठाठ-बाट का सारा सामान दे दिया था और काषाय वस्त्र पहन कर चल पड़े थे, कांटों भरी राह पर, सत्य की खोज में। मगहर को खोदकर क्यों नहीं निकाला गया ? गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यापक ने जाकर खोज की थी कि देवदाह कहां है। उन्होंने एक रपट भी दी थी। बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। एक रपट काशी विश्वविद्यालय ने भी दी है। अन्य विश्वविद्यालयों को जो सहायता दी है, उन से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गयी ? प्रथम सर्वेक्षण रिपोर्ट जनरल कनिंघम ने लिखी थी। उसमें भी हमारी संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। १९०८ में अंग्रेजों ने जो प्रत्येक जिले का इतिहास लिखा है, उसमें भी हमारी संस्कृति का पूर्णरूपेण विवेचन है। मैं कहता हूं कि सब के बारे में सोच समझ-कर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के स्तर पर क्यों नहीं पढ़ाते। मैं आप से कहता हूं कि इतनी बड़ी मूर्तियों की चोरी हुयी, सारी मूर्तियां चोरी करने के बाद इंग्लैन्ड में चली गयीं, पर चोरों का पता नहीं लगा। बद्रीनाथ में बाबा बोलन्दा का क्रीट-मुकुट चुरा लिया गया। वह भी बम्बई में बेच दिया गया। इसी तरह शंकर भगवान की मूर्ति चोर चुरा ले गये और आप यहां पर बैठे रहे। स्मिथ साहब ने इतिहास लिखा है कि पहले के कलक्टरों को संस्कृति और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

सभ्यता की बहुत जानकारी रहती थी। लेकिन आजकल के कलक्टर तो क्लब में बैठकर मौज मार रहे हैं। उनको हमारी संस्कृति और सभ्यता से क्या मतलब? इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक हवा बनाइये, एक वातावरण पैदा कीजिये कि यहां के लोग बौद्ध साहित्य पढ़ें, जन साहित्य पढ़ें, और ब्राह्मण ग्रन्थों को पढ़ें, लेकिन आप तो अंग्रेजी चला रहे हैं, मेकाले के मानस पुत्र की परम्परा चलायी जा रही है और कहते हैं कि हमारी संस्कृति का विकास हो, हमारी ललित कलाओं का विकास हो तो वह कैसे सम्भव है? क्या आप ने कभी कुम्हार की ललित कला देखी है, क्या आप ने कभी तेली की कला देखी है, क्या आपने उनको कोई प्रोत्साहन दिया है? जब तक आप अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, उत्पादन और वितरण के रिश्ते को ठीक नहीं करेंगे, जब तक जनतन्त्र में समाजवाद नहीं लायेंगे तब तक हमारी संस्कृति और सभ्यता कायम नहीं रह सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मन्त्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मांग के महत्व को दोनों पक्षों ने सराहा है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है और निर्विवाद है, इसमें भी मतैक्य है कि इस मांग के लिए जो धनराशि मांगी गयी है वह कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि ऐसी एक सर्वांगीण भावना है। लेकिन कुछ विचारों के क्रम में भ्रम सा है। जैसे कुछ मित्रों ने ललित कला और गाने बजाने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर भी संकेत किया, वे समझते ह कि इन का सम्बन्ध सूचना विभाग से है। लेकिन ऐसा नहीं है। बोलते समय इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान की जड़ें भविष्य में और भविष्य की जड़ वर्तमान में होती हैं। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है तो हमारी हालत इस अतीत के समान ही रहेगी। माननीय उग्रसेन जी ने अपने स्वभाव के अनुसार जो कुछ भी कहा है उस के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सांस्कृतिक कार्य-कलापों की ओर सदन का ध्यान तो दिलाया।

मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे प्रदेश का क्षेत्रीय सर्वेक्षण होना चाहिये। हम लोगों की जानकारी के आधार पर यदि सर्वेक्षण किया जायगा तो हमारे इतिहास को काफी सुदृढ़ता प्रदान होगी। विशेषतः हमारी जानकारी है जिसका जिक्र हमारे मित्रों ने किया है कि लोगों के रहन-सहन, विचारों और पुरानी सांस्कृतिक बुनियादों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है।

गोरखपुर तथा प्रदेश के पांचों विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को पुरातत्व विभाग की शोध के लिए एक एक हजार रुपया दिया गया। मैं इस को उपहासप्रद समझता हूं। यह तो उपहास करना है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जो काम किया है उस की मुझे निजी जानकारी है। सौभाग्य से जो कार्य प्रारम्भ किया गया वह मेरे क्षेत्र के एक भाग में ही किया गया। वहां पुराने ब्राह्मणों की आबादी है। वहां जो खोज का कार्य इस विश्वविद्यालय ने किया वह ग्रान्ट की रकम को देखते हुये उससे कई गुना ज्यादा है। मेरी सूचना है कि रुपये के अभाव में उनका कार्य रुक गया है। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वे स्वयं भी देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं क्योंकि गोरखपुर उनके रास्ते में है। वे स्वयं भी पढ़े-लिखे हैं, विद्वान हैं और साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र से आते हैं गोरखपुर और देवरिया से जो पूर्वांचल की सांस्कृतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि उनको खुद भी उस क्षेत्र की पूरी जानकारी है और उस ओर वह ध्यान देंगे।

इस पुरातत्व विभाग का सम्बन्ध हमारी पुरानी लिपियों, रचनाओं से भी है। यह कार्य भी पुरातत्व विभाग के सुपुर्द होना चाहिये। वाराणसी विश्वविद्यालय में चायनीज, पाली तथा अनेक भाषाओं की मैनिसक्रिप्ट्स हैं। उनको मेन्टेन किया जा रहा है, उन का अनुवाद किया जा रहा है, लेकिन धन की कमी से वह काम हो नहीं पा रहा है। इस को वित्त पोषित किया जाय ताकि यह कार्य संतुलित रूप से चल सके। इन सुझावों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

(श्री विजयसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा---

मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने इस विषय में काफी अध्ययन किया है और चीजें इकट्ठा की हैं। आज मैं उन चीजों को सदन के सामने लाना चाहता हूं और आप अगर उसके लिए इजाजत नहीं देना चाहते हैं तो कहिये फिर मैं इस्तीफा दे कर सदन से चला जाऊं। चूंकि आप न तो भ्रष्ट लोगों की तस्वीर ही रखने देना चाहते हैं, और न जनहित की बातों को ही रखने देना चाहते हैं। ऐसी दशा में आप कहें तो हम त्यागपत्र देकर चले जायं। चूंकि आप को बराबर क्रोध में हम देखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा आप चाहें करें। आप इस समय बैठिये।

श्री उग्रसेन---

आप उनको भी ५ मिनट का मौका दे दीजिये। इस से हमको और आप को भी जानकारी होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं विजयसिंह जी को बुला चुका हूं। अब आप बैठें।

*श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भगवान सहाय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी जिस पर अपने विचार व्यक्त न किये हों, लेकिन मैं खास तौर से डाक्टर साहब का ध्यान ललित कला एकेडैमी की ओर दिलाना चाहूंगा। जिसे माननीय सदस्य ने थोड़ा इशारा मात्र ही दिया। मैं डाक्टर साहब का आभारी हूं कि पिछले वर्ष जब इस पर कटौती का प्रस्ताव आया था और उस समय जो सुझाव दिये गये थे उस पर उन्होंने इस वर्ष ध्यान दिया है सुझावों पर अमल किया। जिस से हमको प्रोत्साहन मिला है कि हम जो बात कहते हैं और उस पर विचार किया जाता है।

हमारी जो प्राचीन वस्तुएं हैं, प्राचीन संस्कृति है उन से सम्बन्धित जो स्थल हैं वे प्रहरी के रूप में हमको मूक शिक्षा दे रहे हैं। ललित कला एकादमी भी हमारे जीवन का विकास करने के लिए एक साधन है। भारतवर्ष में आदि काल से सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा कला का विकास इस के जरिये होता आया है। लेकिन आज इस की उपेक्षा की जा रही है। ललित कला एकादमी नाम की जो संस्था है, उस में ऐसा नीरस व्यक्ति है जिसको कला से प्रेम न हो तो वह उस की क्या सराहना कर सकता है, क्या सरसता के लिये प्रोत्साहन कर सकता है जो व्यक्ति सरस हो, जो सरसता के महत्व को जानता हो, हृदय में संस्कृत के नाम पर गुदगुदी हो, वही अपना योग उसमें दे सकता है उसमें दे सकता है? बंगाल प्रदेश कला का प्रेमी है। ज्यादातर वहां आदमी कला प्रेमी होते हैं, लेकिन हमारे यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजयसिंह]

ललित कला एकादमी के प्रेसिडेंट हैं राधा कमल मुकर्जी जो एकोनामिक्स में एम० ए० हैं। यह कहां तक उचित है? यह देखने की बात है कि वह उसमें कहां तक सहयोग दे रहे हैं? यह कला उमर और विषय से भी सम्बन्ध रखती है, इसमें एकानामी की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो सहृदयता चाहिये। इसी तरह से इस में एक सदस्य और हैं श्री बशीर अहमद साहब जो कानपुर के चमड़े के व्यापारी हैं। वह पोस्टर्स खरीदते हैं और पेंटिंग को लेकर प्रदर्शित करते हैं (लाल बत्ती होने पर)।

हमको २ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, अब आप बैठ जाइये।

श्री विजय सिंह—

जल्दी कोशिश करूंगा आप मुझे अभी बोलने दीजिये।

तो मान्यवर, मैं जो कह रहा था वह तो समाप्त करता हूं और दूसरी ओर जाता हूं जो आप की कलायें और ड्राइंग्स हैं, यह सब आज उन मेम्बर साहब की आलमारी में बेकार और उपेक्षित पड़ी हुई हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनके खराब होने का विश्वास है जिसका कारण यह भी है कि इनमें कच्चा खड़िया का रंग इस्तेमाल होता है, जो जल्दी ही खत्म हो जाता है। मान्यवर, इन्हें संग्रह करने की जरूरत है पर जिससे जनता भी लाभ उठाये, इससे प्रदर्शन किया जाना जरूरी है, लेकिन यह नहीं हो रहा है। इसके लिए आवश्यकता है कि यू० पी० के आर्टिस्ट लोगों को विभाग इन्वाइट करे और उन्हें उचित सम्मान दे, जिससे कि वह प्रोत्साहित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिये, आर्टिस्ट के मध्य छोटे-बड़े अपने पराये का भेद नहीं किया जाना चाहिये, सभी को उचित सम्मान मिलना चाहिये, जिससे वह अपनी कला को उच्चता प्रदान कर सकें और हम और आप सभी उससे लाभान्वित हो सकें।

दूसरी बात जो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा वह यह है कि आप इन कलाओं का एक्जीवीशन के जरिये अधिकाधिक प्रचार करें और इसे जन-साधारण के लिए सुलभ बना दें, जिससे हर एक आदमी इसमें दिलचस्पी ले सके। जो उपेक्षित और अनमैच्योर्ड कलाकार हैं, उन पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिये और उनके साथ हमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहिये, तभी उनमें जो कलाकार उपेक्षित हैं वह अच्छे कलाकार निकल सकते हैं। जब आप कभी छोटे कलाकारों को प्रदर्शन कराने का अवसर देते हैं तो तमाम खर्चा उन्हें देना पड़ता है आपका लाल बारादरी का जो हाल है, उसमें जब कभी कला का प्रदर्शन होता है तब बिजली वगैरह का तथा अन्य प्रकार का बड़ा खर्च होता है, जिसमें कि छोटे-छोटे कलाकार अपनी कृतियों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अतः एक्जीबीशन का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। लाल बारादरी में जो ४ हाल हैं, उसमें एक इसी कार्य के लिए आप दे दें जिससे कि जो अनमैच्योर्ड कलाकार हैं, वे उसमें अपना प्रदर्शन किया करें और इससे उनको प्रोत्साहन मिले। मान्यवर, हमारे यहां बड़े-बड़े अच्छे कलाकार हैं। इटावा में जालौन में बड़े अच्छे कलाकार हैं, आप इन्हें और बम्बई और कलकत्ता से कलाकार बुलायें और उनको सम्मान प्रदान करें जिस से कि वह अपनी अच्छी-अच्छी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। आप को चाहिये कि उनसे फायदा उठावें और यदि ये लोग कुछ पैसे की मदद चाहते हैं तो आपको यह भी चाहिये कि आप उनकी आर्थिक सहायता करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ, अब आप समाप्त कर दें।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव यह और है कि आप के जो लोकल टैलेन्ट्स हैं उन को आप सम्मान और मदद दें। एक बात और कह दूं जो कलाकृतियां बिखरी पड़ी हैं उनको आप एक जगह इक्ठ्ठा कर दें और यहां पर एक परमानेन्ट आर्ट गैलरी वगैरह नियुक्त कर लें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान पर पेश कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवानसहाय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विभाग के कार्य के सम्बन्ध में जो कहा मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कितना समय दिया गया है वह बता दें जिससे मैं उसके अनुसार बोल सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप को ५ मिनट का समय दिया गया है।

श्री भगवान सहाय—

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सन् १९६३ में जब से यह विभाग प्रथम बार कटौती प्रस्ताव के लिए लिया गया था, उस समय इस विषय के लिए एक चौथाई दिन दिया गया था और कहा गया था कि इसमें क्या बोलेंगे? मुझे खुशी इस बात की है कि आज इतने माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया। सन् १९६३ में मैंने कहा था कि यह बदकिस्मत विभाग है, इसलिए नहीं कि वहां भ्रस्टाचार है बल्कि इसलिए कि माननीय सदस्यों की इसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्यों की इस में दिलचस्पी हो गयी है और उन्होंने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया है। मैं तमाम माननीय सदस्यों का अभारी हूं और विशेष कर माननीय उग्रसेन जी का क्योंकि उनका पेशा सिपहगरी का था, लेकिन आज वे कला पर भी बोले। जब ऐसे ऐसे आदमी जिनका सौ पचास पुश्तों से पेशा सिपहगरी रहा हो, और उसकी झलक सदन में भी मिलती है उनके भाषण से, वे कला में हिस्सा लेने लगें, तो मैं समझ गया कि हम ने कितनी तरक्की इस मामले में की। मैं डाक्टर साहब को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन पर हमारी आलोचना ने असर किया। जो क्रिटिसिज्म मैंने किये उसको उन्होंने सुना और उन पर ऐक्शन लिया। मैं समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं। अगर इसी स्प्रिट से वे कार्य करते रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश का म्युजियम जो हिन्दुस्तान का बेहतरीन म्युजियम रहा है अपनी सही जगह पर फिर आ जायेगा।

डाक्टर सीताराम—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने ९-१० माननीय सदस्यों के भाषण सुने। उन के जो सुझाव आये हैं उन पर पूर्णरूपेण विचार करने के पश्चात् उन पर कार्य करने का मैं प्रयास करूंगा। भगवान सहाय जी ने जो बातें कहीं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना उचित समझता हूं। उन्होंने आर्काइब्ज के बारे में कहा कि एक सज्जन जो विलायत गये थे उन्होंने एक किताब लिखी है और उस में ऐसे बहुत से कोटेशन्स दिये हैं कि जो दुनिया की और किताबों में है। इस सम्बन्ध में मैं उनको आश्वासन देता हूं कि इस किताब को मैं हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि इस विषय पर जो दुनिया के तीन टापमोस्ट राइटर्स हैं उनकी ओपिनियन के लिए उसे भेज रहा हूं। और अगर उन की ओपिनियन में इस किताब में कोटेशन्स पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पाये गये तो उनके खिलाफ जैसी उन की राय होगी वह कार्यवाही की जायगी, यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।

दूसरी बात बाजपेयी जी के न आने की है। वे कई साल से मथुरा म्युजियम में क्युरेटर थे और उसके पश्चात् वे सागर युनिवर्सिटी में चले गये। उन के लिए १,२०० रुपये महीने आफर हुये, लेकिन वह हमारे प्रान्त में नहीं आये। डाक्टर काला पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव होकर यहां आये और यहां ज्वाइन किया ऐज डाइरेक्टर म्युजियम, लेकिन साल भर या १५ महीने के बाद वह भी चले गये। उसके पश्चात् उस पोस्ट का ऐडवर्टाइजमेंट कमीशन के द्वारा हुआ। कमीशन ने एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी है। जिसके पे स्केल के बारे

[डाक्टर सीताराम]

में अभी सरकार और कमीशन के बीच में लिखा-पढ़ी चल रही है। वे केन्द्रीय सरकार के सेन्ट्रल म्युजियम के असिस्टेंट कीपर हैं।

तीसरी बात माननीय सहाय जी ने यह कही कि कुछ क्वायन्स फेक क्वायन्स हैं। वे १८३ की संख्या में हैं। उस के लिए मैं यह कहना उचित समझता हूं कि इस बारे में एक कमेटी है जिसके चेयरमैन, डाक्टर पन्नालाल, रिटायर्ड, आई० सी० एस० हैं। ये फेक क्वायन्स आज से कई साल पहले इस म्युजियम के लिए खरीदे गए थे और इनके लिए अभी जांच चल रही है। एक अफसर जो वहां के डाइरेक्टर थे उनको गिल्टी पाया गया और उनको नौकरी से हटा दिया गया है।

बौद्ध हेड के बारे में कहा गया कि मथुरा म्युजियम से यह गायब हो गया और अभी तक पता नहीं चला है। उसके बारे में यह कहूंगा कि नेशनल पेटां का हैड क्वार्टर पेरिस है। वहां पर वह मिला। सन् १९६१ में वह गायब हुआ था। भारत सरकार स्वीटजरलड की सरकार से अपनी इम्बेसी के जरिए से बात कर रही है। हम समझते हैं वह मसला हल हो जायगा कि किस तरह उसको भारत में लाया जाय।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह मथुरा से कैसे गायब हो गया?

डाक्टर सीताराम—

मथुरा म्युजियम से कुछ सरकारी कर्मचारियों ने इसको बेच दिया था। यह १९६१ की बात है। सन् १९६१ में कुछ कर्मचारियों को वहाँ से निकाला गया था। अभी सी० आई० डी० की इन्क्वायरी चल रही है। जो इसके सारे रहस्य का पता लगायेगी। इसके बाद यह भी कहा गया कि यहां पर सोने के क्वायन्स हैं उनको म्युजियम में क्यों नहीं लगाया जाता। उसके बारे में मुझे यह कहना है कि अभी जो प्योर सोने के सिक्के हैं वह इसलिए नहीं लगाए जा सकते कि उनके लिए वहां पर कोई फुल प्रूफ लाक नहीं है। उनके लिए रैप्लिका नहीं बनती और वैसे उसके लिए ज्यादा पुलिस की जरूरत भी पड़ेगी। मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह काम होगा। जब १३ लाख रुपए का म्युजियम बना है और उनके लगाने के लिए सेफ्टी का प्रबन्ध हो जायगा तब उनको लगाया जायगा।

पत्र जो सहाय जी ने लिखा था उसके विषय में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा। वह २७ तारीख को मेरे सामने पुटअप हुआ। मैंने कहा कि माननीय भगवान सहाय जी का उत्तर चला जाना चाहिए। जो प्रश्न उठाया उसमें कहा गया कि १०५ मूर्तियों की उसमें कमी है, लेकिन ६२४ मूर्तियों की खासकर स्कल्पचर की बढ़ोत्तरी हुई है। टेराकोटा की जो मूर्ति है उसमें ५७ की कमी है, लेकिन ८५९ की बढ़ोत्तरी है। इसी तरह से जो मैटल की मूर्तियां हैं उसमें ३० की कमी है तो ३२ की उनमें बढ़ोत्तरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मथुरा म्युजियम और लखनऊ म्युजियम १०० वर्ष पुराने म्युजियम हैं और अंग्रेजों के जमाने में इन म्युजियमों में कोई भी रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता था। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस जनतंत्रीय सरकार ने १९५७ में इस काम को अपने हाथों से लिया और एक अलग से विभाग बनाया। अगर यह काम सरकार ने अपने हाथों में न लिया होता तो पता नहीं आज कितनी मूर्तियां वगैरह गायब होतीं। जब माननीय गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने यह आदेश दिया था कि हर मूर्ति का वेरिफिकेशन हो और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाय। अब हर मूर्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन रखा जाता है। इस तरह का हिसाब और कहीं किसी प्रदेश में नहीं रखा जाता। सिर्फ भारत सरकार ने यू०पी० की नकल करके इस काम को शुरू किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां भी जो कमी होगी उसको पूर्ण रूपेण ठीक किया जायेगा। जिन मूर्तियों के बारे में माननीय भगवान सहाय जी ने कहा है कि मिसिंग हैं, अगर वे मुझे सिर्फ लिख कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं उच्च स्तरीय उसकी जांच कराऊंगा और उसकी जांच सी०आई०डी० द्वारा भी करा लूंगा।

माननीय चन्द्रसिंह रावत ने २५० रुपये जो रिसर्च स्कालर को मिलते हैं उसके लिये कहा । पहले यह रकम १५० ही थी । उसके बाद २०० हुई, अब हमने २५० रुपये कर दी है । हमारे सूबे में रिसर्च ग्रांट न मिलने के कारण लोग पी-एच०डी० नहीं कर पाते थे । भारत सरकार भी जो एम०एस-सी० के बाद रिसर्च करते हैं उनको ३०० रुपये देती है । हमने १५० से आज २५० कर दिये हैं ।

माननीय कमलासिंह जी ने सैदपुर में कोई मन्दिर है उसकी जांच कराने के लिये कहा । वह मंदिर भारत सरकार के अन्तर्गत है । फिर भी मैं अपने आफिसरों से उसकी जांच कराऊंगा और जो कमी होगी उसकी शिकायत भारत सरकार को लिखूंगा ।

माननीय रक्षपालसिंह जी ने नैनीताल की आब्जरवेटरी की बात कही । वहां पर २० इंच डायमीटर टेलीस्कोप था । अब ४० इंच डायमीटर का हम लगाने जा रहे हैं । इसके लिये साढ़े १२ लाख रुपये रखे गये हैं । इसके लिये भारत सरकार के द्वारा जर्मनी की एक फर्म को ठेका भी दे दिया गया है और सन् १९६८ तक यह लग जायेगा। इसके लग जाने से नैनीताल की आब्जरवेटरी दुनिया की १२ आब्जरवेटरियों में से एक बड़ी आब्जरवेटरी होगी । आज भी साउथ ईस्ट एशिया में इसकी टक्कर की कोई नहीं है ।

पहली फरवरी, १९६५ तक ५१७ सेटलाइट दुनिया में मूव कर रही हैं । जिसमें अमेरिका और रशिया के ज्यादा हैं। वह आइनोसोफिया जगह है जहां कि १०० मील से एक हजार मील के वायु मंडल में सैटेलाईट चक्कर लगा रहे हैं । उसको पता लगाने के लिये हमारे यहां नैनीताल की आब्जरवेटरी काम करती है जिसमें ३० सैटेलाईट, खास करके अमेरिका के पता लगा रहे हैं । वहां ७६ कर्मचारी, चपरासी से डायरेक्टर तक हैं, लेकिन वैसी जगह पर जिस तरह से वे अपना कार्य सम्पादित करते हैं, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

इसके अलावा, माननीय बसन्तलाल जी ने तथा श्री उग्रसेन तथा शुक्ल जी ने श्रावस्ती के बारे में कहा । मैं उन्हें इस संबंध में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग इसकी छानबीन कर रहा है और अभी तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है । उस रिपोर्ट के आने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही क्या हो सकती है उस पर विचार किया जावेगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय भगवान सहाय जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लें । क्योंकि वे अन्य देशों के जिन्दा मुर्दा म्युजियमों को देख चुके हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जब वे यू०पी० के जिन्दा म्युजियम को देखेंगे तब उन्हें स्वयं विश्वास हो जावेगा कि हमने कितना काम किया है ।

श्री भगवान सहाय—

श्रीमन्, माननीय डाक्टर साहब के विश्वास के अनुसार, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६–वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २४,०५,६०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१५ फरवरी, १९६५ की श्री रघुवीर सहाय कैथवार आदि की नियम ५० के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि तीसरे पहर जो सर्कुलर मुख्य सचिव ने भेजा था कि हैड आफ दि डिपार्टमेंट के जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको अगर वे सरकार की आलोचना करें तो नौकरी से जबरदस्ती पेंशन दिलवा दें और जो टैम्पोरेरी हैं उनको बिना कारण बताये नौकरी से अलग कर दें। मैंने यह मुख्य मंत्री को लिख कर दिया है। इसका या तो अभी उत्तर दिलवा दें या....

श्री उपाध्यक्ष—

इसे माननीय अध्यक्ष सुबह करेंगे।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था की योजना की व्यवस्था कर रक्खी है। उसी व्यवस्था के अन्तर्गत सन् १९५६ में श्री अब्दुल सत्तार खां, सहायक सचिव, कृषि विभाग को १२,३६० रुपये मकान बनाने के लिये कर्ज दिया और श्री खां ने सन् १९५६ में जो मकान खरीदा उसे श्री अब्दुल सत्तार खां ने १२,३६० रुपये में चौक, लखनऊ में खरीदा और ३ साल तक उसे २०० रुपय माहवार किराये पर उठाए रखा। उसके बाद उन्होंने उस मकान को २४,५२६ रुपये में श्री दानिश अली के नाम बेंचा। इस तरीके से ७,२०० रुपये किराये का मुनाफा और २,००० रुपये मकान का मुनाफा उठाया। इसके बाद श्री अब्दुल सत्तार खां, असिस्टेंट सेक्रेटरी, कृषि विभाग ने १९६३ में सरकार से १८,२४० रु० मकान खरीदने के लिए कर्ज लिया और उस रुपये में से जिस जगह के लिये मकान खरीदने के लिये कर्ज लिया था, उस जगह मकान न खरीदकर मामू भांजे के कब्र, वजीरगंज में १०,००० रुपये में मकान खरीदा और ८,२४० रुपये उसमें बचाया। इस मकान के आधे भाग को २०० रुपये के करीब में किराये पर उठाया और आप एक भाग में स्वयं रहने लगे। श्री अब्दुल सत्तार खां, असिस्टेंट सेक्रेटरी इस मकान को खरीदने के पहले जिस ३६, पुराना जगत नारायण रोड, लखनऊ में किराये पर रहते थे उस किराये के मकान पर भी काबिज रहे। श्री ताराचन्द, हरिजन सहायक, अधीक्षक ने उस मकान को ८,००० रुपये सरकार से कर्ज लेकर १९५९ में खरीदा और खरीदने के बाद उनसे अर्ज किया कि इस मकान को वह खाली कर दें, क्योंकि वे अपने मकान में तो रहते ही हैं, हम इस मकान में रहें, तो श्री अब्दुल सत्तार खां ने कहा कि फरवरी, १९६२ से जो उन्होंने किराया नहीं दिया था, वह किराया ताराचन्द जी न लें, और १,००० रुपये रिश्वत देवें तो इस पर श्री ताराचन्द राजी नहीं हुए और उन्होंने सरकार को दरख्वास्त दी और जिला अधिकारियों को दरख्वास्तें दीं, उस पर श्री अब्दुल सत्तार खां ने पहले यह कहा कि मेरे बच्चे उस मकान में रहते हैं। मई, सन् १९६४ में जब श्री गंगोली, ए०डी०एम० ने इंक्वायरी की, तो उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दी कि मकान खाली हो चुका है, इसके बाद श्री सत्तार साहब ने जून, १९६४ में कहा कि मकान खाली है और उसके बाद श्री गंगोली ने फिर इन्क्वायरी किया, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि श्री फारूक और श्री अली इसरार शाह उस मकान में श्री अब्दुल सत्तार के मार्फत भारी किराये पर काबिज हैं। इसी संदर्भ में मैंने प्रश्न किये, ३० जुलाई, १९६४ को वह इस सदन में प्रश्न आया, उन प्रश्नों पर सरकार ने भी कहा कि मकान खाली है, किन्तु पूरक प्रश्नों में कहा गया कि मकान खाली नहीं है, फारूक वगैरह आबाद हैं और सरकार ने

स्वीकार किया कि अनियमितता हुई है । उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और जो श्री अब्दुल सत्तार खां ने यह अनियमितता की है, उसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और मकान मालिक श्री ताराचन्द को मकान का कब्जा दिलाया जायगा ।

मान्यवर, इसके बाद उन्हें कागजी रिलीज आर्डर दिया गया तब उसने रेंट कंट्रोल के यहां दरख्वास्त दी, और रेंट कंट्रोल अफसर ने यह आदेश दिये कि पुलिस के जरिये क्यों न मकान खाली करा लिया जाय और बावजूद इसके कि सरकार ने सीक्रेट जी०ओ० नं० ५०१२, दिनांक ७ फरवरी, १९६४, जारी किया कि अगर मकान मालिक को रिलीज आर्डर मिल जाय, तो पुलिस के जरिये कब्जा दिलाया जाय, इसको जानते हुए और हाई कोर्ट की रूलिंग को भी जानते हुए श्री गिरजा प्रसाद पांडेय ने एक्टिंग कमिश्नर लखनऊ के पद से रेंट कंट्रोल अफसर का नोटिस स्टे कर दिया । श्रीमन्, यही नहीं, जब ३० जुलाई, सन १९६४ को सरकार ने यह कहा था कि श्री अब्दुल सत्तार खां ने अनियमिततायें की हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा तो उसी दिन श्री अब्दुल सत्तार खां को श्री कुरेशी साहब डेवलपमेंट कमिश्नर और श्री ऐनुल आब्दीन डप सचिव ने श्री दास साहब, चीफ सेक्रेटरी से मिलाकर उन्हें कन्फर्म कराया । इन तमाम अनियमितताओं के बावजूद श्री अब्दुल सत्तार खां के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि श्री गिरजा प्रसाद पांडेय ऐक्टिंग कमिश्नर लखनऊ ने इन डिप्टी सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर के, चीफ सेक्रेटरी के और श्री अब्दुल सत्तार के दबाव में आकर अनियमित रूप से २८-१२-६४ को यह कहकर कि फारूक वगैरह १ साल से ज्यादा से काबिज हैं उनको उसमें रहने का आदेश दे दिया जबकि वह जून, सन् ६४ से पहले वहां नहीं रहते थे । तो जब सरकार के यहां सरकारी अधिकारी इस तरह की अनियमितायें करते हैं और अपने अधिकारियों को बचाने के लिये एक हो जाते हैं और इस तरह सिद्ध है कि नौकरशाही सरकार के ऊपर उठ गई है । तो मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदया ने ११ फरवरी को फिर किस आधार पर यह कहा था कि मैं नौकरशाही के शिकंजे के अधीन नहीं हूं । मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी अनियमितायें दूर की जानी चाहिये ताकि समाजवाद और जनतंत्र पनपे ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जितना यह इतिहास वर्णन किया उसका रेंट कंट्रोल से तो कोई संबंध है नहीं । उसकी नैतिकता या अनैतिकता यह दूसरा विषय है । जहां तक रेंट कंट्रोल का काम है वह एक ऐक्ट है जो इस सदन ने पास किया है उसके अनुसार उसमें कार्य होता है । उसमें मुख्य बात यह होती है कि जब वैकेंसी होती है यानी मकान खाली होता है तब उसके एलाटमेंट का प्रश्न आता है या तो एलाटमेन्ट हो या मकान मालिक के हक में वह छोड़ दिया जाय तो आमतौर पर मकान मालिक इत्तिला दे कि मकान खाली है या किरायेदार इत्तिला दे कि मकान खाली है। मकान मालिक की इत्तिला पर तो यह नहीं माना जा सकता कि यह सही कह रहा होगा क्योंकि मकान मालिक तो यों भी कह सकता है कि आदमी उसमें रहे भी और वह कह दे कि मकान खाली हो गया मगर जब किरायेदार कह दे कि मैंने छोड़ दिया तो मानना पड़ता है कि छोड़ दिया । इस सिलसिले में उनको रुपया मिला मकान बनाने के लिये या उसकी नैतिकता क्या है, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा । अब्दुल सत्तार साहब जिनका आज आप जिक्र कर रहे हैं कि वह असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने यह इत्तिला दी कि मैं मकान छोड़ रहा हूं । मगर उसमें मालूम यह हुआ कि उनका लड़का जो अलग रहता है वह बसा हुआ है । उस लड़के ने यह रेंट कंट्रोलर के यहां दरख्वास्त दी कि मेरे बाप तो छोड़ के चले गये, यह मेरे नाम एलाट कर दिया जाय । इस पर रेंट कंट्रोलर ने कहा कि कानूनन अगर किसी मकान में बाप और लड़के रहते हैं और बाप चला जाता है तो लड़का अगर इंडीपेंडेंट रहना चाहता है तो रह ले । (व्यवधान) उन्होंने जो कहा वह मैं बता रहा हूं, गलत-सही की बात अलग है । तो उसके

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

नाम पर वह एलाटमेंट नहीं हुआ और साल भर रहने के बाद वह भी छोड़ कर चला गया, इत्तला करदी कि मैंने छोड़ दिया लेकिन उसमें तीन आदमी उसने और बैठा दिये। यह तीन आदमी उनके लड़के श्री अब्दुल जब्बार की ओर से वहां बैठ गये। अब उसके बाद रेंट कंट्रोलर ने मालिक मकान के हक में रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद दफा ७-ए की कार्यवाही शुरू कर दी कि पुलिस द्वारा गैरकानूनी आदमी का समान बाहर फिकवाया जाय। अब्दुल सत्तार ने कमिश्नर के यहां रिवीजन फाइल करके स्टे आडर ले लिया। कमिश्नर ने फैसला दिया कि सरसरी तरीके से इसे नहीं निकाला जा सकता है और मालिक मकान सिविल कोर्टसे बेदखली करा सकता है। रेन्ट कंट्रोलर के यहां कार्यवाही रूक गई। अब मालिक मकान ने स्टेट गवर्मेंट में २५ फरवरी को रिवीजन फाइल किया। अगर हम केवल उनकी अर्जी पर ही फैसला कर दें तो वह रिट में जाकर कमजोर हो जाता है। उसके लिये रेन्ट कंट्रोलर और कमिश्नर के कागजात मंगाने होते हैं। तब मेरिट्स पर विचार करके फैसला दिया जायगा। मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा वह तो कहा। नैतिकता के विषय पर भी मैं नहीं जा सकता। रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट में ही हम कार्यवाही कर सकते हैं, जहां तक मेरे विभाग का सम्बन्ध है। मगर रेन्ट कंट्रोल में कोई ऐसी चीज नहीं आई कि उन्होंने अनाधिकार चेष्टा की। कमिश्नर ने अपने शक्ति का फ्री प्रयोग किया। जिस जी० ओ० का आपने हवाला दिया। अगर वह इसमें लागू होता है तो जरूर गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। इस मामले पर गवर्नमेंट में विचार होगा और जो कुछ होगा वह ठीक ही होगा।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

यह एक हरिजन अफसर का मामला है। अब्दुल सत्तार खां गवर्नमेंट के बड़े मजबूत अंग हैं। अगर कोई मामूली आदमी होता तो क्या सरकार उसे पुलिस द्वारा न निकालवा देती?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रैन्ट कंट्रोल के अन्तर्गत सब प्राईवेट आदमी माने जाते हैं। एक ही नियम सबके पक्ष में और विपक्ष में लागू होता है।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या चीफ सेक्रेटरी आफिस से यह लिखकर मकान मालिक को गया कि तुमने जो दोष अब्दुल सत्तार पर लगा रखे हैं कि उन्होंने जाली राशन कार्ड बना रखे हैं, उन्हें यदि आप वापस ले लेंगे तो मकान तुमको दिला देंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी काई सूचना नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन इसकी इनक्वायरी जरूर करायी कि उन दोनों के राशन कार्ड अलग अलग हैं या नहीं हैं और उन दोनों कार्ड में कामन आदमी तो नहीं है। जांच करने से पता चला कि नहीं है।

श्री जसरामसिंह—

श्रीमन्, यह मामला बड़ा गम्भीर है और मैंने प्रश्नोत्तर काल में भी यह बात कही थी कि इतना उच्च अधिकारी लखनऊ जैसी राजधानी में रहते हुए इस तरह की अनियमितता करे और मकान खाली न करे, तो इसके ऊपर माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जो ने कहा था कि मैं अब मकान खाली करा कर दिला दूंगा। मैंने कहा कि मैं अभी चलने का तैयार हूं कि इस अधिकारी ने जानबूझ कर सरकार को धोखा दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इनके कौन-कौन रिश्तेदार है जो पाकिस्तान में रहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल इससे नहीं उठता ।

श्री जसरामसिंह---

चूंकि उस अधिकारी ने सरकार को धोखा दिया है और सदन को गुमराह करने की बात की है, इसलिए मैं यह सवाल पूछ रहा हूं ।

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब्दुल सत्तार साहब जिनके लड़के के कब्जे में मकान है, उस मकान नं० पर ही दोनों के राशन कार्ड कामन हैं या दोनों के अलग-अलग राशन कार्ड हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी रेंट कंट्रोलर से पूछवाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख तक कितने पोर्शन पर किस कोठरी में कौन आदमी रहा ? अगर इसकी सूचना नहीं हो तो आज इसको स्थगित कर दिया जाय, कल सूचना मंगा कर आप बतला देंगे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

७ अक्तूबर को जुबेर अहमद ने लिख कर नोटिस दिया कि वे मकान छोड़ने वाले हैं, इसलिये और कुछ करने की जरूरत नहीं है । १८ जून, ६४ को श्री अब्दुल सत्तार खां ने रेंट कंट्रोल के अधिकारी को सूचित किया कि उन्होंने १८-४-६४ को ही मकान खाली कर दिया है और अब उसके बाद उसमें अनधिकृत लोग रहते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जो ये दोनों राशन कार्ड हैं, उनमें से एक में कैसर सत्तार उमर १५ साल सुरैया सत्तार, उमर १३ साल, तलत सत्तार उमर १० वर्ष, वसीम खां उमर ७ वर्ष और दूसरे में के० परवीन उमर १५ साल, एस० परवीन उमर १३ साल, टी० परवीन, उमर १० वर्ष, डबल्यू खां, उमर ७ वर्ष, इसमें फारूक का नाम कहीं नहीं है । तो जब उसका नाम नहीं है और वह मकान में जाकर बैठ गया है तो इन दोनों राशन कार्ड स की जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह फरजी राशन कार्ड तो नहीं है और यह सही साबित होने पर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने कह दिया कि दोनों कार्डों की जांच कर ली गयी और कोई कौमन नाम नहीं मिला । अब उसका नाम उसमें नहीं है तो उसने छोड़ दिया है मकान को । है ही नहीं अब ।

श्री जसरामसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अब्दुल सत्तार खां उस मकान में रहते थे उनका परिवार और बच्चे रहते थे, अब्दुल सत्तार खां छोड़ कर चले गये तो बेटे के रहने को आपने किस आधार पर मान लिया कि वह मकान उन्हीं के पास रहेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने नहीं माना। रेंट कंट्रोलर ने सलाह दी कि बाप से बेटे को मिल सकता है। अब गलत किया, सही किया दूसरी चीज है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मंत्री जी बतायेंगे कि अब्दुल सत्तार पिता है और उनके लड़के बिल्कुल उन्हीं के साथ रहते थे और उसके बाद यह जो फारूक हैं उनके कोई सबंधी, रिश्तेदार या नौकर जो भी हों, यह सब जो षड़यंत्र है अब्दुल सत्तार खां का बिल्कुल साफ-साफ मालूम पड़ता है? अगर ऐसा नहीं होता तो जब साथ साथ रहते थे तो रेंट कंट्रोल ऐक्ट में बाप और बेटे दोनों मकान नहीं रख सकते, ज्वाइंट फेमिली में एक ही मकान रखा जा सकता है। इस लिये जो साफ साफ बात है इस सब पर कार्यवाही करके क्या आप मकान खाली कराके सही कानूनी कार्यवाही करा देंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२५ फरवरी को उन्होंने रिवीजन दाखिल किया है। वगैर रिवीजन हम कैसे कर दें, हमारी क्या आथारिटी थी। अब रिवीजन में सारे कागजात मंगायेंगें और तब डिसीजन होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जिस तरीके से जवाब मंत्री जी ने सदन में पढ़कर सुनाया उससे ऐसा लगता है कि रेंट कंट्रोल अफसर की भी बड़ी साजिश है और जिस तरीके से उसने सलाह दी और कार्यवाही की इससे साफ मालूम होता है कि बेईमाना हरकत है और लखनऊ के रैन्ट कट्रोल अफसर की कई इस तरह की अनियमित बातें हम लोगों की जानकारी में हैं। तो क्या मत्री जो यहां के रेंट कण्ट्रोल अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ताकि आइंदा ऐसी हरकत न करें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें तो रेंट कंट्रोल अफसर पुलिस से निकलवाने की कोशिश कर रहा है। कमिश्नर ने रोका। और रेंट कण्ट्रोल अफसर कई बदल भी गये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मंत्री जी ने कहा कि नवम्बर में अब्दुल सत्तार ने मकान खाली कर दिया और इसकी इत्तिला उनके लड़के ने जून, १९६४ में दी जब कि प्राविधान यह है कि जो किरायेदार मकान खाली करे १५ दिन के अन्दर वह टी० आर० ओ० को इत्तला दे कि मकान खाली कर दिया। जब इत्तला ७ महीने तक नहीं दी तो सरकार ने अब्दुल सत्तार खां के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आपने सुना नहीं उसके लड़के ने कहा, बाप तो पहले ही छोड़ चुका था नवम्बर, १९६३ में।

श्री जसरामसिंह—

बाप ने जब छोड़ दिया तो लड़के को अधिकार क्या था?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कई बार सदन में आश्वासन दिये गये कि यह मकान खाली हो जायगा। तो यह प्रश्न आश्वासन समिति में नहीं गया इससे स्पष्ट होता है कि इन सेक्रेटरी साहब की राजी से प्रश्न आश्वासन समिति के एजेन्डे पर नहीं आया। सरकार इसका जवाब दे, और यह बड़ा गम्भीर मामला ह श्रीमन्। साबित हो चुका है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसमें जब तक रिवीजन सरकार के पास नहीं आता है और रिवीजन में उसकी मैरिट पर विचार होगा, इसलिये उससे पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

जब बाप और बेटे दोनों ने मकान छोड़ दिया और तीसरा आदमी धंस गया तो आपके रेण्ट कण्ट्रोल ने क्या कार्यवाही की ? आपके रेण्ट कण्ट्रोल ऐक्ट के अनुसार किरायेदार सूचित करता है कि मैंने मकान खाली कर दिया है तो रेण्ट कण्ट्रोल एन्ड एविक्शन आफिसर मकान पर, जिसकी ताली एक मकान मालिक के पास भी होती है, ताला लगा देते हैं । तो यह सब कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

दफा ७(१) में नोटिस देकर कार्यवाही करनी चाहिये थी, लेकिन कमिश्नर ने स्टे कर दिया ।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । मैं यह बतलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि आपके आदेश संख्या ५०१२, दिनांक ७ फरवरी, १९६४, और हाई कोर्ट की रूलिंग्स इस बात की इजाजत देती है कि अगर मालिक मकान को रिलीज आर्डर मिल जाय तो बजरिये पुलिस के कब्जा दे और कमिश्नर ने उनके खिलाफ फैसला किया । तो क्या उन्होंने हाई कोर्ट की रूलिंग को भी खत्म कर दिया ? राशन कार्ड के बारे में अब्दुल सत्तार ने यह तस्लीम किया है कि हमारे परिवार में १० आदमी हैं । माननीय मंत्री जी यह बात तस्लीम कर चुके हैं कि दो राशन कार्ड हैं । अब्दुल सत्तार के ७ १/२ युनिट हैं और जमील अहमद के ७ युनिट हैं तो ये १४ कैसे हो गये जबकि उसके घर में १० आदमी ही हैं । तो इस जाल साजी के खिलाफ आज तक माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ऐक्ट के मुताबिक कार्य होता है । कोर्ट का कोई डिसीजन होता है उस पर कुछ नहीं हो सकता है । कोर्ट के डिसीजन में मैं कुछ नहीं कर सकता । अब रहा ऐक्ट के अन्दर जिस जी० ओ० का आप जिक्र करते हैं मैं उस पर विचार करूंगा ही । दोनों राशन कार्डों में कौमन युनिट किसी में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह मसला समाप्त हुआ ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२ मार्च, १९६५ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर]

अतिरिक्त जिला जज, कानपुर के न्यायालय में १ जनवरी, १९६३ से ३० जून, १९६४ तक प्राप्त वादों और अपीलों के निस्तारण के विवरण की तालिका

क्रम-सं०	वादों के प्रकार	१-१-६३ को अनिस्तारित वादों की संख्या	१-१-६३ से ३०-६-६४ तक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त वादों की संख्या	योग	१-१-६३ ३०-६-६४ तक निस्तारित वादों की संख्या	१-७-६४ को अनिस्तारित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या		विशेष विवरण
							जिनके निस्तारण में ६ माह से कम समय लगा	जिनके निस्तारण में ६ माह से अधिक समय लगा	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	अपीलें ..	१०९	१६२	२१७	१३०	१४१	२१	१०९	
२	सिविल पुनरीक्षण (निगरानी) ..	१८	१७२	१९०	९४	९६	५	८९	
३	मौलिक वाद ..	८	१०	१८	७	११	—	७	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर]

कानपुर के मिलों पर दिसम्बर, १९६४ तक बिजली के अवशेष धन का विवरण

उपभोक्ता का नाम	नवम्बर व दिसम्बर, १९६० में पानी की कमी के कारण रोकी हुई रकम		अक्तूबर, १९६३ में पानी की कमी के कारण रोकी हुई रकम		अथर्टन वेस्ट एन्ड कं० का १९५७–५९ के खातों की बकाया रकम		नवम्बर, १९६४ के बिल		दिसम्बर, १९६४ के बिल		योग	
१	२		३		४		५		६		७	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	न०
उपभोक्ता जो अब भी विद्युत उपभोग कर रहे हैं												
सर्वश्री जे० के० रियान्स ..	४,९०३	७४	३,८८५	११		..		..		..	८,७८८	८५
,, म्योर मिल्स कं० लि०	५,६०९	४१	७,३६८	०२		..		..	१,०३,९६७	८२	१,१६,९६३	२५
,, इलगिन मिल्स कं० लि० नं० १ ..	४,११७	६०		..		..		..		..	४,११७	६०
,, सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० ..	६८०	००	६९५	४३		..		..		..	१,३७५	४३
,, इलगिन मिल्स कं० लि० नं० २ ..	२,५८०	६७		..		..		..		..	२,५८०	६७
,, अथर्टन वेस्ट एन्ड कं० लि० ..	२,५९१	०७	४,११६	९९	२४,०००	००		..		..	३०,७०८	०६
,, जुग्गीलाल कमलापत ..	१२,६९२	५५	१३,५२१	७७		..		..		..	२६,२१४	३२

उपभोक्ता का नाम	नवम्बर व दिसम्बर, १९६० में पानी की कमी के कारण रोकी हुई रकम।	अक्टूबर, १९६३ में पानी की कमी के कारण रोकी हुई रकम।	अथर्न वेस्ट एन्ड कं० का १९५७-५९ के खाते की बकाया रकम।	नवम्बर, १९६४ के बिल	दिसम्बर, १९६४ के बिल	योग
१	२	३	४	५	६	७
सर्व श्री स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० ..	१२,५२१ ४५	..	..	..	..	१२,२५१ ४५
,, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स लि० ..	४,०३० ००	४,५८१ ३५	..	..	..	८,६११ ३५
,, सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लि० ..	२,९७७ ६०	६,४३० ००	..	..	..	९,४०७ ६
,, मोती लाल पदमपत आयल मिल्स ..	३७० १३	२८२ ४१	..	..	..	६५२ ५४
,, जे० के० आयल मिल्स कं० लि० ..	४२० ००	..	..	..	..	४२० ००
,, कानपुर टेक्सटाइल लि० ..	१,९४० ००	..	..	..	..	१,९४० ००
,, गनेश फ्लोर मिल्स कं० लि० ..	१,००४ ००	..	..	..	..	१,००४ ००
,, महेश्वरी देवी जूट मिल्स ..	..	५३४ ५३	..	..	..	५३४ ५३
,, कानपुर रोलिंग मिल्स प्राइवेट लि० ..	..	..	..	३,६२५ ४४	..	३,६२५ ४४
,, बी० आई० सी० (कानपुर उलेन मिल्स) ..	..	..	..	..	२७० ४२	२७० ४२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

,, श्याम लाल मैनेजिंग डाइरेक्टर जगदीश रोलिंग वर्क्स	..	..	..	..	..	..	..	..	२,१६४	७७	२,१६४	७७
,, अपर इंडिया कोल्ड स्टोरेज लि०	..	..	..	..	..	..	..	..	१४२	००	१४२	००
									५६,४३८	२२	४१,४३३	६१	२४,०००	००१	३,६२५	४४२	१,०६,५४५	४१३	२,३२,०४२	६८

१—यह धन तिमाही किस्तों में जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है निश्चित समय पर अदा किया जाता है।

२—उपभोक्ता ने यह धनराशि दिनांक २०-२-६५ तक अदा करने का वायदा किया है।

३—यह सब धनराशि भुगतान हो चुकी है।

उपभोक्ता जो विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण ३१-१-६५ को विद्युत उपभोग नहीं कर रहे थे।

	रु०	पै०	
सर्वश्री कानपुर रोलिंग मिल्स लि० (इन्स्टालेशन नं० १ ३४३१)	२७,३६७	४८	उपभोक्ता ने भुगतान करने का वायदा किया है।
,, जे० के० उलैन मैनुफैक्चरर्स	७,९४२	५०	धन की प्राप्ति हेतु ७-४-१९५६ से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
,, नार्दर्न इंडिया आयल इन्डस्ट्रीज	२६,२२०	५७	धन की प्राप्ति हेतु ५-३-६३ से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
,, गंगा आयल मिल्स	२१,२६२	८१	धन की प्राप्ति हेतु ३-९-५४ से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
,, इस्टर्न टेनरीज	४,०३०	४३	धन की प्राप्ति हेतु १७-१-५९ से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
,, पुरुषोत्तम नाथ कपूर	१२,५४३	९७	धन की प्राप्ति हेतु १५-१०-५८ से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
,, एन० के० इन्डस्ट्रीज	१,४७६	३७	धन की प्राप्ति हेतु २३-५-५६ से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
योग ..	१,००,८४४	१३	
पूर्ण योग ..	३,३२,८८६	८१	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

नैपाल बांध नैपाल राज्य की भूमि में स्थित है। इसकी लम्बाई ७ मील १ फर्लांग है तथा इसके निर्माण की अनुमानित लागत५८·८५ लाख रु० है। खर्चे का व्यौरेवार विवरण निम्न प्रकार है—

मद	१ नवम्बर, १९६४ तक का वास्तविक व्यय	अनुमानति राशि
१	२	३
	रु०	रु०
१—प्रारम्भिक व्यय ..	२०,७५८.४२	४६,५४४.००
२—भूमि का मुआवजा ..	३,०९,७३१.४४	४,१३,०००.००
३—मिट्टी का काम ..	७,५७,७६९.२७	५१,०३,२४९.००
४—बिल्डिंग ..	६,७५१.००	१६,४००.००
५—श्रम के काम ..	..	२६,०००.००
६—कार्य प्रचारित अधिष्ठान (Work charged Establishment) ..	..	७,२००.००
७—प्रकीर्ण (miscellaneous) ..	४४,५५४.४१	१,५७,६७७.००
८—२ प्रतिशत प्राथमिक व्यय (contingencies) ..	..	१,१४,२५७.००
योग ..	११,३९,५५४.५४	५८,८५,३२७.००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर)

चन्द्र प्रभा बांध से मछली के नीलाम से प्राप्त धनराशि का व्यौरा

सन्			धनराशि रुपये में
१			२
१९५७–५८	..	..	२,०००.००
१९५८–५९	..	..	२,३७५.००
१९५९–६०	..	..	८००.००
१९६०–६१	..	..	११,६००.००
१९६१–६२	..	..	१,२१०.००
१९६२–६३	..	..	२,५२५.००
१९६३–६४	..	..	१२,४७०.००

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

रिहन्द बांध से विस्थापित परिवारों को उनकी सम्पत्ति का पूरा मुआवजा देने के अलावा पुनर्वास क्षेत्र में बसाया गया। उन्हें मकान बनाने के लिये तथा कृषि करने के लिये भूमि दी गयी। जिन विस्थापित परिवारों ने पुनर्वास क्षेत्र में बसना नहीं चाहा उन्हें नकद पुनर्वास अनुदान दिया गया। पुनर्वास क्षेत्र में जनोपयोगी अन्य सुविधायें भी दी गयीं जैसे कि कुंये, बन्धियां, पंचायत भवन, प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, चिकित्सालय, सड़क इत्यादि। राज्य के अन्य विकास विभागों ने विस्थापितों के लिये योजनाएं शुरू की हैं।

ओबरा से विस्थापित परिवारों को भी अपनी सम्पत्ति का मुआवजा दिया गया। जिन परिवारों ने मुआवजा नहीं लिया उन्हें भूमि के बदले भूमि देने का निश्चय किया गया है। जिन परिवारों ने मुआवजा ले लिया है उन्हें रिहन्द के रेट के अनुसार नकद पुनर्वास अनुदान दिये जाने का आदेश दिया गया है।

विधान परिषद

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर ५२७)

उन विधायकों के नामों की सूची, जिन्होंने सन् १९६४ में स्कूटर के लिए प्रार्थना-पत्र दिया।

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम	दिनांक प्रार्थना-पत्र
१	श्री मुहम्मद रफी खान, एम० एल० ए०	२२-१-६४
२	श्री एम० एल० गौतम, एम० एल० ए०	२३-३-६४
३	श्री राजा कृष्णपाल सिंह, एम० एल० ए०	१७-१-६४
४	श्री जगदीश नारायण सिनहा, एम० एल० ए०, ...	४-२-६४
५	श्री राम नारायण पांडेय, डिप्टी मिनिस्टर शिक्षा ..	१२-३-६४
६	श्री गंगाधर मैठाणी, एम० एल० ए०	१६-१-६४
७	श्री उमाशंकर, एम० एल० ए०	९-३-६४
८	श्री हरचरन लाल अग्रवाल, एम० एल० सी०	६-५-६४
९	श्री जी० डी० पालिवाल, एम० एल० सी०	२६-६-६४
१०	श्री राजेन्द्रसिंह, एम० एल० ए०	२४-३-६४
११	श्री शिवप्रसादसिंह, एम० एल० सी०	२२-६-६४
१२	श्री देवेन्द्र सिंह, एम० एल० ए०	८-५-६४
१३	श्री हिम्मत सिंह, एम० एल० ए०	१४-६-६४
१४	श्री शिवेन्द्र प्रताप, एम० एल० ए०	२७-८-६४
१५	श्री सयीदुल हसन, एम० एल० सी०	अगस्त, १९६४
१६	श्री एन० एन० पी० सिंह, एम० एल० ए०	१९-१०-६४
१७	श्री राधा रमन दास, एम० एल० सी०	फरवरी, १९६४
१८	श्री बेद राम, एम० एल० ए०	२२-८-६४
१९	श्री सैयद अहमद अनसारी, एम० एल० ए०	१८-८-६४
२०	श्री रामसिंह, एम० एल० ए०	११-९-६४
२१	श्री शिवदान सिंह, एम० एल० ए०	२८-१०-६४
२२	श्रीमती कलारानी मिश्रा, एम० एल० ए०	२५-११-६४
२३	श्री नबावसिंह, एम० एल० सी०	१३-७-६४
२४	श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी, एम० एल० सी०	९-९-६४
२५	श्री दुर्गा प्रसाद, एम० एल० ए०	१०-९-६४
२६	श्री अब्दुल हसीब, एम० एल० ए०	२१-९-६४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

बांध निर्माण खण्ड प्रथम			बांध निर्माण खण्ड द्वितीय		
सब-डिवीजन		कार्य	सब डिवीजन		कार्य
प्रथम सब-डिवीजन		अन्डर, स्लूरैज, पर ब्रिजडेंकिंग एवं १८ अन्य बैराज वेज का निर्माण।	प्रथम सब-डिवीजन		अन्डर स्लसैज एवं १८ वैराज वेज ब्रिज-डेंकिंग को छोड़ कर निर्माण।
द्वितीय	..	स्टोर्स का प्रबन्ध एवं अनुरक्षण का निर्माण।	द्वितीय	..	२६ से ३९ बैराज वेज का निर्माण।
तृतीय	..	लिंक कैनाल, गाइड बन्द, बाल एवं मारजिनल बन्द।	तृतीय	..	३९ वैराज वेज से बायी एक्टमेंट तक का निर्माण।
चतुर्थ	..	१ वर्कशाप २ टेम्पोरेरी पावर हाउस ३ मेकनीकल स्टोर्स ४ ट्रांसपोर्ट वीकल्स।	चतुर्थ	..	डी वाटरिंग, मैकनिकल स्टोर्स, एवं इक्यूपमेन्ट का अनुरक्षण।
पंचम	..	डिवीजन के अन्य मैकनीकल कार्य।	पंचम	..	शीट पाइलिंग का एवं फाटकों का इरेक्शन।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३१ पर)

नाम जिला	नलकूपों की संख्या
१—गाजीपुर	३०
२—बलिया	५
३—वाराणसी	४५
४—मिर्जापुर	५
५—इलाहाबाद	१९
६—जौनपुर	३०
७—आजमगढ़	१६
८—गोंडा	१५
९—बहराइच	८
१०—हरदोई	१५
११—लखनऊ	५
१२—बाराबंकी	५
१३—फैजाबाद	१९
१४—सुलतानपुर	१०
१५—मेरठ	३८
१६—मुजफ्फरनगर	२८
१७—सहारनपुर	३८
१८—देहरादून	९
१९—मुरादाबाद	४
२०—रामपुर	९
२१—बदायूं	११
२२—बरेली	८
२३—शाहजहांपुर	१५
२४—खेरी	११
२५—मनपुरी	४
२६—इटावा	१६
२७—आगरा	३२
२८—फर्रूखाबाद	१५
२९—कानपुर	१०
३०—बुलन्दशहर	११
३१—अलीगढ़	१४
३२—एटा	१०
३३—बिजनौर	२५
३४—देवरिया	१५७
३५—गोरखपुर	२२
३६—बस्ती	२५
कुल योग ..	७३९ नलकूप

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०-२३६ एल० ए०-१९६५-८६२ ।